सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(अब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय)

www.jalshakti-ddws.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	संक्षिप्ताक्षर	
1	**मंत्रालय के बारे में**	
1.1	विजन	
1.2	उद्देश्य	
1.3	महत्वपूर्ण स्कीमें	
1.3.1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम-(जी)]	
1.3.2	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	
1.4	कार्यनीति योजना	
1.4.1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम-(जी)]	
1.4.2	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	
2	**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम-(जी)]**	
2.1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की पृष्ठभूमि	
2.2	एसबीएम-(जी) के अंतर्गत प्रावधान	
2.3	स्वच्छता कवरेज	
2.4	एसबीएम-(जी) के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी)	
2.5	पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) के कार्यकलाप	
2.6	अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)	
2.7	व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी)	
2.8	अंतर मंत्रालयी एवं अंतर क्षेत्रीय सहयोग	
2.9	अन्य स्कीमों के साथ एसबीएम (जी) का तालमेल	
2.10	एसबीएम (जी) के अंतर्गत मॉनीटरिंग और मूल्यांकन (एम एंड ई)	

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
2.11	मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	
2.12	ज्ञान प्रबंधन	
2.13	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता	
3	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)**	
3.1	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)**	
3.1.1	एनआरडीडब्ल्यूपी के घटक	
3.1.2	कवरेज के प्रयोजनार्थ राज्यों के बीच निधियों के आबंटन के लिए भारिता	
3.1.3	एनआरडीडब्ल्यूपी अथवा इसके पूर्व के कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय कार्य निष्पादन	
3.1.4	एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वास्तविक कार्य-निष्पादन	
3.1.5	वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी): वर्ष 2018-19 के लिए योजना	
3.1.6	अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी), जनजाति उप-योजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए योजना	
3.1.7	पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति	
3.1.8	एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आबंटन एवं वास्तविक उपलब्धियां	
3.1.9	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण-प्रमुख संसाधन केन्द्र	
3.2	**जल गुणवत्ता (डब्ल्यूक्यू) गतिविधियां**	
3.2.1	राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केन्द्र (एनसीडीडब्ल्यूएस एण्ड क्यू) की स्थापना	
3.2.2	जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएस)	
3.2.3	जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं एवं एएबीएल प्रत्यायन	
3.2.4	जल गुणवत्ता कार्यक्रम (डब्ल्यूक्यू):	

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
3.2.5	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम)	
3.2.6	जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में उपलब्धियां	
3.2.7	स्वजल - ग्रामीण नल पेयजल आपूर्ति के प्रति एक समुदाय चालित दृष्टिकोण	
3.2.8	जापानी एनसेफलाइटिस/एक्यूट एनसेफलाइटिस (जेई/एईएस) का न्यूनीकरण	
3.2.9	ग्रामीण पेयजल शोधन में राज्यों को सहायता नवाचारों को मान्यता देने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के जरिए प्रौद्योगिकियों का चयन	
3.2.10	अनुसंधान एवं विकास	
4	**समीक्षा बैठकें/ महत्वपूर्ण सम्मेलन/ कार्यक्रम/ आईएमआईएस**	
4.1	राज्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठकें और सचिव सम्मेलन	
4.2	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) सहित एनआरडीडब्ल्यूपी वेबसाइट	
4.3	आईएमआईएस में जल आपूर्ति परिसंपत्ति की जियोटैगिंग के लिए मोबाइल ऐप	
4.4	मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन ढांचा	
5	**प्रशासन**	
5.1	संगठन	
5.2	नई पहलें	
5.3	सतर्कता एवं आरटीआई/शिकायत निवारण तंत्र	
5.4	वर्ष 2018-19 के दौरान हिन्दी कार्यों की प्रगति	
6	**अनुलग्नक I से IX**	
अनुलग्नक - I	मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
अनुलग्नक - II	एनआडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यवार आबंटन एवं वास्तविक उपलब्धियों (2016-17, 2017-18, 2018-19)	
अनुलग्नक - III	मंत्रालय में अधिकारियों एवं स्टाफ (नियमित) की पदस्थिति	
अनुलग्नक - IV	वर्ष 2017-18 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति	
अनुलग्नक - V	वर्ष 2018-19 के दौरान (मार्च 2019 तक) एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति	
अनुलग्नक - VI	वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यवार रिलीज की स्थिति	
अनुलग्नक - VII	वर्ष 2018-19 के दौरान (मार्च, 2019 तक) राज्यवार रिलीज	
अनुलग्नक - VIII	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ओडीएफ घोषित गांव, जीपी, ब्लॉक एवं जिले	
अनुलग्नक - IX	मार्च, 2019 तक अजा/अजजा श्रेणी में आईएचएचएल रिपोर्ट का ब्यौरा	
अनुलग्न - X	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों का सारांश	
अनुलग्नक - XI	एनआरडीडब्ल्यूपी की कार्य निष्पादन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- 2018 की रिपोर्ट सं. 15	

संक्षिप्ताक्षर

एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
एआरडब्ल्यूएसपी	त्वरीत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एएसएचए	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
एईएस	तीव्र एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम
बीपी	ब्लाक पंचायत
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरसी	ब्लॉक संसाधन केन्द्र
सीसीडीयू	संचार एवं क्षमता विकास इकाई
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भू-जल बोर्ड
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीआरएसपी	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
सीबीओ	समुदाय- आधारित संगठन
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
डीडीपी	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डीडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
डीपीएपी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
ईसीबीआई	बाह्य क्षमता निर्माण पहल

ईपीसी	इंजीनियरी, प्राप्ति एवं निर्माण
एफटीके	फील्ड जाँच किटें
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएसडीए	भू-जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी
एचएडीपी	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
एचजीएम	भू-जल संदर्शी हाइड्रो- जियोमॉर्फोलोजीकल मानचित्र
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचएच	श्रवण विकलांगता
आईएपी	समेकित कार्य योजना
आईआरसी	अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र
आईसीडीडब्ल्यूक्यू	अंतर्राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केन्द्र
आईआईटीएफ	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आईएसएचएल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आईएमआईएस	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईडब्ल्यूएमपी	समेकित वॉटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेई	जापानी एनसेफेलाइटिस
केआरसी	मुख्य संसाधन केन्द्र
एलपीसीडी	लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन
एलडब्ल्यूई	वामपंथ उग्रवाद

एलएसके	एकमुश्त टर्न - की
एम एंड ई	निगरानी एवं मूल्यांकन
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमपीआर	मासिक प्रगति रिपोर्ट
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमडीजी	मिलेनियम विकास लक्ष्य
एमआईएस	निगरानी सूचना प्रणाली
एमसीडी	अल्पसंख्यक बहुल जिले
एमवीएस	बहु-ग्राम योजना
एमडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एमएचएम	मासिक धर्म वैयक्तिक साफ-सफाई प्रबंधन
एनबीए	निर्मल भारत अभियान
एनईईआरआई	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान
एनईएस	पूर्वोत्तर राज्य
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनजीपी	निर्मल ग्राम पुरस्कार
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जाँच कार्यक्रम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

एनआरएससी	राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
एनडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय जल नीति
ओ एंड एम	प्रचालन एवं अनुरक्षण
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओ एण्ड एम	संगठन एवं प्रबंधन
ओएच	अस्थि विकलांग
पीसी	उत्पादन केंद्र
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर एंड डीएसी	अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति
आरजीएनडीडब्ल्यूएम	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
आरएसएम	ग्रामीण स्वच्छता बाजार
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप-योजना
एसडब्ल्यूएसएम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
एसबीएम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एसएचजी	स्वः सहायता समूह
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
टीएससी	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष

यूटी	संघ शासित प्रदेश
डब्ल्यूएसपी	जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम
डब्ल्यूएसएसओ	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
जेडपी	जिला पंचायत

मंत्रालय के बारे में

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् ग्रामीण स्वच्छता हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के संपूर्ण नीति-निर्माण, आयोजना, वित्त पोषण और समन्वयन हेतु एक नोडल मंत्रालय है। मई, 2019 से इस मंत्रालय का नाम बदलकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है।

1.1 विजन

प्रत्येक ग्रामीण को पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू मूलभूत जरूरतों के लिए स्थायी आधार पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।

खुले में शौच मुक्त गांव (ओडीएफ) सुनिश्चित करते हुए सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए और सुरक्षित स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करना। इस मिशन का लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत प्राप्त करना है।

1.2 उद्देश्य

(क) अक्तूबर, 2019 तक ओडीएफ ग्रामीण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना।

(ख) ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, छोटे और सीमांत किसानों और महिला प्रमुख परिवारों को शौचालयों की पहुंच और उनके प्रयोग के साथ-साथ सभी बीपीएल परिवारों और पहचाने गए एपीएल परिवारों को कवर करना।

(ग) व्यापक सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण अभियान करके व्यवहारगत परिर्वतन को बढ़ावा देना ताकि शौचालयों के प्रयोग, स्थायित्व और पर्याप्त 'प्रचालन व रख-रखाव' (ओ एंड एम) को सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की योजना और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

(ड़) अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और उन्हें एकीकृत करना तथा स्वच्छता को ''सभी का कर्तव्य'' बनाना।

(च) अधिकतम संभावित प्रयासों के साथ ग्रामीण परिवारों के परिसरों के भीतर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना और उसका उपयोग समर्थ बनाना।

(छ) फ्लोराइड/आर्सेनिक प्रभावित बसावटों, जेई/एईएस प्रभावित बसावटों, एसएजीवाई जीपी और ओडीएफ घोषित गांवों पर फोकस करना;

(ज) सामुदायिक आधारित जलापूर्ति प्रणाली के लिए योजना तैयार करते समय पीने योग्य, विश्वसनीय, स्थायित्व, सुविधापरक, साम्यता और उपभोक्ताओं की वरीयताएँ दिशानिर्देश सिद्धांतों के रूप में सुनिश्चित हों;

(झ) ऑनलाइन रिर्पोटिंग प्रणाली के माध्यम से पब्लिक डॉमेन में सूचना स्थापित करके पारदर्शिता को सुनिश्चित करना जोकि अंत में जनता की पहुंच में हो।

1.3 महत्वपूर्ण स्कीमें

1.3.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और सुरक्षित स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की।

इस मिशन का उद्देश्य इसे महात्मा गांधी की 150 वीं जन्म सालगिरह मनाते हुए 2 अक्तूबर, 2019 तक हासिल करना है। इस कार्यक्रम की सफलता शौचालयों की मांग सृजित करने पर निर्भर करती है जिसके परिणामस्वरूप उनका निर्माण और सभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा उनका उपयोग संभव हो। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवाएँ लेकर, वित्तीय प्रोत्साहन देकर और आयोजना एवं मॉनीटरिंग के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएँ बनाकर सहयोग देकर बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन के प्रयासों पर दृढ़ बल प्रदान करना है, जिसमें अंतरवैयक्तिक संवाद, कार्यान्वयन और सेवा प्रणाली को ग्राम पंचायत स्तर तक सशक्त बनाना और राज्यों को उनकी स्थानीय संस्कृतियों, प्रथाओं, संवेदनाओं और मांगों के आधार पर प्रणालियों में लचीलापन देना शामिल है।

1.3.2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। एनआरडीडब्ल्यूपी देश में ग्रामीण पेयजल संरचनाओं के सृजन और उनके स्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके परिणामस्वरूप इस सेक्टर के लिए पर्याप्त अतिरिक्त संसाधनों के प्रावधान की व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए ढांचे एवं क्षमताओं के विकास हेतु एक वातावरण भी सुनिश्चित हुआ है।

1.4 कार्यनीति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति और स्वच्छता हेतु कार्यनीतिक योजनाओं के निम्नलिखित घटनाक्रम हैं :

1.4.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सभी 6 लाख से अधिक गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति प्राप्त करनी है। देश को ओडीएफ घोषित करने के लिए जिला-वार योजना निम्नानुसार हैः

दिसम्बर, 2017 तक 300 ओडीएफ जिले

मार्च, 2018 तक 400 ओडीएफ जिले

दिसम्बर, 2018 तक 584 ओडीएफ जिले

मार्च, 2019 तक 616 ओडीएफ जिले

2 अक्तूबर, 2019 तक 699 ओडीएफ जिले

1.4.2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

यह मंत्रालय राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रहा है। अब तक, हैंड पम्पों/ट्यूबवेलों और नलजल आपूर्ति दोनों के जरिए ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नए फोकस पर, नलजल आपूर्ति एक प्रमुख क्षेत्र हैं जहां स्थायी सतही और भू-जल आधारित संसाधनों के संतुलित तालमेल के जरिए प्राथमिकता दी जाती है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। ग्रामीण आबादी में पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल कवरेज में सुधार लाने के लिए यह मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस सहायता का उद्देश्य सभी को हर वक्त, सुविधापूर्वक स्थायी आधार पर, पीने, रसोई और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति के पर्याप्त एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

2.1 पृष्ठभूमि

सरकार ने 02 अक्तूबर, 2019 तक सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने, स्वच्छता में सुधार लाने और खुले में शौच को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 02 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की थी। इस कार्यक्रम को स्वच्छता और साफ-सफाई की स्थिति में सुधार लाने का भारत का सबसे बड़ा अभियान माना जाता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के जरिए गांवों में सफाई में सुधार लाना है।

स्वच्छता मुख्यतया व्यवहार संबंधी विषय है। इसमें लोगों को खुले में शौच से रोकने और सुरक्षित स्वच्छता रीतियां अपनाने के लिए लोगों की सोच में परिवर्तन लाना शामिल है। चूंकि इसमें समुदाय की भागीदारी और कौशल आवश्यक है, अतः यह प्रक्रिया समय लेती है। ये चुनौतियां, कार्यान्वयन मशीनरी का क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक (संपूर्ण गांव) व्यवहारगत परिवर्तन जिला लीड़रशिप पर निरंतर बल देने से संबंधित हैं ताकि जिला कलेक्टर प्रौद्योगिकीय नवाचारों को बढ़ावा देते हुए, इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के लिए सक्रिय रूप से आगे आएं, वित्तीय एवं कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाएँ, अन्य विकास स्कीमों का विलय करें तथा निष्पादन एवं परिणाम दोनों को मापने के लिए एक ठोस मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली अपनाएं।

नई दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (स्वच्छता) सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय भारत के राष्ट्रपति

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की सफलता के छह (6) स्तंभ

1. उच्चतम स्तर पर नेतृत्व

- इस मिशन का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है- इसे केंद्र, राज्यों, जिलों और गांवों में नेतृत्व द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है।

2. मिशन के केंद्र में व्यवहार परिवर्तन:

- मिशन के केंद्र में स्वच्छता के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण (सीएएस) है जो परिवारों और समुदायों को अपना स्वयं का शौचालय बनाने के लिए सक्षम बनाता है।
- अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) के केंद्र में है जो जन जागरूकता को बढ़ाने में प्रेरित करता है।
- प्रसिद्ध व्यक्तियों और लब्धप्रतिष्ठ शख्सियतों का उपयोग करते हुए मास मीडिया अभियान जिससे व्यवहार परिवर्तन में मदद मिलती है।
- 5,98,000 से अधिक प्रशिक्षित जमीन स्तरीय प्रेरकों जिन्हें स्वच्छाग्रही कहा जाता है, को गांवों में नियुक्त किया गया है।
- बच्चे एवं महिलाएं देश की आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तन के एम्बैसडर के रूप में काम करते हैं।

3. समयबद्ध लक्ष्य : 02 अक्तूबर, 2019 तक ओडीएफ

- यह लक्ष्य 02 अक्तूबर, 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी पर भारत के सभी गांवों के लिए खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त करना है।
- इस समयबद्ध लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास ने तत्परता की भावना उत्पन्न की है।

4. गुणवत्ता और स्वच्छता की उपलब्धियों को कायम रखने पर फोकस

- गांवों को स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने को प्रोत्साहित किया जाता है। गांवों की ओडीएफ स्थिति का सत्यापन ओडीएफ घोषित होने के 3 महीने के बाद किया जाता है जिसके 9 महीने बाद एक और सत्यापन किया जाता है जिसके बाद एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाता है।
- ट्विन पिट शौचालयों को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि वे कम लागत रख-रखाव के साथ स्थायी और प्रभावी स्व-स्थान शोधन मुहैया कराते हैं।
- गोबर सहित जैव अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से प्रबंधन किया जाता है।

5. परिणामों की मॉनीटरिंग न कि सिर्फ आउटपुट की

- केवल शौचालय कवरेज की बजाय ओडीएफ समुदायों की स्थापना पर फोकस देना
- एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर सभी शौचालयों को जियो-टैग और दर्ज किया जाना अपेक्षित है।
- प्रत्येक गांव में शौचालय के प्रयोग की मॉनीटरिंग हेतु स्वच्छाग्रहियों को नियुक्त किया जाता है।

6. स्वच्छता सभी का कार्य

- स्वच्छता कार्य योजना को सभी केन्द्रीय मंत्रालय की वार्षिक कार्य योजना का एक हिस्सा बना दिया गया है।
- भ्रमण के लोकप्रिय स्थलों में सफाई में सुधार लाने के लिए स्वच्छ प्रसिद्ध स्थलों की पहचान की गई है।
- सभी क्षेत्रों में सफाई पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के स्तर पर स्वच्छता पखवाड़ा आरंभ किया गया है।
- स्वच्छता परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वैयक्तिक एवं कार्पोरेट दाताओं से स्वच्छ भारत कोष के जरिए निधियां जुटाई गई हैं।
- विकास के हिस्सेदारों और कार्पोरेटों से सहायता मांगना।

सामुदायिक भागीदारी, जन जागरूकता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कई पहलें की गईं। इनमें शामिल हैं:

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने हरियाणा सरकार के सहयोग से 12 फरवरी, 2019 को कुरूक्षेत्र, हरियाणा में स्वच्छ शक्ति, 2019 नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर महिला चैम्पियनों को सम्बोधित किया तथा उन्हें सम्मानित किया। केन्द्रीय मंत्री, सुश्री उमा भारती तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/संघ- राज्य क्षेत्रों से 20,000 से अधिक महिलाएं उपस्थित थीं जिनके लिए क्षेत्र दौरा का भी आयोजन किया गया।
- महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) दिनांक 29 सितम्बर, 2018 से 02 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विश्व भर से स्वच्छता मंत्रीगण और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ एकत्र हुए। 67 देशों से लगभग 150 शिष्टमंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में प्रतिभागी देशों ने स्वच्छता की सफल कहानियाँ और सबक आपस में साझा किए। इस सम्मेलन में विदेशी शिष्टमंडलों के लिए क्षेत्र दौरा, समग्र सत्र तथा कुछ तकनीकी सत्र भी शामिल थे। स्वच्छता नवाचारों की एक समांतर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। चूँकि एसबीएम अपने कार्यान्वयन के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यह सम्मेलन भारत में दिनांक 02 अक्तूबर, 2018 को **महात्मा की 150वीं जयंती समारोह** के आरंभ के साथ समाप्त हुआ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में सम्मेलन को संबोधित किया।

- दिनांक 15 सितंबर, 2018 से 2 अक्तूबर, 2018 तक "स्वच्छता ही सेवा अभियान" आयोजित किया गया, जहां पखवाड़े के दौरान देश के नागरिकों को स्वच्छता कार्यकलापों में भाग लेने का आह्वान किया गया।
- संबंधित मंत्रालयों को अंतर मंत्रालयी हिस्सेदारी के जरिए मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ भारत ग्रीष्म इंटर्नशिप 2018 आरंभ किया गया।
- 30.04.2018 को करनाल, हरियाणा में 'गोबरधन' उपस्कीम आरंभ की गई। इस स्कीम का लक्ष्य किसानों और मवेशी मालिकों की आय में वृद्धि करते हुए जैव अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए गांवों को साफ रखना है।
- 3 से 10 अप्रैल, 2018 तक **सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान** का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के मोतीहारी में 20,000 स्वच्छाग्रहियों को संबंधित किया। "चलो चम्पारण" के आह्वान से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन दस स्वच्छाग्रहियों को पुरस्कृत किया जिन्होंने अपने गांवों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया।
- मंत्रालय ने 17 अगस्त से 8 सितंबर, 2017 तक "स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि" आयोजित किया जिसके तहत चलचित्र, निबंध तथा चित्रकारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 2.15 लाख चलचित्र, 2.74 करोड़ निबंध तथा 2.85 करोड़ चित्र प्राप्त हुए।
- बेहतर स्वच्छता के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व वाले 30 आईकॉनिक स्थानों की पहचान की गई।
- एसबीएम (जी) के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु जिला प्रशाशन की सहायता के लिए 400 से अधिक जिला स्वच्छता प्रेरकों (युवा पेशेवरों) को शामिल किया गया है।
- 2018-19 में स्वच्छता कार्यकलापों के लिए 76 मंत्रालयों/विभागों ने लगभग 19000 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि की स्वच्छता कार्य योजना तैयार की है।
- आईईसी पर भी नवीन रूप से बल दिया जा रहा है और इसे और बढ़ाने के लिए 360° मीडिया अभियान भी चलाया गया है। अभिनव विचारों तथा आपसी ज्ञान को साझा करने के लिए सामाजिक मीडिया पृष्ठों-ट्विटर (@swachbharat), फेसबुक (Swachh Bharat Mission) तथा वाट्सऐप/ हाइक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
- स्वच्छता में तकनीकी पर बल देने के लिए डॉ. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति अभिनव नवाचारों की जांच करती है और राज्यों तथा अन्य हिस्सेदारों के बीच इन तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में प्रदर्शनियाँ भी आयोजित करती है।

- ग्राम पंचायत स्तर तक की स्वच्छता स्थिति देखने के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।

दुलारपुर में मशाल रैली

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को आगे बढ़ाने के लिए 13 दिसम्बर, 2018 की शाम को बिहार के भोजपुर जिले में कुकरी पंचायत के दुलारपुर गांव में एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। इस जुलूस का नेतृत्व उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्री शशांक शुभांकर ने की जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी रही। यह जुलूस गांव की सभी गलियों, उप गलियों से होते हुए मुख्य सड़क पर समाप्त हुआ। जुलूस में भाग लेने वाले सभी स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अधिकारियों और पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोगों को खुले में शौच नहीं करने की सलाह दी।

भोजपुर का स्वच्छता कवरेज अक्तूबर, 2014 में 32 प्रतिशत था। अब तक, जिले भर में 3 लाख शौचालय निर्मित किए गए हैं और जिले में अब शौचालय कवरेज 100 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान अन्य आईईसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

2.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रावधान

एसबीएम (ग्रामीण) की महत्वपूर्ण घटक हैं:-

- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का प्रावधानः गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों और चिह्नित पात्र गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों को प्रत्येक शौचालय के लिए 12,000/- रूपए की वित्तीय सहायता, (केन्द्र सरकार से 7200 रुपए और संबंधित राज्य सरकार से 4800 रुपए और पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10800/- रूपए और 1200/- रूपए) प्रदान की जाती है। अन्य एपीएल परिवारों को अपनी निधियों अथवा एसएचजी, बैकों, सहकारी संस्थानों आदि से ऋण लेकर शौचालयों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण: सामुदायिक स्वच्छता परिसर के प्रत्येक यूनिट के लिए अधिकतम सहायता 2 लाख रुपए है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और समुदाय के बीच बंटवारे का स्वरूप 60:30:10 के अनुपात में है।
- अधिकतम 1.5 करोड रुपये की सीमा सहित जिला परियोजना परिव्यय का 5 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता मार्ट/उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के वित्तपोषण सहित परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए एसबीएम (जी) के अंतर्गत कुल सहायता का निर्धारण प्रत्येक जीपी में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा जो 150 परिवारों तक वाली जीपी के लिए अधिकतम 7 लाख रुपए, 300 परिवारों तक वाली जीपी के लिए 12 लाख रुपए, 500 परिवारों तक वाली जीपी के लिए 15 लाख रुपए और 500 से अधिक परिवारों वाली जीपी के लिए 20 लाख रुपए की सीमा की शर्त के अधीन होगी। एसबीएम (जी) के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाता है।

भारत के सीएजी पुणे में शौचालय गड्ढे को खाली करने में अपना सहयोग देते हुए।

- आईईसी के लिए कुल परियोजना लागत का 8 प्रतिशत प्रावधान है जो केंद्र स्तर पर 3 प्रतिशत तक और राज्य स्तर पर 5 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है।
- प्रशासनिक लागत के लिए परियोजना लागत के 2 प्रतिशत का प्रावधान होगा। केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का स्वरूप 60:40 का होगा।

2.3 स्वच्छता कवरेज

एसबीएम (जी) के आरंभ से अब तक ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2 अक्तूबर, 2014 को **38.70%** था। दिनांक **31.03.2019** को कवरेज **99.04%** था। आरंभ से अब तक कवरेज में **60.34%** की वृद्धि हुई है।

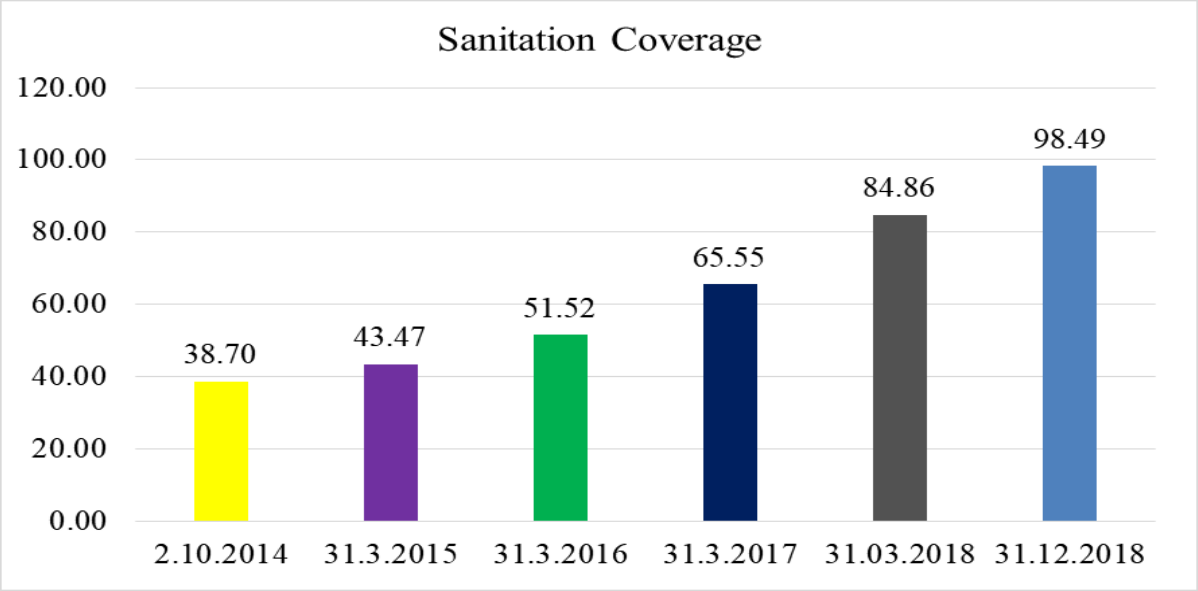

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुसार स्वच्छता कवरेज नीचे दी गई है:- गोवा, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों में स्वच्छता कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है।

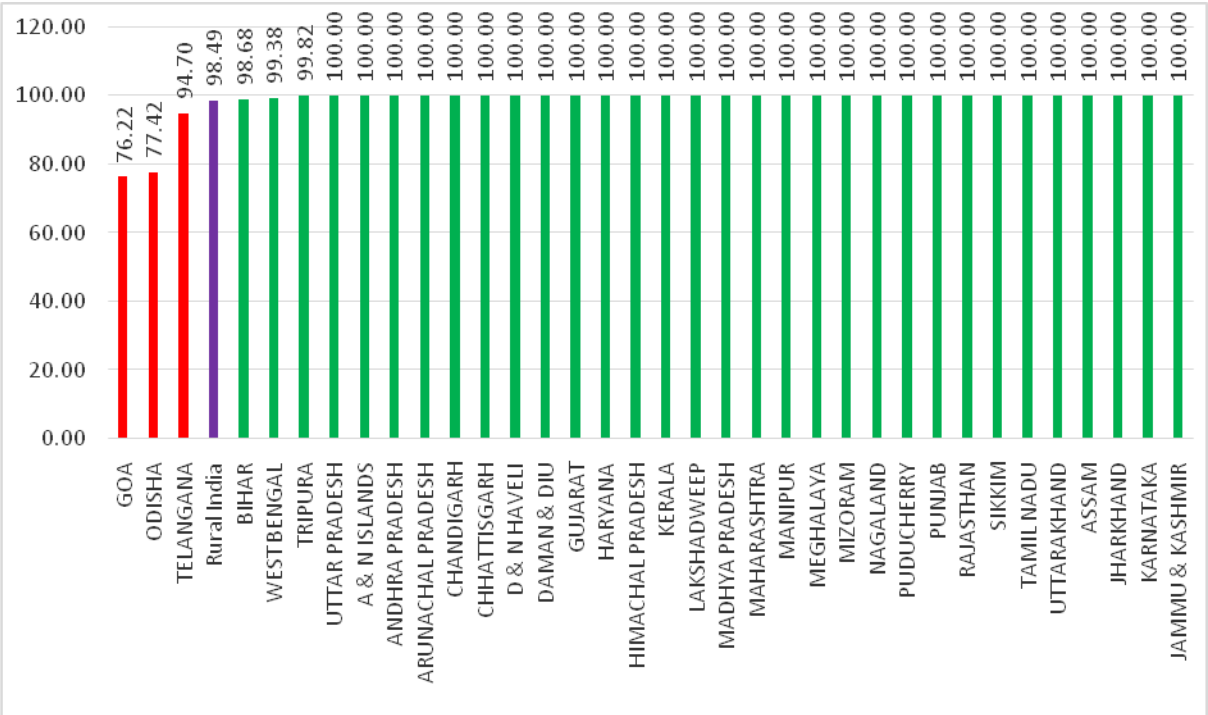

2 अक्तूबर 2014 से अब तक स्वच्छता कवरेज में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सुधार नीचे दिया गया है:-

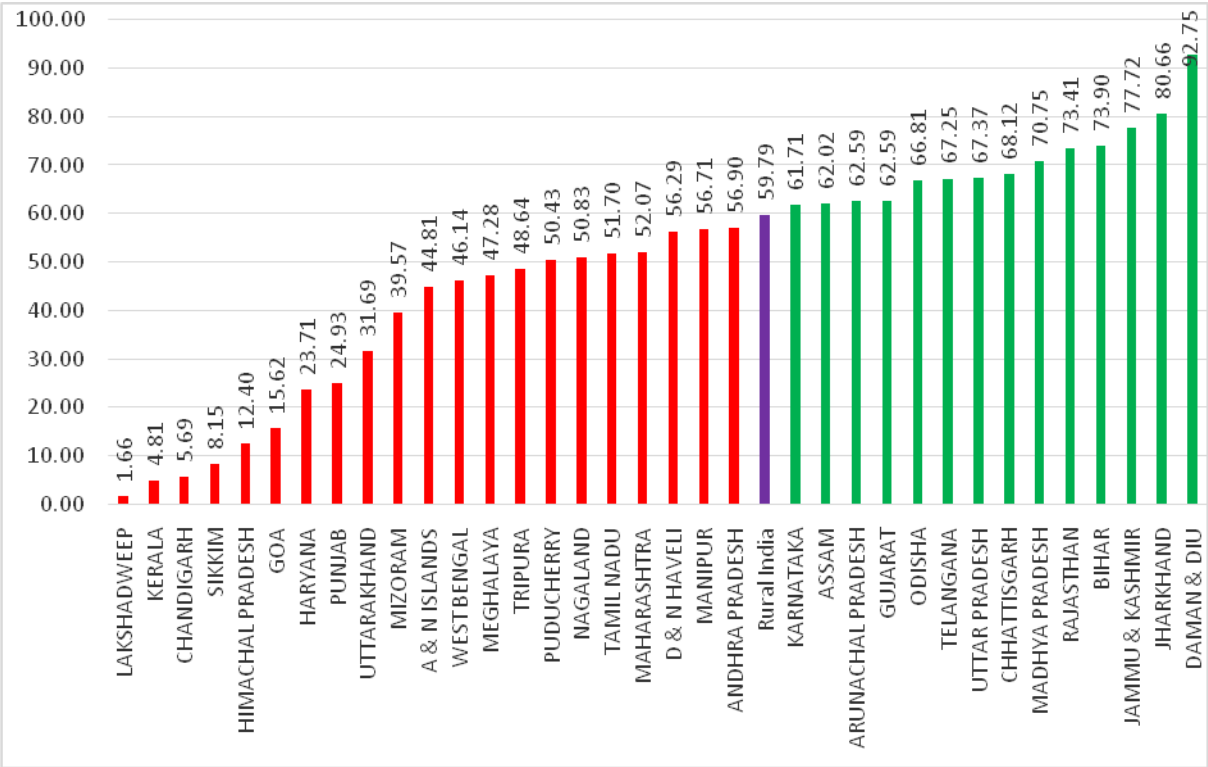

2.3.1 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट-वास्तविक

वर्ष 2017-18 और 2018-19 (मार्च 2019 तक) में एसबीएम(जी) के तहत आईएचएचएल-बीपीएल, आईएचएचएल-एपीएल, आईएचएचएल- कुल और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण की वार्षिक वास्तविक प्रगति नीचे दी गई है:

वर्ष	आईएचएचएल-बीपीएल	आईएचएचएल-एपीएल	आईएचएचएल-कुल	सामुदायिक स्वच्छता परिसर
2017-18	14776864	15505800	30282664	3897
2018-19 (मार्च, 2019 तक)	10752568	11896522	22649090	12665

राज्य वार विवरण अनुलग्नक-V और VI पर है।

2.3.2 वार्षिक वित्तीय प्रगति

वर्ष 2017-18 और 2018-19 (मार्च 2019 तक) में एसबीएम(जी) के तहत निधियों की उपलब्धता निम्नानुसार है।

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	अथशेष	जारी	कुल	व्यय
2017-18	-347.53	16610.88	16263.34	12227.70
2018-19 (मार्च, 2019 तक)	3152.33	21494.48	24646.81	13931.75

राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-VII और VIII में है।

2.3.3 खुले में शौच मुक्त गांव, पंचायतें, ब्लॉक तथा जिले

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने दिनांक 3 सितम्बर 2015 के पत्र संख्या एस-11011/3/2015-एसबीएम के माध्यम से खुले में शौच मुक्त स्थिति के सत्यापन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ओडीएफ घोषित कुल गांव, ग्राम पंचायतें, ब्लॉक तथा जिले निम्नानुसार हैं:-

	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2019 तक
ओडीएफ घोषित गांव	344247	556282
ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायतें	152677	247577
ओडीएफ घोषित ब्लॉक	3231	6026
ओडीएफ घोषित जिले	360	616

राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-IX पर है।

2.4 एसबीएम (जी) के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी)

सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण, एसबीएम (जी) की विशाल गति के केन्द्र में है जो इसे जन आन्दोलन में परिवर्तित कर रहा है और देश के नागरिकों की कल्पना को और संपूर्ण विश्व के ध्यान को आकर्षित कर रहा है।

अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, 6 लाख गांवों में फैले ग्रामीण समुदाय के व्यवहारगत परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए आईईसी का एक सर्वाधिक प्रभावी घटक रहा है। 6 लाख स्वयं सेवक जिन्हें स्वच्छाग्रही भी कहा जाता है, में से 4.35 लाख को एसबीएम के पैदल सैनिक के रूप में प्रशिक्षित

किया गया है। स्वच्छाग्रही सुरक्षित स्वच्छता की उपलब्धता को बढ़ावा देने और शौचालयों के निरन्तर प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण समुदाय को प्रेरित एवं एकजुट करने के लिए आईईसी का उपयोग एक प्रभावी संप्रेषण औजार के रूप में करते हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आईईसी निधियों का उच्चतम उपयोग होने के साथ-साथ राज्यों के बीच आईईसी व्यय में भारी वृद्धि हुई है। गैर ओडीएफ राज्यों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा राज्यों में व्यय की गई आईईसी निधियां पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर थीं। आईईसी पर व्यय में वृद्धि से इन राज्यों में स्वच्छता की कमी को कम करने में मदद मिली है।

वर्ष के दौरान, जमीनी स्तर पर तीव्र व्यवहारगत परिवर्तन संप्रेषण और ओडीएफ स्थायित्व पर फोकस के साथ सभी स्टेकहोल्डरों के बीच इस कार्यक्रम की उच्च विश्वसनीयता बनाए रखने पर आईईसी का प्रमुख फोकस रहा है। रेखांकित एजेन्डा के साथ, केन्द्र और राज्य/जिला आईईसी प्रयासों के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण बनाने हेतु, प्रक्रियाएं एवं नीतियां तैयार की गईं। एक आईईसी ढांचा निश्चित किया गया और विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच प्रसारित किया गया। पृथक आईईसी दिशानिर्देश जारी किए गए, जमीनी स्तर के आईईसी प्रयासों का सटीक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आईएमआईएस में संशोधन किए गए और राज्यों तथा जिलों के बीच आईईसी निधियों की प्रतिमोच्चता शामिल की गई।

<u>मीडिया अभियान</u>

मितव्ययी, वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो मंचों के जरिए ''ट्विन पिट शौचालय'' पर व्यापक प्रसार के लिए सघन मीडिया अभियान प्रसारित किए गए। व्यवहारगत परिवर्तन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अन्य के साथ-साथ एसएलडब्ल्यूएम और ओडीएफ स्थायित्व जैसे विषयों सहित शोचालय के निरंतर प्रयोग के संबंध में संतत व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ''दरवाजा बंद'' शीर्षक लोकप्रिय मास मीडिया अभियान पुन: आरंभ किया गया और प्रसारित किया गया।

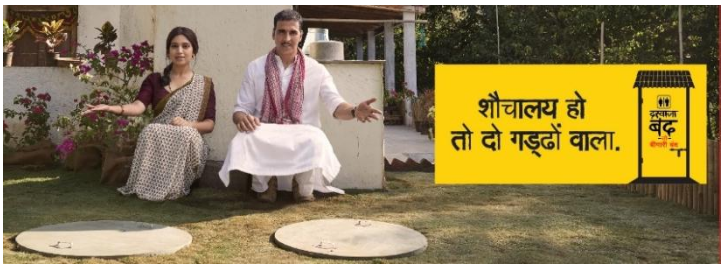

स्वच्छता पर टेलीविजन कार्यक्रम

वर्ष के दौरान स्वच्छता के विषय पर टीवी कार्यक्रमों का सृजन किया गया। इसके तहत दूरदर्शन पर "चलो साफ करें", "सफर मंजिलों का" और "मैं कुछ भी कर सकती हूं" (सीजन-2) प्रसारित किए गए और रिश्ते चैनल पर 'हम साफ-साफ हैं' प्रसारित किया गया। मंत्रालय ने इन टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए सामग्री की सहायता उपलब्ध कराई, जिससे स्वच्छता का संदेश घर-घर तक पहुंचा।

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह (चलो चम्पारण)

स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय अहिंसा आंदोलन के अग्रणी, महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह के 100 वर्ष मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' का आह्वान किया, जिसका अर्थ है 'सत्य के लिए आग्रह से सफाई के लिए आग्रह'। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में, देश भर के 20,000 स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया गया जो समुदाय को शौचालय निर्माण और प्रयोग हेतु प्रेरित एवं एकजुट करने के लिए बिहार गए थे। इस अभियान का समापन 10 अप्रैल, 2018 को चम्पारण में स्मरणोत्सव कार्यक्रम के साथ हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छाग्रहियों को संबोधित किया और चैंपियन स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया।

ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ बैठक

सचिव (डीडब्ल्यूएस) की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली में ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) पर विस्तार से चर्चा की गई।

ओडीएफ स्थायित्व पर कार्यशाला

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने दिनांक 16 और 17 मई, 2018 को याशदा, पुणे में ओडीएफ स्थायित्व पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 120 अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, राज्य मिशन निदेशकों, राज्य समन्वयकों, जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) ने बैठक में भाग लिया। कार्यशाला में चर्चा किए गए मुख्य विषयों में ओडीएफ स्थायित्व, स्वच्छता हेतु जल, ओडीएफ-एस के लिए आईईसी, कार्यक्रम की मॉनीटरिंग आदि शामिल थे जबकि राज्यों/जिलों ने अपनी-अपनी सफलता गाथाएँ प्रस्तुत कीं। दिनांक 17 मई, 2018 को पुणे जिले के पंडेरवाड़ी ग्राम पंचायत का एक क्षेत्र दौरा आयोजित किया गया जहाँ सचिव (डीडब्ल्यूएस) ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ मिलकर अन्य सभी भागीदारों के साथ ट्विन पिट शौचालय का गड्ढा खाली किया। शौचालय से जुड़े मिथक और सामाजिक अमान्यता को दूर करने के लिए ऐसा किया गया।

प्रमुख संसाधन केन्द्रों (केआरसी) के साथ परामर्श

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 25 मई, 2018 को नई दिल्ली में मुख्य संसाधन केंद्रों (केआरसी) के साथ एक वार्ता आयोजित की। 26 केआरसी के प्रतिनिधियों और 4 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, कुछ राज्य समन्वयकों/ परामर्शदाताओं ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया। बैठक के दौरान, केआरसी और राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षणों पर फीडबैक दिए और क्षमता निर्माण हेतु भावी-कार्यनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा भी की।

शौचालय प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला

दिनांक 27 मई, 2018 को होटल इम्पीरियल, नई दिल्ली में शौचालय प्रौद्योगिकी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 60 अपर मुख्य सचिवों, मुख्य सचिवों, राज्य के समन्वयकों, कलेक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (जिला परिषद) ने भाग लिया। इस अवसर पर ट्विन पिट शौचालय प्रौद्योगिकी पर एक विडियो स्पॉट जारी किया गया जिसमें निर्माता एवं अभिनेता श्री अक्षय कुमार ने भूमिका अदा की है, जिसके बाद अभिनेता ने प्रतिभागियों के साथ संवाद किए।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018

"स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018" का शुभारंभ दिनांक 13.07.2018 को प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में हुआ था। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, मिशन निदेशकों, राज्य समन्वयकों, परामर्शदाताओं तथा मीडिया व्यक्तियों सहित 100 से अधिक भागीदारों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, संयुक्त सचिव, एसबीएम-(जी) ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2018 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी जबकि मीडिया संवाद की अध्यक्षता सचिव (डीडब्ल्यूएस) ने की। एसएसजी, 2018 के अंतर्गत देश भर के **698** जिलों में से कुल **6980** गांवों को कवर किया गया। एसएसजी 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित तीन घटकों के आधार पर राज्यों तथा जिलों की रैंकिंग की गई :

- सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन (35%)
- नागरिकों का फीडबैक प्राप्त करना जिसमें ग्राम स्तर पर प्रमुख प्रभावकारियों के फीडबैक शामिल हों (30%)
- स्वच्छता संबंधी मानदंडों की सेवा स्तर की प्रगति (35%)

ओडीएफ स्थायित्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने दिनांक 24 अगस्त, 2018 को उदयपुर, राजस्थान में ओडीएफ स्थायित्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 100 एसीएस, प्रधान सचिवों, मिशन निदेशकों, राज्य समन्वयकों, कलेक्टरों और सीईओ-जेडपी ने इस कार्यशाला में भाग लिया। चर्चा किए गए मुख्य विषयों में ओडीएफ स्थायित्व, स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति, क्षमता निर्माण, ओडीएफ-एस के लिए स्वच्छता के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण आदि विषय शामिल थे जबकि मिशन निदेशकों, कलेक्टरों, सीईओ ने अपने-अपने अनुभव साझा किए।

स्वच्छ भारत मिशन-सपोर्ट ऑपरेशन (विश्व बैंक) पर राष्ट्रीय परामर्श

मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से दिनांक 31 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन-सपोर्ट ऑपरेशन (विश्व बैंक) पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। लगभग 60 अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, मिशन निदेशकों, राज्य समन्वयकों, परामर्शदाताओं और विकास भागीदारों ने इसमें भाग लिया। कार्यशाला के दौरान, संयुक्त सचिव, एसबीएम (जी) ने एसबीएम-एसओ की अद्यतन स्थिति के बारे में बताया और भविष्य के कार्यकलापों पर विस्तार से चर्चा की गई, जबकि विकास भागीदारों के साथ एक समीक्षा आयोजित की गई।

स्वच्छता ही सेवा 2018

प्रधानमंत्री ने दिनांक 15 सितंबर से 2 अक्तूबर तक लोगों को स्वच्छता के लिए एकजुट करने और जन आंदोलन को पुन: ऊर्जावान बनाने के लिए 15 सितंबर, 2018 को ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान (एसएचएस) का शुभारंभ किया। उन्होंने 17 से अधिक स्थानों पर और दो लाख से अधिक सामुदायिक सेवा केंद्रों (सीएससी) पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रसिद्ध व्यक्तियों/चयनित समूहों के साथ संवाद किया। वीडियो कांफ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री ने पहाड़गंज, नई दिल्ली स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर उच्चतर सेकेंड्री स्कूल में स्वच्छता श्रमदान में भाग लिया जबकि श्री अमिताभ बच्चन, श्री रतन टाटा, सदगुरु, श्री श्री रविशंकर, माता अमृतानंदमयी आदि जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रमदान किया। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, विधायकों, संसद सदस्यों, फिल्म सितारों, खेल सितारों, अंतर-धार्मिक लीडरों, कॉर्पोरेटों आदि ने भाग लिया, जिन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वच्छता लाने हेतु इस अभियान में शामिल हों।

पाक्षिक अभियान से स्वच्छ भारत ''जन आंदोलन'' में पुन: नई ऊर्जा आ गई, अंतिम चरण में एसबीएम प्रगति की गति तेज हो गई, ''स्वच्छता सभी का कार्य हैं'' की संकल्पना को पुन: बल मिला और देश भर में नागरिकों की व्यापक एवं विशाल भागीदारी सुनिश्चित हुई।

स्वच्छता हेतु ''जन आंदोलन'' को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, कई संगठनों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने अभियान में भाग लिया। 15 दिन के इस अभियान में शीर्ष स्तर के राजनीतिज्ञों, स्कूलों, स्वच्छाग्रहियों, रेलवे, कॉर्पोरेट आदि ने विशाल भागीदारी की। जनता को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 2000 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखे और ''स्वच्छता ही सेवा आन्दोलन'' से जुड़ने तथा 'स्वच्छता भारत मिशन के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। 200 मिलियन से अधिक नागरिकों ने एसएचएस 2018 में भाग लिया और स्वच्छता के प्रति बहुमूल्य योगदान दिया।

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी)

दिनांक 29 सितम्बर, 2018 से 02 अक्तूबर, 2018 तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व भर से स्वच्छता मंत्रीगण और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ एकत्रित हुए। 70 देशों से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया जिसका उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में किया। सम्मेलन के दौरान, प्रतिभागी देशों ने स्वच्छता की सफलता पर कहानियाँ और सबक को आपस में साझा किया। इस बैठक में एक क्षेत्र दौरा, समग्र सत्र और कई तकनीकी सत्र शामिल थे। स्वच्छता नवाचारों की एक समानांतर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। चूँकि एसबीएम अपने कार्यान्वयन के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहा है अत: यह सम्मेलन भारत में दिनांक 02 अक्तूबर, 2018 को महात्मा की 150वीं जयंती समारोह के आरंभ के साथ समाप्त हुआ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने अंतिम दिन, 02.10.2018 को राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में सम्मेलन को संबोधित किया। एमजीआईएससी प्रक्रिया और परिणाम का एक सारांश नीचे संलग्न है।

महात्मा गांधी

अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता

सम्मेलन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में 55 स्वच्छता मंत्रियों तथा 70 से अधिक देशों से 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्थायी स्वच्छता की व्यापक स्तर पर प्राप्ति, प्रतिभागी देशों से सफलता की गाथाएं एवं सबक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में संपूर्ण एवं तकनीकी सत्र, मंत्रालयी संवाद, क्षेत्र दौरा और स्वच्छता नवाचारों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एन्टोनियो गुतरेस और शिष्टमंडलों द्वारा दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ कार्यवाहियों का समापन हुआ और उन्होंने सभी के लिए सुरक्षित स्वच्छता उपलब्ध कराने के प्रति फिर से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एन्टोनियो गुतरेस, भारत का तथा विश्व के मंत्रीगण - स्वच्छ भारत दिवस, नई दिल्ली (2 अक्टूबर, 2018)

दिल्ली घोषणा

स्थायी स्वच्छता को आगे बढ़ाने में 4पी अर्थात राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्तपोषण, हिस्सेदारी और जनता की भागीदारी के महत्व को नोट करते हुए हम, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन, 2018 के प्रतिभागीगण विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

भारत के समान, हम लोग भी खुले में शौच का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग स्थायी विकास के लक्ष्य की तीव्र प्राप्ति के लिए स्वयं को पुन: समर्पित करते हैं।

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर, 2018

पहला दिन **एक शानदार शुरूआत** **प्रवासी भारतीय**

29 सितंबर, 2018 **केन्द्र, नई दिल्ली**

भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद (बीच में) को एसबीएम पैदल सैनिकों-स्वच्छाग्रहियों द्वारा चलाए गए सात दिवसीय जन आंदोलन अभियान (3-10 अप्रैल, 2018) का एक प्रलेखन ''चम्पारण का स्वच्छाग्रह'' भेंट दिया गया।

चार वर्ष पहले वर्ष 2014 में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने 'स्वच्छ भारत' के लिए एक विचार हमारे साथ साझा किया था। यह विचार आज विश्व के सबसे बड़े जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया है, देश भर की महिलाएं जिसकी चैंपियन बनी हैं।

- अरुण जेटली, वित्तमंत्री, भारत सरकार, स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर

एमजीआईएससी का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया उन्होंने शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि हम भारत में वंचितों तक पहुंचने और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने की अति आवश्यकता और संकल्प के साक्षी हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार ने कहा कि वर्ष 2014 से भारत में खुले में शौच की चुनौती का समाधान करने में प्राप्त प्रगति और उपलब्धि अद्वितीय है। सुश्री उमा भारती, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री भारत सरकार ने बताया कि किस प्रकार स्वच्छता गरीबी उपशमन और स्थायी विकास ...आर्थिक वृद्धि के लिए और पर्यावरण क्षय को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।'' श्री यूरी अफनासीव, संयुक्त राष्ट्र के आवसीय समन्वयक, श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल एवं

स्वच्छता और श्री डी.एस. मिश्रा, सचिव आवासन एवं शहरी कार्य ने सत्र में, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तीव्र प्रगति के बारे में बताया।

उद्घाटन के बाद सम्मेलन का पहला तकनीकी सत्र - ''स्वच्छता में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका'' आयोजित किया गया। श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री, भारत सरकार ने स्थायी वित्तीय सहायता और राजनीतिक नेतृत्व पर बल दिया। श्री केविन रड, आस्ट्रेलिया के भूत पूर्व प्रधानमंत्री और अध्यक्ष,सभी के लिए स्वच्छता और जल ने महात्मा गांधी के भाषणों से विस्तृत उदाहरण दिया जिन्होंने कहा था कि एक आदर्श गांव में पूर्ण स्वच्छता होगी।

''पैमाने पर व्यवहारगत परिवर्तन को लागू करने'' पर तकनीकी प्लेनरी में वैश्विक स्वच्छता विशेषज्ञों ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे बड़े पैमाने पर व्यवहारगत परिवर्तन के लिए सुव्यवस्थित और महत्वाकांशी, विवेकशील दृष्टिकोण आवश्यक होता है। श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने जन आंदोलन की प्राप्ति के उद्देश्य से एसबीएम द्वारा समाधान की गई मुख्य चुनौतियों चार एस-पैमाना, गति, कलंक एवं स्थायित्व पर प्रकाश डाला।

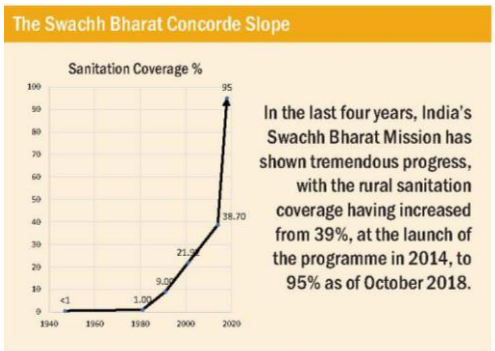

सुश्री जेनिफर सारा, निदेशक, ग्लोबल वाटर प्रैक्टिस, विश्व बैंक ने इस बात को रेखांकित किया कि व्यवहारगत परिवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए लक्षित संदेश संप्रेषण महत्वपूर्ण है। श्री रोलैंड रावटोमांगा, जल स्वच्छता एवं हाइजिन मंत्री, मेडागास्कर ने अपने देश में स्वच्छता कार्यक्रमों में सामाजिक मानदण्ड सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने एवं इसे लागू करने के बारे में बताया। प्रो. वलेरी कुरतिस, लंदन स्कूल ऑफ हाइजिन एंड ट्रॉपिकल मेडिसीन ने उल्लेख किया कि किस प्रकार जुनून,भावना, पुरस्कार और प्रोत्साहन सभी स्थायी व्यवहार के स्तम्भ हैं।

पहला दिन छह समांतर तकनीकी सत्रों के साथ समाप्त हुआ। इसके कुछ स्नैपशॉट निम्नलिखित हैं

<u>सत्र-I रणनीतिक हिस्सेदारी</u>

सुश्री नैनालाल किदवई, अध्यक्ष, भारतीय स्वच्छता गठबंधन ने देशों को सीएसआर से आगे निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में सोचने और कार्यक्रम को आगे ले जाने हेतु उन्हें सच्चा हिस्सेदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री ए.एच.एम मुस्तफा कमाल, योजना मंत्री बांग्लादेश ने एनजीओ और निजी क्षेत्र की सहायता से बांग्लादेश में स्वच्छता विपणन की सफलता प्रस्तुत की जबकि श्री आर. वेंकटरमन, मैनेजिंग ट्रस्टी, टाटा ट्रस्ट्स ने जिला स्वच्छ भारत प्रेरक कार्यक्रम साझा किया जो भारत के प्रत्येक जिले से एक युवा पेशेवर को तैनात करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वच्छता जिला प्रशासन की कार्यसूची में शीर्ष पर हो।

<u>सत्र-II ओडीएफ स्थिति कायम रखना</u>

खुले में शौच युक्त स्थिति को बनाए रखने के महत्व पर बोलते समय डॉ. रूडी प्रवीराडियाटा, डिप्टी मिनिस्टर, क्षेत्रीय विकास इंडोनेशिया ने इस संबंध में प्रस्तुति दी कि कैसे इंडोनेशिया में पिछले 10 वर्षों में खुले में शौच 15% कम हो गया है जिससे 29 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं और कैसे वे ओडीएफ स्थिति से व्यवहारों और रीतियों के स्थायित्व की ओर बढ़ रहे हैं। पैनल में श्री अरूण बरोका, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भी शामिल हुए जिन्होंने भारत की गाथा प्रस्तुत की।

<u>सत्र-III शहरी स्वच्छता और एफएसएम</u>

"शहरी स्वच्छता और एफएसएम" से संबंधित सत्र में देश में स्वच्छता की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए समुचित संस्थागत ढांचा और विनियामक वातावरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। एफएसएम खुले में शौच मुक्त भारत के विजन को प्राप्त करने के केन्द्र में है। श्री डी.एस. मिश्रा, सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि प्रयासों को देश भर के बड़े और सघन गांवों तथा जनगणना नगरों पर फोकस किया गया है।

<u>सत्र-IV जेंडर और समेकित स्वच्छता</u>

सुश्री यास्मीन अली हक, यूनिसेफ इंडिया प्रतिनिधि ने स्वच्छता के प्रभाव के परिणामस्वरूप महिलाओं की भागीदारी, आवाज, आत्म विश्वास और आमदनी के अवसर और स्कूलों में

बालिकाओं की वर्धित उपस्थिति पर प्रकाश डाला। सुश्री अराधना पटनायक, प्रधान सचिव, ग्रामीण स्वच्छता, झारखण्ड ने बताया कि महिलाओं द्वारा अपने गांवों में जल एवं स्वच्छता के लिए आंदोलन की अगुवाई करने हेतु कैसे राज्य ने अग्रणी महिला प्रेरक और रानी मिस्त्री का कैडर स्थापित किया है।

सत्र-V स्वच्छता सभी के कार्य के रूप में

"स्वच्छता सभी के कार्य के रूप में" सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन और रेलवे जैसे क्षेत्रों के बहुल हिस्सेदारों को शामिल करके स्वच्छता के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत के बारे में समाधान बताया गया जैसा कि श्री अश्वनी लोहानी, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और श्री अक्षय राउत, महानिदेशक (विशेष परियोजना) ने प्रकाश डाला। व्यवहारगत परिवर्तन में सबसे बड़े चालक के रूप में धार्मिक समुदाय की भूमिका पर चर्चा करने के लिए स्वामी चिदानन्द सरस्वती, श्री दिनेश सुना और ग्लोबल इंटरफेथ वाश अलायंस के मुफ्ती रहमानजी भी मंच पर शामिल हुए।

सत्र-VI स्वच्छता में प्रौद्योगिकी और नवाचार

प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सत्र में एमजीआईएससी में अग्रणी रूप से आयोजित ग्रामीण स्वच्छता प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता, स्वच्छता-ओ-वेशन को शोकेस किया गया। पब्लिक पोल जूरी ने स्क्वॉटईज को प्रतियोगिता जीतने वाली प्रौद्योगिकी घोषित किया जो एक आरामदायक स्क्वॉट टॉयलेट पैन है जो स्वच्छता को बुजुर्गों और दिव्यांगजनों सहित सभी के लिए सुगम्य बनाता है।

डॉ. रूडी, प्रवीरदीयाटा, डिप्टी मिनिस्टर, क्षेत्रीय विकास, इंडोनेशिया समांतार प्रौद्योगिकी सत्र- शहरी स्वच्छता और एफएसएम के दौरान प्रस्तुति देते हुए

समांतर तकनीकी सत्र- स्वच्छता में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के जूरी

दूसरा दिन 30 सितम्बर, 2018 गांधी के पद चिह्न अहमदाबाद, गुजरात

महात्मा गांधी द्वारा 1917 में स्थापित साबरमती आश्रम में शिष्ट मंडल दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरन्त बाद

प्रतिभागी देशों के मंत्रियों ने प्रेरणादायी ''गांधी ट्रैल'' पर गुजरात का क्षेत्र दौरा किया जहां उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन का अनुभव लिया, उसके आश्रम में श्रृद्धांजली अर्पित की तथा जमीनी स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन का कार्यान्वयन देखने के लिए पनसारी गांव का दौरा किया। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री रमेश जिगाजिनागी, राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता, भारत सरकार ने किया।

शिष्टमंडलों ने स्थानीय स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया और इस तथ्य को नोट किया कि बाल मृत्यु दर और माता मृत्यु दर शून्य है। डॉ. इसाटाउ टाउरे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जाम्बिया ने कहा, "यह सम्मेलन मेरे लिए पहले से ही एक प्रेरणा रहा है जब मैं घर जाता हूँ तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उन गांवों में जाता हूँ जिन्हें परिवर्तित किया जाना है। यदि भारत जैसा विशाल देश यह कर सकता है तो 2 मिलियन की आबादी वाला हमारा देश निश्चित रूप से यह कर सकता है।"

पनसारी गांव के बाद शिष्टमंडलों ने गुजरात की राजधानी, गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष म्यूजियम डांडी कुटीर का दौरा किया। उन लोगों ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध संस्था साबरमती आश्रम का भी भ्रमण किया। यही वह स्थान है जहां महात्मा गांधी ने 12 मार्च, 1930 को डांडी मार्च का नेतृत्व किया जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है।

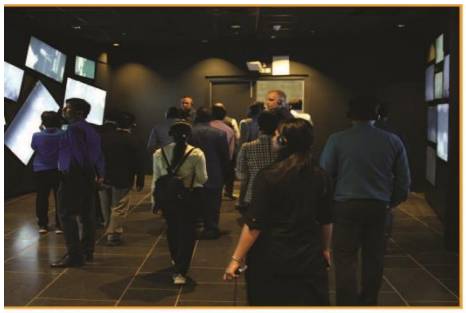

शिष्टमंडल ने गांधीनगर में डांडी कुटीर, एक अनुभवजन्य म्यूजियम जो गांधी के जीवन पर एक मल्टीमीडिया जीवनी उपलब्ध कराता है, का दौरा किया

शिष्टमंडलों को लोकनृत्य देखने का मौका मिला जिसमें भवई और गरबा जैसे परम्परागत गुजराती नृत्य का प्रदर्शन किया गया।

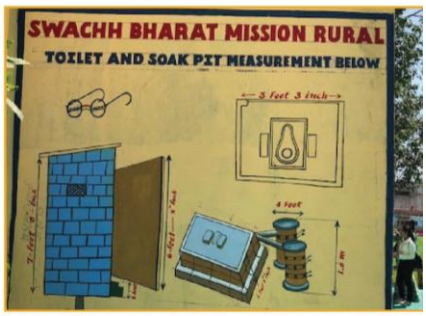

शिष्टमंडलों ने पनसारी गांव में एक सरकारी स्कूल का दौरा किया जहां उन्होंने देखा कि कैसे स्वच्छता कार्यक्रम समुदायों से और शिक्षण-कक्ष में कार्यान्वित हो रहे हैं

कथन

“भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के रूप में भीषण टक्कर ली है।”

-बोल्टन डेनिस

असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर कम्यूनिटी सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क्स, लाइवेरिया

व्यवहारगत परिवर्तन एक बार में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसे सतत् प्रक्रिया होनी चाहिए (जब हम लोगों को डबोल फैलने का अनुभव प्राप्त हुआ) वे लोग सफाई के विचार को फैलाने के लिए बाहर गए; यह स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

-एंटनी ऑगस्टाइन सांडी
डिप्टी मिनिस्टर फॉहेल्थ एडं सैनिटेशन, सियरे लियोनी

चूंकि भारत ओडीएफ प्लस के बारे में बात कर रहा है, मुझे लगता है कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में उनसे सीखने और इसे अपने देश में लागू करने का यह एक शानदार तरीका है।

-मुजीब रहमान करीमी
ग्रामीण पुनर्वास एवं विकास मंत्री, अफगानिस्तान

मैं बीते समय की ओर देखना चाहता हूँ और उन मुद्दों का जायजा लेना चाहता हूँ जिनका गांधी जी ने सामना किया और विशेष रूप से लोगों को एक साथ लाने एवं व्यवहारगत परिवर्तन के उनके दृष्टिकोण के बारे में सीखना चाहता हूँ।

-श्री ग्रेगोरी बोवन
मिनिस्टर फॉर पब्लिक यूटिलिटिज, ग्रेनेडा

हम लोगों ने भारत से काफी कुछ सीखा है, यहां काफी राजनीतिक प्रतिबद्धता देखने को मिली

- एंटोइन एल. ग्बेगबेनी, मिनिस्टर डी एल एउ एट डी एल हाइड्रोलिक, टोगो

एमजीआईएससी के तीसरे दिन की शुरूआत "स्वच्छ भारत मिशन और स्थायी विकास लक्ष्य" पर पैनल चर्चा के साथ हुई। सुश्री उमा भारती, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, भारत सरकार ने प्लेनरी की अध्यक्षता की और श्री देवेन्द्र फडनवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, भारत और सुश्री हेनरिएट्टा फोरे, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, युनिसेफ भी मंच पर इस चर्चा में शामिल हुई।

इस सत्र के बाद मंत्रियों के बीच संवाद, विशेष समांतर गोलमेज हुए जिसमें भ्रमण करने वाले मंत्रियों ने सार्वभौतिक पहुंच के लिए पर्याप्त वित्तपोषण और अपेक्षित कदम उठाते हुए स्वच्छता के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति तैयार करने पर विचार आदान-प्रदान किए। उन्होंने वैश्विक सहयोग, शांति एवं आर्थिक वृद्धि के चालक के रूप में स्वच्छता, संसद सदस्यों से लेकर सिविल सोसाइटी के विविध स्टेकहोल्डरों की भागीदारी, स्वच्छता के लिए मंत्री अथवा विभागीय नेतृत्व, दीर्घकालिक आयोजन, मानव अपशिष्ट को संसाधन (उर्वरक अथवा बायो गैस) के रूप में महत्व देना और स्वच्छता में निवेश को बेहतर रूप से बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को आगे बढ़ाने पर विचार साझा किए।

"कल गुजरात के अपने दौरे से मुझे काफी लाभ प्राप्त हुआ है। मेरे स्टॉफ काफी नोट्स एकत्र कर रहे हैं और उनको म्यांमार की ओर से काफी काम करना होगा - सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समुदाय के स्तर पर है, उनमें स्वामित्व की भावना और शौचालय के प्रयोग की समझ होनी चाहिए।"

- माइन्ट हट्वे

स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री, म्यांमार

"स्वच्छता वित्तपोषण" पर अपराह्न प्लेनरी सत्र में स्वच्छता पर सार्वजनिक निधियन के लिए मामले पर फोकस दिया गया। श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग ने कहा, "भारत ने स्वच्छता पर भारी सार्वजनिक निवेश किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग स्थायी स्वच्छता को और हाइजिन के लाभों को महसूस करे।" श्री रिचर्ड डमानिया, अग्रणी अर्थशास्त्री,

वाटर ग्लोबल प्रैक्टिस विश्व बैंक ने स्वच्छता में सार्वजनिक निवेश और व्यवहारगत परिवर्तन प्रयासों के संयोजन के सफल उदाहरण के रूप में भारत की प्रशंसा की। उन्होंने प्रभावी आंकड़े प्रस्तुत किए जिससे यह तथ्य स्थापित होता है कि स्वच्छता में सार्वजनिक वित्तपोषण के परिणामस्वरूप निवेश पर भारी रिटर्न प्राप्त होता है।

मंत्रियों के बीच संवाद की एक झलक

एमजीआईएससी के समापन सत्र के दौरान उमा भारती, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, वैंकेया नायडू, भारत के उप राष्ट्रपति और योगी आदित्य नाथ, उत्तर प्रदेश

भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली तकनीकी प्लेनरी में एमजीआईएससी की तकनीकी चर्चाओं का समापन करने के लिए वैश्विक विकास के हिस्सेदार और राष्ट्रीय लीडर एकत्र हुए। जैसा कि श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने कहा, ''एमजीआईएससी, एसडीजी को प्राप्त करने में सामूहिक प्रतिबद्धता के प्रति एक सुदृढ़ दस्तावेज है। मैं मानता हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन भविष्य में सहयोग के मंच के रूप में काम करेगा।'' समापन सत्र को आगे सुश्री पामेला ट्शेवेटे, डिप्टी मिनिस्टर फॉर वाटर एंड सैनिटेशन, साउथ अफ्रीका, श्री हार्टविंग शाफर, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, विश्व बैंक और सुश्री जीन गॉथ, क्षेत्रीय निदेशक, यूनिसेफ ने संबोधित किया।

"राजनीतिक इच्छा शक्ति का मुद्दा केवल धन से संबंधित नहीं है बल्कि सामाजिक एकजुटता, प्रतिबद्धता और विश्वास के बारें में हैं... हमने उस विजन को देखा जिसे गांधी ने शुरू किया और जिसे प्रधानमंत्री द्वारा और नागरिकों की भगीदारी द्वारा आगे लाया गया..... पहले आपको जागरूकता उत्पन्न करनी होगी और जब लोग सही संदेश को सही तरीके से समझ लेंगे वे नेतृत्व संभाल लेंगे।"

-इसाटाउ टाउरे, स्वास्थ्य मंत्री, गम्बिया

"हम और अधिक कर सकते हैं यदि हम अपना अनुभव साझा करें।"

-पामेला ट्शवेटे
डिप्टी मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, साउथ अफ्रीका

पामेला ट्शवेटे, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, साउथ अफ्रीका, मंत्री संवाद में सक्रिय रूप से भाग लेती हुईं

चौथा दिन | समापन समारोह | राष्ट्रपति भवन,
2 अक्तूबर, 2018 | | नई दिल्ली

भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, एन्टोनियो गुतरेस और केन्द्रीय मंत्रीगण, भारत सरकार, गांधीजी की 150वीं जयंती के स्मरण में टिकटों का अनावरण करते हुए

55 स्वच्छता मंत्री एमजीआईएससी में उपस्थित हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुतरेस एमजीआईएससी में

हरदीप सिंह पुरी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, हनेरीटा फोरे, कार्यकारी निदेशक, युनिसेफ और केविन रूड, अध्यक्ष, सभी के लिए स्वच्छता और जल के साथ बात करते हुए।

एमजीआईएससी का मुख्य कार्यक्रम 2 अक्तूबर को आयोजित किया गया और एसबीएम के कार्यान्वयन के पाचवें और अंतिम वर्ष में प्रवेश करने पर महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती समारोह का आरंभ किया गया।

भारत के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और अन्य भारतीय राष्ट्रीय नेता भी शामिल हुए और उन्होंने विशेष संबोधनों, लघु फिल्मों और महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर डाक टिकटों के एक सेट का आरंभ करके इस चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का समापन किया।

अंतिम समारोह राष्ट्रपति सम्पदा स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित किया गया जिसमें स्वच्छता में अद्यतन प्रौद्योगिकियों, एसजीडी-6 पर वैश्विक प्रगति तथा भारत और विश्व में स्वच्छता के इतिहास के अन्य विभिन्न पहलुओं को शोकेस करने वाली एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ डिजिटल प्रदर्शनी का भ्रमण किया।

इस समारोह का एक मुख्य आकर्षण राष्ट्रपिता के सम्मान में निर्मित फिल्म और संगीत थे जिसमें 120 से अधिक देशों के गायकों ने गांधी जी का प्रिय भजन "वैष्णवजन तो" (youtubelink:http://tinyurl.com/vaishnavjanato) गाया। युवाओं, स्वयं सेवकों, छात्रों और संगठनों जिन्होंने "स्वच्छ राष्ट्र" की प्राप्ति की दिशा में समर्पण की मिसाल पैदा की, उनको स्वच्छ भारत पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

"स्वच्छ जल और स्वच्छता प्राप्त करना सभी लोगों का अधिकार है। यदि हम स्वस्थ ग्रह पर लचीले समाज का निर्माण करना चाहते हैं और स्थायी विकास हेतु 2030 एजेन्डा की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस समस्या से तुरन्त निपटना होगा, जैसा कि भारत में हो रहा है।"

-एंटोनियो गुतरेस
संयुक्त राष्ट्र महासचिव

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव, एंटोनियो गुतरेस मुख्य कार्यक्रम में डिजिटल प्रदर्शनी को देखते हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी माता आनंदमयी को पुरस्कृत करते हुए

स्वच्छ भारत के तरुण पुरस्कार विजेता सीमा, बनिका नॉनगम और पी. संजीव

एक आदर्श गांव का निर्माण इस प्रकार होगा जहां संपूर्ण स्वच्छता हो। गांव के श्रमगार जिस पहली समस्या का समाधान करेंगे वह इसकी स्वच्छता होगी।

- महात्मा गांधी

प्रधानमंत्री ने अपना प्लेनरी संबोधन दिया जिसमें स्वच्छता पर महात्मा गांधी द्वारा दिए गए महत्व पर उन्होंने पुन: बल दिया। उन्होंने कहा कि यह गांधी जी की ही प्रेरणा थी जिससे परिणामस्वरूप स्वच्छ भारत मिशन हुआ और गांधी के शब्दों और आदर्शों की प्रेरणा से ही भारतीयों ने स्वच्छ भारत मिशन को विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बना दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह देश 2030 की लक्षित समय-सीमा से काफी पहले एसडीजी-6 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त सबक को साझा किया

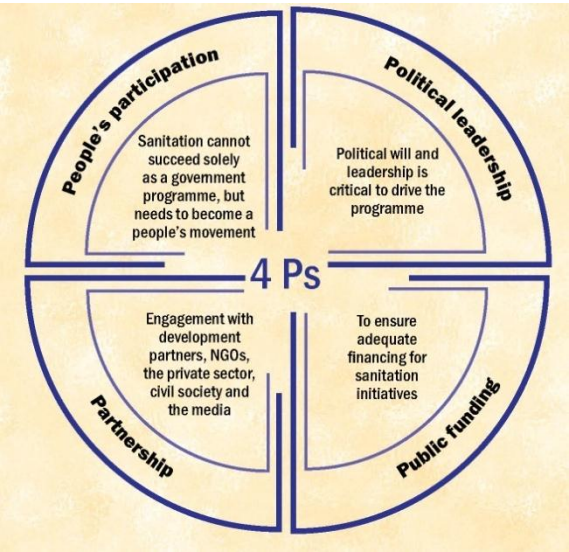

गांधी और स्वच्छता पर सेमिनार

महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती की पृष्ठभूमि में वर्धा के जिला पंचायत कार्यालय में गांधी और स्वच्छता पर एक सेमिनार का आयोजन दिनांक 27 अक्तूबर, 2018 को किया गया। कई प्रसिद्ध गांधीवादियों ने इसमें भाग लिया और

स्वच्छता तथा गांधी दर्शन पर बोले। महानिदेशक, विशेष परियोजनाएं के साथ सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। सीईओ- जिला पंचायत, अपर सीईओ-जिला पंचायत, जिला परिषद प्रतिनिधियों, एनजीओ प्रतिनिधियों, गांधी के अनुयायियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस सेमिनार में भाग लिया।

ओडीएफ (क्यूएंडएस) पर राष्ट्रीय कार्यशाला

ओडीएफ क्यूएंडएस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 को स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मिशन निदेशकों, राज्य समन्वयकों और परामर्शदाताओं ने भाग लिया। कुल 50 प्रतिभागी इस कार्यशाला में उपस्थित हुए जहाँ जियो टैगिंग, ओडीएफ गांवों का सत्यापन, अकार्यशील शौचालयों का रूपान्तरण, आईईसी व्यय, बेसलाइन (एलओबी) से छूटे हुए, मीडिया कवरेज, स्वच्छाग्रही, साझा शौचालय, रेट्रोफिटिंग, एनएआरएसएस-2018-19 आदि जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

ओडीएफ क्यू एमड एस पर पांच क्षेत्रीय कार्यशाला

केन्द्रीय, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के राज्यों के लिए क्रमशः 27 अक्तूबर को नागपुर में, 30 अक्तूबर को चेन्नै में, 14 नवम्बर को गुवाहाटी में और 15 नवम्बर को कोलकाता में, 30 नवम्बर को नैनीताल में ओडीएफ गुणवत्ता एवं स्थायित्व पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के राज्य सचिवों, मिशन निदेशकों, जिला मजिस्ट्रेटों, सीईओ (जिला पंचायत) ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान, जियोटैगिंग, ओडीएफ गांवों का सत्यापन, अकार्यशील शौचालयों का रूपान्तरण, नवाचारी आईईसी कार्यकलापों, आईईसी व्यय, बेसलाइन में छूट गए (एलओबी), स्वच्छाग्रहियों का प्रबंधन, साझा शौचालय और रिट्रोफिटिंग पर विस्तार से चर्चा की गई। लगभग 250 प्रतिनिधियों ने इन 5 कार्यशालाओं में भाग लिया।

विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता

ज़मीनी स्तर तक स्वच्छ भारत जनांदोलन को पुन: जागृत करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 9-19 नवम्बर, 2018 को विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता आयोजित की। इसका समापन, विश्व शौचालय दिवस को

19 नवम्बर को हुआ और प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 412 जिलों ने भागीदारी की। प्रतियोगिता 10 दिनों में की जाने वाली सूचीबद्ध गतिविधियों पर आधारित थी जिसमें 19 नवम्बर को आयोजित कार्यक्रमों पर विशेष बल था। गतिविधियों का उद्देश्य सामुदायिक जागृति, जागरूकता सृजन, स्वच्छता संबंधी नवाचार तथा ओडीएफ स्थायित्व था। जिलों के आवेदन स्वयं सत्यापित थे और एसबीएम वेबसाइट पर बने विशेष पोर्टल के माध्यम से जोड़े गए थे जिसमें अतिरिक्त दस्तावेजों, फोटो तथा विडियों को अपलोड भी किया जा सकता था। उत्कृष्ठ 12 जिलों और जिला कलेक्टरों को अभिनेता और निर्देशक श्री अक्षय कुमार द्वारा तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुंबई में एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। एसबीएम के राजदूतों और प्रसिद्ध स्वच्छता राजदूतों से विशेष कार्यक्रम में मिलने का मौका मिलेगा।

<u>स्वच्छ सुंदर शौचालय</u>

एमडीडब्ल्यूएस ने 1 जनवरी, 2019 को 'स्वच्छ सुंदर शौचालय' नामक एक माह लम्बा अभियान शुरू किया जिसमें परिवारों को अपने शौचालयों का रंग रोगन करने और उसे सुंदर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रो में इनका स्थायी उपयोग, स्वामित्व के भाव को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के दृश्य में सुधार लाना था। देशभर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदायों को शामिल करते हुए पंचायतों और जिला प्रशासकों ने अभियान का नेतृत्व किया। अभियान की समाप्ति 'स्वच्छ सुंदर शौचालय' प्रतियोगिता' से हुई जिसमें ग्राम पंचायतों और जिलों/राज्यों को सबसे रचनात्मक रूप से शौचालय को रंगने के लिए पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। स्वच्छ शक्ति, 2019 के दौरान कुरूक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 महिला सरपंचों को सम्मानित किया गया।

<u>गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर स्वच्छ भारत की झांकी</u>

स्वच्छता आंदोलन के पथप्रदर्शक, महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी के वर्ष में गणतंत्र दिवस, 2019 के आधिकारिक आयोजन के दौरान स्वच्छ भारत जन आंदोलन की अतुलनीय सफलता की कहानी को साझा करने का महान अवसर प्राप्त हुआ। गणतंत्र दिवस की परेड के

दौरान ग्रामीण समुदायों में सुरक्षित स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की इस कहानी को 'झांकी' के माध्यम से सृजनात्मक रूप से दर्शाया गया। एसबीएम-जी की झांकी में मानव के इतिहास में पहली बार किए गए विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम को प्रतीकात्मक रूप में सचित्र दर्शाया गया है जिसमें 45 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षित शौचालय प्रथाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी के स्वच्छता के स्वपन और उम्र, लिंग तथा बंधनों की सीमाओं को तोड़ते हुए स्वच्छता चैंपियनों के संघर्ष, साहस और सफलता की कहानियों के साथ-साथ सृजनात्मकताओं, संस्थापनाओं, एवी, मानव हस्तक्षेपों, तकनीक आधारित संवादात्मक घटकों को विशेषता दी गई थी। झांकी ने बापू के विचारों और करोड़ों भारतीयों के व्यवहार को मनाने का अतिविशिष्ट मंच उपलब्ध कराया। इसने अपनी इस यात्रा में एक अतिविशिष्ट मील का पत्थर भी हासिल किया है जिसमें समुदाय के नेतृत्व में चलाए गए अभियान अथवा जन आंदोलन ने एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। झांकी के प्रमुख घटक महात्मा गांधी के जीवन के उन पहलुओं से लिए गए थे जिसमें वे स्वच्छता के साथ गहराई से शामिल थे जिससे प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित होकर स्वच्छ भारत के उनके स्वप्न को साकार करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा की शुरूआत की।

<u>स्वच्छ शक्ति, 2019, कुरूक्षेत्र</u>

12 फरवरी, 2019 को कुरूक्षेत्र, हरियाणा में आयोजित स्वच्छ शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर से आईं 16,000 से अधिक महिला स्वच्छता चैंपियनों को संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत जन आंदोलन में नेतृत्व करने वाली महिलाओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवत गीता के जन्म स्थान,कुरूक्षेत्र में हो रहे इस सम्मेलन की प्रतिकात्मकता के विषय में बात की। उन्होंने कहा कि इसी भूमि पर देश भर से आई हजारों महिला स्वच्छाग्रहियों की मौजूदगी एक अन्य संदेश देती है और देश में तथा पूरे विश्व में स्वच्छता के संदेश की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन से महिलाएं कई अप्रत्याशित तरीकों से लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि मिशन की सफलता के बाद कार्यबल के रूप में देश से बहुत अधिक महिला भागीदारी देखी है।

<u>आईईसी, क्षमता निर्माण और ओडीएफ प्लस पर राष्ट्रीय कार्यशाला</u>

आईईसी, क्षमता निर्माण और ओडीएफ प्लस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 19 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यशाला में मिशन निदेशकों, राज्य समन्वयकों, राज्य के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, सीईओ (जेडपी) विकास भागीदारों सहित कुल 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समुदाय तक संदेश पहुँचाने के विभिन्न तरीकों, अभियान के तरीकों, स्थायित्व के मुद्दों और भविष्य के लिए क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई।

स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार

24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ कुंभ, प्रयागराज में **स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार** का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ, पेयजल एवं स्वच्छता की केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती तथा राज्य के अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में लगभग 20,000 नाविकों, पुलिसकर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया जिन्होंने 'स्वच्छ कुंभ'की महान सफलता में अथक कार्य किया। प्रधानमंत्री ने नाविकों, पुलिस कर्मियों तथा स्वच्छता कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करने के रूप में 'स्वच्छ सेवा सम्मान' पैकेज की भी घोषणा की।

2.5 पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) की गतिविधियाँ

2.5.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्य निष्पादन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत देश के सभी हिस्सों में ग्रामीण जनसंख्या के लिए शौचालय का प्रावधान किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वैयक्तिक परिवारों के लिए शौचालयों के निर्माण को वरीयता दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों में निर्मित आईएचएचएल के लिए केंद्र और राज्य के मध्य शेयर का वित्त पोषण ढांचा 90:10 अनुपात में है।

पूर्वी कामेंग में विश्व शौचालय दिवस गतिविधियाँ

दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर अरूणाचल प्रदेश में पूर्वी कामेंग जिले में जागरूकता रैलियों, अपशिष्ट संग्रहण आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया गया जो दिनांक 9 से 19 नवम्बर, 2018 के बीच ब्लॉक स्तर पर चलाए गए। दिनांक 09 नवम्बर को लुमडुंग गांव में ग्रामीण समुदायों, उनके मुखिया, पीआरआई (पंचायती राज कार्यकर्ता) और जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रतियोगिता आरंभ की गई। इसका आयोजन पूर्वी कामेंग के जिला प्रशासन द्वारा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं जल आपूर्ति प्रभाग (पीएचई और डब्ल्यूएस) सेप्पा के सहयोग से किया गया। इन कार्यकलापों का टिप्पणी करते हुए जिला कलेक्टर, श्री गौरव सिंह राजावत ने कहा कि यह कार्यक्रम जिले के हर जीपी में आयोजित किया गया। इसके अलावा, व्यापक आईईसी अभियान चलाए गए जिसके अंतर्गत घर-घर जाकर लोगों को शौचालय का प्रयोग निरंतर करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो स्थायित्व का एक प्रमुख कारक है। शुभारंभ के बाद सभी गांवों में वर्धित कार्यकलाप देखे गए जहाँ गाँव का बूढ़ा (गांव का मुखिया) शौचालय के प्रयोग के महत्व के बारे में बात करते दिखे। जिला पदाधिकारियों ने एसबीएम-जी के अंतर्गत निर्मित शौचालयों का निरीक्षण किया और आपस में बातचीत के दौरान यह खुशी जाहिर की कि ग्रामीण समुदाय न केवल शौचालय का प्रयोग करते हैं बल्कि उन्हें साफ एवं सुथरा रखने के लिए टॉयलेट क्लीनर का भी प्रयोग करते हैं। इस कवायद के बाद, स्वच्छतम शौचालयों के मालिक को प्रोत्साहन स्वरूप डस्टबिन दिए गए।

पूर्वी कामेंग जिसमें 139 ग्राम पंचायतें और 13704 परिवार हैं, को पिछले वर्ष 6616 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्मित होने के बाद 31 दिसम्बर, 2017 को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया।

2.5.2 (क) वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार अथशेष, जारी निधियाँ और व्यय निम्नलिखित है:

करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-2017 को एमआईएस के अनुसार अथशेष	रिलीज	कुल	एमआईएस के अनुसार व्यय
1	अरूणाचल प्रदेश	14.75	137.30	152.05	57.09
2	असम	340.43	1171.95	1512.38	721.63
3	मणिपुर	18.07	77.02	95.09	6.10
4	मेघालय	51.85	153.89	205.74	77.06
5	मिजोरम	10.32	46.24	56.56	31.73
6	नागालैंड	23.12	71.41	94.52	8.28
7	सिक्किम	9.18	12.98	22.16	1.01
8	त्रिपुरा	41.58	24.00	65.58	16.32
		509.29	**1694.79**	**2204.08**	**919.22**

2.5.2 (ख) वर्ष 2018-19 (मार्च, 2019 तक) के दौरान वित्तीय स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान (31.03.2019 तक) पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार अथशेष, जारी निधियों और व्यय निम्नलिखित है:

करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-2018 को एमआईएस के अनुसार अथशेष	रिलीज	कुल	एमआईएस के अनुसार व्यय
1	अरूणाचल प्रदेश	94.96	51.31	146.27	69.61
2	असम	790.75	882.09	1672.84	891.54
3	मणिपुर	88.99	75.06	164.05	36.62
4	मेघालय	128.68	0.00	128.68	72.19
5	मिजोरम	24.83	12.73	37.56	18.81
6	नागालैंड	86.24	59.93	146.17	60.84
7	सिक्किम	21.15	1.96	23.11	3.09
8	त्रिपुरा	49.26	116.93	166.19	104.76
		1284.86	**1200.01**	**2484.87**	**1257.45**

2.5.3 **(क) वित्तीय प्रगति : 2017-18**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर
1	अरूणाचल प्रदेश	34610	6850	41460	295
2	असम	142277	674181	816458	74
3	मणिपुर	30563	30955	61518	0
4	मेघालय	64654	22484	87138	129
5	मिजोरम	14313	10704	25017	59
6	नागालैंड	18466	772	19238	102
7	सिक्किम	0	0	0	27
8	त्रिपुरा	17368	16166	33534	18
	कुल :-	**322251**	**762112**	**1084363**	**704**

2.5.3 **(ख) वित्तीय प्रगति : 2018-19 (मार्च, 2019 तक)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर
1	अरूणाचल प्रदेश	2413	468	2881	470
2	असम	126465	616970	743435	80
3	मणिपुर	36589	35659	72248	62
4	मेघालय	249	0	249	247
5	मिजोरम	36	10	46	86
6	नागालैंड	45713	5167	50880	176
7	सिक्किम	0	0	0	85
8	त्रिपुरा	71739	63741	135480	9
	कुल :-	**283204**	**722015**	**1005219**	**1215**

2.6 : अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप योजना (टीएसपी)

2.6.1 एससी और एसटी के लिए प्रावधान

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य पूरी ग्रामीण आबादी के लिए शौचालयों का प्रावधान सुनिश्चित कर 2 अक्तूबर 2019 तक पूरे ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना है। अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान करना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वरीयता है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रोत्साहन देने के प्रावधान को विस्तृत किया गया है, जिसमें 1.4.2012 से एससी और एसटी वर्गों से संबंध रखने वाले गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों को भी शामिल किया गया है।

वर्ष 2011 से कुल आबंटन का 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए रखा गया और 10 प्रतिशत जनजाति उप योजना (टीएसपी) के लिए रखा गया है।

वर्ष 2018-19 के लिए 3185.17 करोड़ रुपये (14478.10 करोड़ रुपये के कुल आबंटन का 22 प्रतिशत आबंटन) एससी के लिए आबंटित किए गए हैं और 1447.81 करोड़ रू. (14478.10 करोड़ रुपये के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत आबंटन) एसटी के लिए आबंटित किए गए हैं। इसमें से, एससीएसपी के अंतर्गत 2775.44 करोड़ रुपए पहले ही राज्यों को जारी कर दिए गए हैं, जबकि मार्च, 2019 तक 1302.06 करोड़ रुपये पहले ही टीएसपी के अंतर्गत राज्यों को जारी कर दिए गए हैं।

एसबीएम (जी) के अंतर्गत एससी/एसटी के लिए हुई प्रगति की निगरानी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के द्वारा की जा रही है। मार्च, 2019 तक 2018-19 के दौरान निर्मित कुल 226.49 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों में से 40.24 लाख (17.77 प्रतिशत) आईएचएचएल, एससी परिवारों के हैं और 20.40 लाख (9.01 प्रतिशत) आईएचएचएल, एसटी परिवारों के हैं। राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-X** में दिया गया है।

2.7 : व्यवहारगत परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी)

2.7.1 आईईसी सहायता का उद्देश्य ऐसी प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना रहा है जो कार्यक्रम में प्रभावी, समरूप संप्रेषण को बढ़ावा देता हो। ये स्थायी स्वच्छता के लिए एक सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए एक राष्ट्र व्यापी आन्दोलन की दिशा में समग्र लक्ष्यों और रणनीतियों के अनुरूप हैं। इसके लिए आबंटित प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं:-

- सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन के लिए राष्ट्रव्यापी संप्रेषण अभियान का डिजाइन अपडेट करना।

- विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वित और संयुक्त कार्यकलापों के जरिए एसबीएम का ब्रांड निर्माण।
- सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन के लिए मीडिया एजेन्सियों की सेवा लेना, उन्मुख बनाना और सहायता करना।
- सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन के लिए एक मल्टीमिडिया मिक्स संप्रेषण कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करना।
- सामूहिक व्यवहार परिवर्तन (सीबीसी) प्रयासों के कार्यान्वयन पर क्षमता निर्माण इनपुट, मॉनीटरिंग और माप की व्यवस्था और फीडबैक लूप उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करना
- सर्वोत्तम एवं अगली रीतियों के प्रलेखन, प्रसार और रिपोर्टिंग के लिए तंत्र विकसित करना।
- संप्रेषण सामग्री और कोलेटरल्स (आशुशंगिक) के विकास और खरीद को सहायता।
- सीबीसी प्रयासों के रणनीतिक कार्यान्वयन के लिए कार्यशालाओं, सम्मेलनों, परामर्श जैसे कार्यकलाप आयोजित करने में सहायता देना।
- मास मीडिया और आईपीसी माध्यमों का उपयोग करते हुए समग्र जागरूकता अभियान विकसित करने के लिए एक पूर्ण-सेवा राष्ट्रीय सृजनात्मक फर्म के लिए संविदा की सेवा लेना और इसका प्रबंधन करना।
- एसबीएम संबंधित कार्यकलापों में लगे दाताओं (विश्व बैंक/यूनिसेफ/जीएसएफ आदि) के साथ समन्वय। ज्ञान साझा करने और संसाधनों का उपयोग करने, सीखे गए सबक और सर्वोत्तम रीतियों पर स्वच्छता समुदाय में अन्य सुसंगत संस्थाओं और नेटवर्क के साथ संपर्क बनाना।

इस संदर्भ में, निम्नलिखित कार्यान्वित किए गए हैं :-

2.7.2 रणनीति

- आईईसी धन (कार्यक्रम व्यय का 5 प्रतिशत) को व्यय करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए और राज्यों को जारी किए गए ताकि निधि का प्रभावी एवं सक्षम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- एक रणनीतिक आईईसी ढांचे का विकास और प्रसार किया गया ताकि राज्य स्तरों पर आईईसी योजनाओं को विस्तृत और एकीकृत बनाया जा सके। सुसंगत रणनीतिक योजना फॉर्मेट विकसित किए गए और राष्ट्र स्तरीय कार्यशालाओं के जरिए इन ढांचों और फॉर्मेटों को राज्यों के साथ साझा किया गया और 29 राज्यों से वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक

आईईसी योजनाएं प्राप्त की गईं। उपर्युक्त योजनाओं को वर्ष 2018-19 की एआईपी में भी शामिल किया गया है।

- जो आईईसी ढांचा विकसित किया गया, उसके आधार पर केंद्रीय व्यय के लिए एक सुगठित संप्रेषण योजना भी विकसित की गई जो पहले एक मास मिडिया कार्यान्वयन योजना तक सीमित थी।
- एसबीएम (जी) के अंतर्गत स्थायित्व के लिए एक आईईसी दिशानिर्देश, प्रक्रिया के अधीन हैं।

2.7.3 व्यापक अभियान

- आइकॉनिक मेगा कार्यक्रम - खुले में शौच से मुक्ति सप्ताह, स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि, स्वच्छता ही सेवा, चलो चम्पारण जैसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि एसबीएम हेतु अभिरूचि का सृजन, कार्यक्रम का कड़ाई से कार्यान्वयन और फील्ड में कार्यक्रम संकेतकों की परिणामी सुपुर्दगी (उदाहरण के लिए शौचालयों का निर्माण, स्वच्छाग्रहियों का नामांकन आदि) सुनिश्चित की जा सके।
- अभियानों में लाभार्थियों, ओपिनियन लीडरों, राजनेताओं, स्कूली विद्यार्थियों और अन्यों की विशाल पैमाने पर भागीदारी शामिल थी और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए।

2.7.4 सम्प्रेषण कॉलेटरल्स (सहायक सामग्री)

- मेगा राष्ट्रीय अभियानों और कार्यकलापों-एसएचएस 17, एस5 17, चलो चम्पारण, स्वच्छ भारत दिवस के लिए मास मीडिया संप्रेषण कोलेटरल्स सृजित किए गए।
- ट्विनपिट प्रौद्योगिकी और शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष संप्रेषण कॉलेटरल सहायक सामग्री सृजित की गई।
- एसबीएम के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संप्रेषण कोलेटरल्स के सृजन के लिए खेल एवं बॉलीवुड के सितारों को शामिल किया गया।
- स्वच्छग्रही पर पहली ई-पुस्तिका सृजित की गई और प्रधानमंत्री द्वारा इसका विमोचन किया गया।
- स्वच्छता रथ जैसे नवाचारी आईईसी चैनल तैयार किए गए और अखिल भारतीय स्तर पर अभियान मोड में प्रसारित किए गए।
- एसबीएम की प्रगति से संबंधित नियमित सामग्री तैयार की गई और 3 ईयर बुक, वार्षिक रिपोर्ट, पीएमओ के लिए उपलब्धि जानकारी, उपयुक्त प्रेस रिलीज, बाह्य संप्रेषण दस्तावेज आदि के माध्यम से विभिन्न रिपोर्टों एवं प्रकाशनों के प्रयोजनार्थ इनका प्रसार किया गया।

2.7.5 रिपोर्टिंग

- फील्ड में चल रहे विभिन्न आईईसी कार्यकलापों को कैप्चर करने के लिए आईएमआईएस में संशोधन किया गया जिसे फॉर्मेट की समस्याओं की वजह से शायद कैप्चर न किया गया हो। राज्यों के साथ नियमित फॉलो-अप किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रभावी आईईसी अभियान चला रहे हैं और उन्हें आईएमआईएस पर दर्ज कर रहे हैं।

2.7.6 निधियाँ

- वर्ष 2017-18 के दौरान, आईईसी के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों से यह सुनिश्चित हुआ कि आईईसी व्यय (केंद्र+राज्य अंश) पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना बढ़ गया है।
- आईईसी निधियों के व्यय पर पैनी नज़र रखने के लिए डाटा माइनिंग और विश्लेषण किया गया।
- इसके बारे में राज्यों को सूचित किया गया और कार्यक्रम निधियों के संवितरण को लक्षित आईईसी व्यय (कार्यक्रम व्यय का 5 प्रतिशत) की उपलब्धि से लिंक किया गया।

2.7.7 स्वच्छता को सभी का कार्य बनाना

- अन्य संबंधित मंत्रालयों की राष्ट्रीय मेगा कार्यक्रमों में भागीदारी कराना ताकि उनको स्वच्छता आन्दोलन का एक हिस्सा बनाया जा सके।
- युवा कार्य मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ विशेष परियोजनाएं और प्रस्ताव विकसित किए गए।
- उचित अनुसंधान और परामर्श के बाद राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के लिए तकनीकी संकल्पना तैयार की गई और कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन हेतु लंबित है।

2.7.8 सम्पादकीय मिडिया से जुड़ना

- वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रेस सम्मेलनों, प्रेस रिलीजों, पैनल चर्चाओं, ओप-एड लेखन और पत्रकार के दौरे के जरिए मीडिया भागीदारी में तेजी लाई गई।

2.7.9 व्यावसायिकता (प्रोफेशनलिज्म) को अन्तर्निहित करने के लिए सहयोग और हिस्सेदारी)

- अभियान विशिष्ट सृजनात्मक कोलेटरल्स विकसित करने के लिए एकीकृत सृजनात्मक एवं मिडिया एजेन्सी के रूप में परामर्शदाता समूह की सेवा ली गई।

- विकास हिस्सेदारों यूनिसेफ और विश्व बैंक के प्रोएक्टिव सहयोग से विभिन्न संप्रेषण कार्यकलाप चलाए गए। (उदाहरण के लिए मल्टी मीडिया अभियान, रणनीतिक कार्य ढांचा, प्रभाव मूल्यांकन आदि।
- उच्च गुणवत्ता युक्त संप्रेषण उत्पादों (अर्थात् प्रिंटएड्स, टीवीसी, रेडियो स्पॉट्स, श्रव्य दृश्य, प्रकाशन, ई-पुस्तिका आदि) की सुपुर्दगी के लिए विकास के हिस्सेदारों और उनकी एजेन्सियों के साथ नियमित भागीदारी।
- बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे प्राथमिकतापूर्ण राज्यों के लिए आईईसी परामर्शदाताओं का चयन एवं नियुक्ति। ओडिशा को उनकी जिला स्तरीय आईईसी योजना प्रक्रिया के दौरान विशेष इनपुट उपलब्ध कराए गए।

2.8 : स्वच्छ भारत मिशन-विशेष परियोजनाएँ

2.8.1 स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल (एसआईपी)

प्रधानमंत्री के विजन के हिस्से के रूप में, यह निर्णय लिया गया कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले विरासत स्थलों और, अधिक संस्था में आने वाले मुख्य तीर्थ स्थलों में उच्चतर स्तर की स्वच्छता लाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने बार-बार सलाह दी है कि न केवल प्रसिद्ध स्थलों को बल्कि इर्द-गिर्द और आस-पास के क्षेत्रों को भी साफ रखा जाए। एसबीएम के एक घटक के रूप में, स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल परियोजना (एसआईपी) का लक्ष्य इसी की प्राप्ति है।

एमडीडब्ल्यूएस, एसआईपी के लिए नोडल मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जैसे हिस्सेदार मंत्रालयों तथा राज्यों और स्थानीय निकायों, न्यासों एवं प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करता है जो प्रसिद्ध स्थलों का प्रबंधन करते हैं। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और निजी कॉर्पोरेट इन एसआईपी की स्वच्छता की कार्य योजनाओं को वित्तीय रूप से प्रौद्योगिकीय रूप से और प्रबंधन कौशल से सहायता देने के लिए आगे आए हैं। इन कार्य योजनाओं को मल्टी स्टेकहोल्डर परामर्श के जरिए और तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित किया गया है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर चार परामर्श और प्रगति संबंधी समीक्षाएं की गई हैं।

इस समय, इस परियोजना के जरिए 30 स्थलों पर परियोजना आरंभ की गई है और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। स्वच्छता में सुधार लाने के लिए चरणों में, ऐसे 100 स्थलों पर यह परियोजना लागू करने की योजना है ताकि आगन्तुक का अनुभव लाभदायक हो।

क्र.सं.	आइकॉनिक स्थल	प्रायोजक	क्र.सं.	आइकॉनिक स्थल	प्रायोजक
	चरण-I			चरण-II	
1	अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर	हिंदुस्तान जिंक इंडिया लिमिटेड, वेदांता ग्रुप	1	गंगोत्री	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन
2	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी), मुम्बई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)	2	यमुनोत्री	गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)
3	श्री माता वैष्णो देवी, कटरा	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	3	चारमीनार, हैदराबाद	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)
4	स्वर्ण मंदिर,	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	सोमनाथ मंदिर, गिर सोमनाथ	आइडिया सेल्यूलर

	अमृतसर	(एचपीसीएल)			
5	कामाख्या देवी श्राइन, गुवाहाटी	ऑयल इंडिया	5	कालादि (शंकराचार्य का जन्म स्थान), एर्नाकुलम	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
6	मणिकर्णिका घाट, वाराणसी	नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड	6	महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन	नेशनल हाइड्रो पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी)
7	मीनाक्षी मंदिर, मदुरै	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	7	बैद्यनाथ धाम, देवघर	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीआईएल)
8	ताजमहल, आगरा	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)	8	गया तीर्थ, गया	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
9	तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम, तिरूपति	ऑयल एवं नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन और नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	9	कॉन्वेंट एंड चर्च ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ एसीसी, गोवा	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
10	श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	10	गोमतेश्वर मंदिर, श्रावणबेलगोला	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

आइकॉनिक स्थल चरण ।।। (वर्तमान)

क्र.सं.	स्थान	जिला	राज्य	महत्वता
1.	राघवेन्द्र स्वामी मंदिर	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	धार्मिक स्थल
2.	हजारदुआरी पैलेस	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	विरासत स्थल
3.	ब्रह्म सरोवर मंदिर	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	धार्मिक स्थल
4.	विदुरकुटी	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	विरासत स्थल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन के महाभारत सर्किट से जुड़ा है
5.	मन गांव	चमोली	उत्तराखंड	बद्रीनाथ मंदिर के पास पर्यटन स्थल (चीन सीमा पर भारत का अंतिम गांव)
6.	पंगोंग झील	लेह	जम्मू एवं कश्मीर	समुद्र तल से काफी ऊंजा पर्यटन स्थल
7.	नागवासुकी मंदिर	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	धार्मिक स्थल

8.	ईम, कीथल	इम्फाल	मणिपुर	देश में महिलाओं द्वारा संचालित सबसे बड़ा बाजार
9.	श्रीधर्म सास्था मंदिर	पठानमथिट्टा	केरल	धार्मिक स्थल
10.	कण्वाश्रम	पौड़ीगढ़वाल	उत्तराखंड	विरासत स्थल

2.8.2 गंगा ग्राम

गंगा ग्राम, एसबीएम और नमामि गंगे कार्यक्रम के बीच एक अन्य अंतर-मंत्रालयी परियोजना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, जो गंगा तट पर स्थित गांवों में स्वच्छता हेतु जिम्मेदार है, गंगा ग्राम परियोजना का समन्वय भी कर रहा है। यह परियोजना अन्य विभागों के साथ तालमेल स्थापित कर बेहतर सफाई और संरचनागत सुविधाओं पर बल देती है। गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 12 अगस्त, 2017 को इलाहाबाद में सरपंचों के एक बहुत बडे सम्मेलन में हुआ था जहाँ सभी 4475 गंगा ग्रामों को ओडीएफ घोषित किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने 24 गंगा ग्रामों की पहचान कर उन्हें गंगा ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने के लिए की। गंगा ग्राम में निम्न परिकलित है- खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ), तालाबों और जल स्रोतों का नवीकरण, स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, आधुनिक शवदाहगृह ढांचों का निर्माण, केंद्र तथा राज्य स्कीमों का समन्वय, अपशिष्ट जल का उचित निपटान, ठोस अपशिष्ट का उचित निपटान, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक खेती, बागवानी, औषधीय पौधे।

खुले में शौच और अनुपयुक्त अपशिष्ट निपटान से न केवल नदी बल्कि गांव पर भी पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाए गए। गंगा ग्राम गतिविधियों के स्वामित्व और रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया गया है। गंगा ग्राम परियोजना में लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, गंगा ग्राम के पहलों को अधिक सुदृढ़ बनाने तथा गंगा स्वच्छता सम्मेलन को एक जन आंदोलन बनाने पर पुन: बल देने हेतु एमडीडब्ल्यूएस ने मई, 2018 में झूंसी, इलाहाबाद में गंगा चौपाल आयोजित किया और इसी के साथ-साथ नवम्बर, 2018 में पांच स्थानों नामत:

झारखंड के साहिबगंज, बिहार के बक्सर, उत्तर प्रदेश के कन्नौज तथा बिठुर और उत्तराखंड के श्रीनगर में भी गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन आयोजित किए गए।

साहिबगंज, झारखंड

बक्सर, बिहार

कन्नौज, उत्तर प्रदेश

बिठुर, उत्तर प्रदेश

श्रीनगर, उत्तराखंड

2.8.3 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

स्वच्छ कार्य योजना (एसएपी) स्वच्छ भारत को सभी का कार्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रायोगिक पहल है। इसने सभी मंत्रालयों तथा विभागों को एक छत्र के नीचे कर दिया है और वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति के लिए योगदान दिया है। अब जब एसएपी कार्यान्वयन के अपने दूसरे वर्ष (2018-19) में प्रवेश कर रहा है मंत्रालय और विभाग अपने स्वच्छता कार्य योजना के माध्यम से योगदान देने हेतु अब अधिक अनुभवी और संरचना तथा ज्ञान की दृष्टि से अच्छी तरह सशक्त हैं। वित्तवर्ष 2018-19 के दौरान 72 मंत्रालय तथा विभागों ने 19036.06 करोड़ रुपए (एसएपी पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार आबंटित किए हैं और आज की तारीख तक 94% (17853.45 करोड़ रुपए) का उपयोग किया जा चुका है।

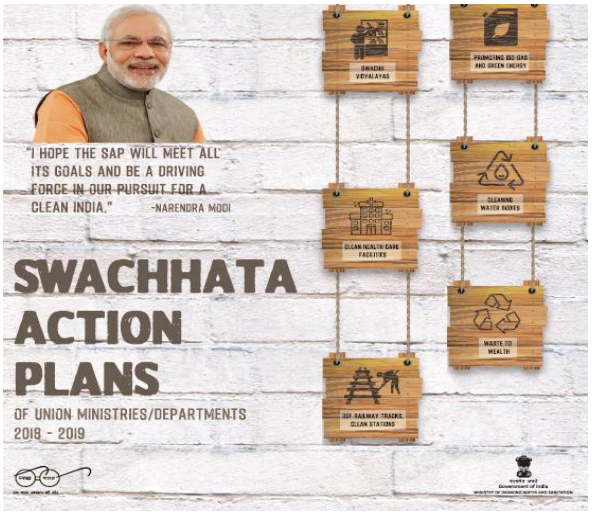

एसएपी में बहु-आयामी गतिविधियां की गई हैं जिसमें गांवों को गोद लेना, स्वच्छता के ढांचे के लिए समर्थन देना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, स्मारकों की स्वच्छता, स्कूली स्वच्छता, अस्पतालों और आइकॉनिक स्थानों पर बेहतर स्वच्छता आदि शामिल हैं। कार्यक्रम के महत्व को ध्यान देते हुए एक अलग बजट शीर्ष "96" सृजित किया गया है।

School Rally

Sensitisation at Market Place

School awareness

Drawing competition

Nukkad Natak

Swachhata Shramdaan

Distribution of Dustbin

WASH Training

स्वच्छता कार्य योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं –

- **अंतर मंत्रालयी** तालमेल दृष्टिकोण
- स्वच्छता के लिए विशिष्ट **बजटीय आबंटन**
- विशेष बजट शीर्ष “96” चिह्नित किया गया
- मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा तिमाही समीक्षा
- एसएपी के सार-संग्रह का प्रकाशन व परिचालन
- एसएपी नोडल अधिकारियों द्वारा एसएपी/प्रशिक्षणों की निगरानी हेतु पोर्टल का निर्माण और प्रबंधन
- एमएनआरई, एमओआरटीएच और एमओपीएनएंडजी को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए गए।

2.8.4 स्वच्छता पखवाड़ा (एसपी)

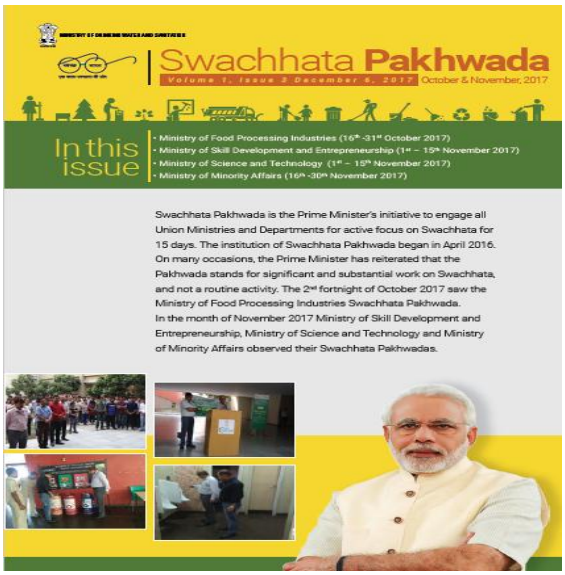

अप्रैल, 2016 में शुरू किया गया स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल है। यह प्रधानमंत्री के सभी केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में नियोजित करने के विजन से प्रेरित है ताकि स्वच्छता सभी का कार्य बन सके। प्रधानमंत्री में स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देने हेतु एक समरूपी कार्यक्रम के माध्यम से सभी गैर-स्वच्छता मंत्रालयों और विभागों को शामिल करने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का विचार रखा था ताकि 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2018 में 75 मंत्रालयों और विभागों ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। एमडीडब्ल्यूएस, समन्वयक मंत्रालय होने के नाते सोशल तथा मुख्य धारा की मीडिया द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा गतिविधियों की व्यापक पहुंच की गति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

उद्देश्यः

- स्वच्छ भारत मिशन की गति को वर्ष भर जारी रखना।
- मंत्रालयों के नियमित कार्यक्रमों में स्वच्छता की गतिविधियों को शामिल करना।
- अभिनव, पर्याप्त और स्थायी पहलें: प्रतीकात्मक कार्यों से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना

वर्ष 2018 में 75 मंत्रालयों और विभागों ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। एमडीडब्ल्यूएस, समन्वयक मंत्रालय होने के नाते सोशल तथा मुख्य धारा की मीडिया द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा गतिविधियों की व्यापक पहुंच की गति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यह प्रतीक्षात्मक कार्यों से काफी आगे बढ़ चुका है और तीन वर्षों में वास्तविक प्रभावपूर्ण गतिविधियों में शामिल हो चुका है। रेलवे बोर्ड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआरआरडी एण्ड जीआर) को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं।

स्वच्छ कुंभ प्रयागराज

वर्ष 2019 के अर्ध कुंभ के दौरान योजनाबद्ध प्रमुख स्वच्छता मध्यवर्तन निम्न थे:-

1. कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 1.24 लाख अस्थायी शौचालय बनाए गए, इज्जतघरों का रंग-रोगन किया गया तथा प्रत्येक शौचालय के सामने की दीवार पर ब्रैंडिंग की गई।
2. स्वच्छता ग्राम में मेला क्षेत्र में एक बड़ी स्वच्छ भारत मिशन प्रदर्शनी लगाई थी।
3. मेला क्षेत्र में लगभग 25% होर्डिंग एसबीएम संदेशों के थे।
4. न्यूनतम 20 एलईडी स्कीन पर लगातार एसबीएम संदेश दर्शाए जाते रहे।
5. स्वच्छता के पहलुओं को बढ़ावा देने हेतु मेले में 1500 स्वच्छाग्रहियों (प्रयागराज से 1300 तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से 200) ने कार्य किया। आसानी से पहचान करने हेतु उन्हें एक उपयोगी किट बैग और वर्दी दी गई थी। 5-6 स्वच्छाग्रहियों के समूह को मेला स्वच्छता ऐप के साथ एक मोबाइल भी दिया गया था।
6. करोड़ों आगंतुक श्रद्धालुओं तक एसबीएम के आईईसी संदेशों को पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थलों पर संदेशों की चित्रकारी की गई थी।

प्रवासी भारतीय दिवस, वाराणसी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी के पीबीडी स्थल पर 300 स्क्वैयर मीटर के क्षेत्र में एसबीएम-जी प्रदर्शनी की योजना बनाई गई और उसका कार्यान्वयन किया गया। माननीय ईएएम ने दिनांक 23 जनवरी, 2019 को ''सुलभ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन पर भारतीय प्रवासियों की भूमिका'' की थीम पर वार्ता हेतु माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता को आमंत्रित किया।

<u>स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप</u>

दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री के प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वच्छता हेतु कम से कम 100 घंटे अर्पित करने के आह्वान पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सहयोग से ''स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप'' की शुरूआत की। कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के युवाओं को नियोजित करना, उनके कौशल का विकास और स्वच्छता संबंधी कार्य के लिए उनका ओरिएन्टेशन और स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन बनाना है। दिनांक 29 अप्रैल, 2018 के मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए युवाओं का आह्वान किया, ''मैं इंटर्नशिप के लाभ को प्राप्त करने हेतु छात्रों और युवाओं, लड़कों और लड़कियों को आमंत्रित करता हूँ। आप MyGov पर ''स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप'' पर अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस स्वच्छता अभियान को आगे ले जाने में हमारे युवा हमारा हाथ बटाएंगे।'' एमडीडब्ल्यूएस, इंटर्नशिप में कैंपस और गैर-कैंपस युवाओं को व्यापक भागीदारी करने के लिए

सुविधा देता है और भविष्य में ऐसे पहलों को आगे ले जाने का इरादा रखता है। सामाजिक मीडिया का अधिकतम उपयोग करके ऑन-कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में सक्रिय युवा एकजुटता अभियान शुरू किए गए। गांवों में इंटर्न को सुविधा देने और कार्यक्रम की सफलता हेतु राज्यों, विश्वविद्यालयों, जिलों और पंचायतों को सलाह दी गई तथा विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉंफ्रेंस आयोजित किए गए।

इंटर्नशिप में दिनांक 1 मई से 31 जुलाई, 2018 की अवधि के दौरान भारत में ग्रामीण स्वच्छता के उद्देश्य में योगदान देने हेतु आवेदकों, महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों अथवा नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) में सूचीबद्ध युवाओं को एक अथवा अधिक गांवों का दौरा करने तथा उनमें अपनी पसंदीदा गतिविधियां को चलाना अपेक्षित था। आवेदनों को एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया गया था। राष्ट्र के युवाओं ने स्वंय अथवा सामूहिक रूप से अपने चयनित गांवों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां चलाकर, कम से कम 100 घंटों का श्रमदान किया। इन गतिविधियों में सूचना-शिक्षा-संवाद गतिविधियों से लेकर ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों और शौचालय निर्माण में समर्थन जैसी गतिविधियां शामिल थीं। इंटर्नशिप पूरी होने पर उसी पोर्टल पर इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रविष्ट की गई थी।

पोर्टल पर देश भर से 3.89 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया और इंटर्नशिप किया। 2 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट तीन ग्रीष्मकालीन इंटर्न को सम्मानित किया गया। इंटर्नशिप पूरी करने पर सभी भागीदारों को स्वच्छ भारत इंटर्नशिप प्रामणपत्र दिया गया।

2.8.5 जिला स्वच्छ भारत प्रेरक (जेडएसबीपी)

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन हेतु समग्र समन्वित मंत्रालय के रूप में और एसबीएमजी के कार्यकारी मंत्रालय के रूप में अपनी दोहरी-भूमिका में देश में पूर्ण ऊर्जा और संसाधनों को उपयोग करने का प्रयास कर रहा है ताकि वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। चूंकि जिले और राज्य ओडीएफ बनने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं उन्हें निरंतर सहायता की जरूरत है। जिलों में क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण में मदद करने तथा उन्हें तकनीकी और प्रबंधन सहायता देने के उद्देश्य से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट की साझेदारी से देश भर में प्रत्येक जिले में एक **जिला स्वच्छ भारत प्रेरक (जेडएसबीपी)** के रूप में काम करने के लिए कुशल युवा पेशेवरों के एक कैडर की पेशकश करने का निर्णय लिया है जिसके लिए राज्य सरकार अथवा जिले को कोई लागत नहीं देनी पड़ेगी।

इन युवा जेडएसबीपी की भूमिका, विभिन्न एसबीएम-जी संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करके एसबीएम-जी के कार्यान्वयन में जिला प्रशासकों को समर्थन देना थी। एसबीएम-जी की तीव्र प्रगति

के लिए जेडएसबीपी को कलेक्टर/डीएम/सीईओ/सीडीओ/डीडीओ के साथ एकजुटता से काम करना और उन्हें समर्थन देना था। इस मिशन में स्मार्ट माइंड को नियुक्त करने के विस्तृत लाभों के अतिरिक्त, इससे कार्यक्रम में युवाओं की संगठित भागीदारी सुनिश्चित होगी और मिशन को नए विचार, ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होगा और एक ओडीएफ भारत की ओर गति में तेजी आएगी। जेडएसबीपी को एसबीएम संबंधित मुद्दों, विशेषकर सामुदायिक दृष्टिकोण और व्यवहार परिवर्तन आदि पर उनको सौंपे गए कार्यों को करने के लिए फील्ड में नियोजित करने से पहले संपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया था। एसबीएम-जी को आगे ले जाने में इन प्रेरकों की भूमिका अनुकरणीय है।

2.9: एसबीएम (जी) का अन्य स्कीमों के साथ विलय

एसबीएम (जी) के अंतर्गत यह परिकल्पित किया गया है कि स्वच्छता कार्यक्रम को एक अभियान रूप में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि खुले में शौच मुक्त गांवों के सृजन के उद्देश्य से संतृप्त परिणामों के लिए संपूर्ण समुदाय को कवर किया जा सके। इस नए दृष्टिकोण में इसकी पहचान की गई है कि स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के कई आयाम होते हैं जो विविध प्रौद्योगिकीय विकल्पों से स्वच्छता अवसंरचना के सृजन से लेकर गहन आईईसी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के जरिए शौचालय की मांग के सृजन के लिए समुदायों को प्रेरित करने जैसे संवेदनशील कार्यकलाप तक होते हैं। भारत सरकार ओडीएफ गांवों में सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को प्राथमिकता देने के लिए एक निर्णय पहले ही ले चुकी है। इसी प्रकार राज्य सरकार ओडीएफ गांवों में राज्य सरकार की स्कीमों को प्राथमिकता देने के लिए नीतिगत निर्णय ले सकती है।

शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की करीबी भागीदारी अति आवश्यक है। स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालयों के रखरखाव के बारे में ग्राम शिक्षा समिति और पैरेन्ट टीचर एसोसिएशन की बैठकों में नियमित चर्चाएं तथा ओडीएफ कार्यकलापों को स्थायी बनाए रखने पर स्कूलों में शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ नियमित चर्चा से स्थायित्व सुनिश्चित होता है।

जिला प्रशासन, उन निगरानी समितियों/नेचुरल लीडरों/पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन करता है, जिन्होंने गांव को ओडीएफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और उन्हें विभिन्न विकासात्मक कार्याकलापों में शामिल करता है, स्वच्छता चैंपियनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करता है और ओडीएफ स्थिति, जो एक स्थायी ओडीएफ समुदाय का महत्वपूर्ण घटक है, को निरंतर बनाए रखने वाले गांवों के लिए पुरस्कार स्कीमें शुरु करता है।

2.9.1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस)

सुरक्षित पेयजल, उत्तम स्वच्छता और बाल स्वास्थ्य के बीच नजदीकी संबंधों पर विचार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एमडब्ल्यू एंड सीडी तथा

एमडीडब्ल्यूएस के कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय विलय के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।

दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 के एसबीएम (जी) आरंभ होने के साथ, एमडब्ल्यू एंड सीडी द्वारा आंगनवाड़ी शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।

2.9.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी) के साथ विलय के क्षेत्र

एमडीडब्ल्यूएस ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ विलय की पहल आरंभ की है।

एसबीएम (जी) के घटकों में, जहां भी व्यवहार्य हो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) के साथ विलय रूप में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन शामिल हैं।

कूड़ा घर, खुले में शौच स्थल अब विलोपित कूड़ा बने

लोगों को खुले में शौच करने से रोकने के लिए, खासकर तब जब उनके पास शौचालय हों: और उन्हें सड़कों के किनारों अथवा रास्ते पर कूड़ा डालने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने इन सभी स्थलों को विलोपित कूड़ा घर में बदल दिया है (अनुवादित- कचरे के निपटान का घर)। ऐसे क्षेत्रों की घेराबंदी की गई है और उन्हें फूलों के पौधों तथा अन्य पौधों से सजाया गया है। इनके बाहर नोटिस लगाया गया है कि "यह ग्राम पंचायत की संपत्ति है। कूड़ा फैलाना गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" सुश्री ऋतु माहेश्वरी, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के अनुसार ग्राम पंचायतों (जीपी) के मध्य लगभग 50 स्थल हैं जहां प्रधानों और जीपी सचिवों ने ऐसी भूमि का प्रभार ग्रहण किया है जहां खुले में शौच आम बात थी और कूड़े का ढेर लगाया जाता था, इन्होंने इन स्थानों को सुंदर बगीचों और समतल मैदानों तथा बाउंडरी वाले क्षेत्र बना दिया है। इनमें से कुछ में लोगों को बैठने के लिए बेंच हैं, टहलने के लिए मार्ग हैं और छोटे बच्चों के लिए खेल के मैदान भी हैं। 50 अतिरिक्त विलोपित कूड़ा घरों का निर्माण प्रगति पर है। समुदाय को प्रेरित करते हुए यह स्पष्ट संदेश देता है कि वे सुरक्षित स्वच्छता प्रथाएं अपनाएं और अपने घरों में ही अपशिष्ट को अलग-अलग करें। गाजियाबाद, राज्य में अगस्त, 2017 में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति प्राप्त करने वाला तीसरा जिला है। स्थायित्व पर टिप्पणी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा "आज कल खुले में शौच करने के कम मामले सामने आते हैं।" ओडीएफ का संदेश निश्चित रूप से सभी लोगों तक व्याप्त हो गया है।

2.9.3 एनआरडीडब्ल्यूपी के साथ विलय

यह स्पष्ट है कि शौचालय को साफ एवं उपयोग के लायक बनाये रखने के लिए जल की उपलब्धता आवश्यक है। सुनिश्चित एवं निरंतर जल आपूर्ति की व्यवस्था से न केवल शौचालय निर्माण एवं इसके प्रयोग में सहायता मिलती है बल्कि लोगों को भोजन से पहले एवं बाद, शौच के बाद हाथ धोने, सफाई बनाए रखने और घरों के अंदर-बाहर, उचित साफ-सफाई बनाये रखने सहित उत्तम स्वच्छता रीतियों को अपनाने में प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार, स्वच्छता प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता को प्राथमिकता आधार पर ध्यान में रखने की जरूरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और एसबीएम (जी) के विलय के जरिए जल एवं स्वच्छता के प्रति एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ओडीएफ घोषित गांवों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। दिनांक **31.03.2019** तक दी गई सूचना के अनुसार खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित गांवों की **15,93,454** बसावटों में से **6,61,838 (41.53%)** बसावटों को नल जल आपूर्ति स्कीमें (पीडब्ल्यूएसएस) उपलब्ध करा दी गई हैं।

2.9.4 हाथ से सफाई के उन्मूलन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ विलय संबंधी कार्य

एम्प्लॉयमेन्ट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1993 के प्रख्यापित हो जाने के बाद सूखे शौचालयों के निर्माण एवं अनुरक्षण और इसकी सफाई के लिए किसी मनुष्य को नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। जनगणना **2011** में 12.76 लाख अस्वच्छ शौचालयों की मौजूदगी बताई गई है, जिसमें से देश के ग्रामीण हिस्सों में 5.86 सूखे शौचालय हाथ से साफ किए जाते हैं।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी मौजूदा बकेट शौचालय यदि कोई हो, तो उसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किया जाना होता है। इसके लिए लाभार्थी को उपलब्ध प्रोत्साहन वैयक्तिक घरेलू शौचालयों के निर्माण के समान ही है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि जहां भी अस्वच्छ शौचालय मौजूद हैं और जनगणना 2011 में हाथ से सफाई की रिपोर्ट की गई है, वहां सभी गांवों में प्राथमिकता आधार पर मौजूदा बकेट शौचालयों अथवा सूखे शौचालय को स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किया जाए।

राज्यों ने इस पर एक सर्वक्षेण कराया और **273909** अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं और **31.03.2019** तक **267272 (97.58%)** अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया गया है।

2.9.5 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विलय

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्रः- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके अंतर्गत, इन ब्लॉकों में चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) को उन्हें स्वच्छता मानदंडों के अगले उच्च स्तर पर जाने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू) द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एसएसएस की शुरूआत से यूनीसेफ और संबंधित राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

2.9.6 मानव संसाधन मंत्रालय के साथ विलय

स्कूली पाठ्यक्रम में स्वच्छता अध्याय- इस सहयोग के तहत स्वच्छता पर एक अध्याय तैयार किया गया है और उसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए एनसीईआरटी को दिया गया है। शीघ्र ही उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्वच्छता अध्याय और सह-पाठ्यक्रम और स्वच्छता पर अतिरिक्त पाठ्यक्रम तथा स्वच्छता पर शिक्षकों के लिए ज्ञान सामग्री जारी की जाएगी।

2.10 : एसबीएम (जी) के अंतर्गत मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (एम एण्ड ई)

2.10.1 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने नियमित प्रगति रिपोर्टों के जरिए निधियों के उपयोग सहित, कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों की स्कीमों, राज्य/जिला स्तर पर जिला विकास समन्वय तथा निगरानी स्थितियों (दिशा, DISHA) के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी हेतु एक व्यापक प्रणाली विकसित की है इसके अतिरिक्त राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पाँच सूत्री कार्यनीति अपनाएँ जिसमें निम्न शामिल हैं :- (i) स्कीम के प्रति जागरूकता फैलाना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जन भागीदारी, (iv) जवाबदेही/सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर सुदृढ़ सतर्कता और निगरानी। ग्रामीण विकास स्कीम के अंतर्गत निधियों के अधिकतम उपयोग में ये उपाय सहायक होंगे।

2.10.2 एसबीएम (जी) के लिए एक व्यापक वेब-आधारित ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली भी उपलब्ध है। आधारभूत सर्वेक्षण से एकत्रित घरेलू स्तर के आंकड़े प्रविष्ट करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह प्रयास स्वच्छता कवरेज के घरेलू स्तर की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है। इसके

अतिरिक्त आधुनिक आईटी टूल्स के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए निर्धारित तिथियों पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए राज्य सचिवों और प्रत्येक जिले के एसबीएम (जी) समन्वयकों को चयनित तिथियों पर स्वतः (ऑटोमैटिक) अनुस्मारक भेजने का प्रावधान भी अब उपलब्ध है। ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली द्वारा भेजे जाने वाले ग्रुप संदेशों पर क्षेत्र कार्यकर्ताओं और राज्य सचिवों को एसएमएस भेजने का प्रावधान भी तैयार किया गया है। लाभार्थियों और ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली के साथ संवाद करने हेतु एक ऑनलाइन ऑटोमैटिक एसएमएस प्रणाली भी उपलब्ध है। दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 के बाद निर्मित शौचालयों के चित्र अपलोड करने हेतु एक मोबाइल ऐप्लिकेशन शुरू किया गया है। चित्र जीयो-टैग्ड हैं। इसके अलावा, एक स्वच्छता ऐप विकसित किया गया है जो स्वच्छता स्थिति पर घरेलू स्तर तक ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है। नागरिक स्वच्छ ऐप पर स्वच्छता की रैंकिग भी कर सकते हैं।

2.10.3 अब आईएमआईएस पर ओडीएफ की निगरानी के लिए एक मॉड्यूल भी उपलब्ध है। इसके अलावा, आईएमआईएस एक माड्यूल उपलब्ध करता है जिसके द्वारा राज्य /जिले, राज्यों को प्रदत्त लचीलेपन के अनुसार सीधे समुदाय को ही प्रोत्साहन निधि हस्तांतरित कर सकते हैं।

2.10.4 गांवों के स्वच्छता स्तर को मापने के लिए ग्राम स्वच्छता इंडेक्स को परिभाषित किया गया है। इसमें सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच और जहाँ घरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता दृष्टिगोचर है, जैसे कारक शामिल हैं। इसे सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच वाले घरों की प्रतिशतता, ऐसे घरों की प्रतिशतता जिसके चारों ओर कोई कचरा नहीं है, जिन घरों के चारों ओर ठहरा हुआ अपशिष्ट जल नहीं है उनकी प्रतिशतता और उन सार्वजनिक स्थानों की प्रतिशतता जिनके चारों ओर कोई कचरा नहीं है, मापकर निर्धारित किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों में स्कूल, ऑगनवाड़ी, अस्पताल आदि शामिल हैं। आईएमआईएस, गांवों को किसी ग्राम सभा में अपना स्वयं का ग्राम स्वच्छता सूचकांक निर्धारित करने एवं अपने स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 602860 गांवों में से, 466090 (77.31%) तक ग्राम स्वच्छता सूचकांक (वीएसआई) की रिपोर्ट कर ली गई है।

2.10.5 सभी राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एसबीएम (जी) की प्रगति की समीक्षा और वास्तविक एवं वित्तीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु समीक्षा बैठकें, नियमित वीडियो कांफ्रेंस आयोजित किए जाते हैं। निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु स्कीम के कार्यान्वयन में पिछड़ चुके राज्यों में भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा दौरा भी किया जाता है।

2.10.6 सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने दिनांक 2 अक्तूबर, 2018 को प्रवासी भारतीय केन्द्र, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली में 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रिपोर्ट' जारी की।

2.11 : मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

मंत्रालय द्वारा की गई क्षमता निर्माण पहल का सारः- (जनवरी, 2018 - मार्च, 2019 के बीच):-

क्र.सं.	तारीख	कार्यक्रम	भागीदारों की संख्या	स्थान
जिला अधिकारियों के द्वितीय समूहों का अनुस्थापन कार्यक्रम				
1	5-6 जून, 2018	जिला अधिकारियों के द्वितीय समूहों का अनुस्थापन कार्यक्रम	40	भुवनेश्वर
2	11-12 जून, 2018	जिला अधिकारियों के द्वितीय समूहों का अनुस्थापन कार्यक्रम	40	श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर
3	26-27 नवम्बर, 2018	जिला अधिकारियों के द्वितीय समूहों का अनुस्थापन कार्यक्रम	35	वाराणसी
4	19 जून, 2018	जिला अधिकारियों के द्वितीय समूहों का अनुस्थापन कार्यक्रम	35	गोरखपुर
जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों (जैडएसबीपी) का अनुस्थापन				
1	23-25 अप्रैल, 2018	जैडएसबीपी का उन्मुखीकरण	50	एमडीडब्ल्यूएस/ एनएएससी नई दिल्ली/ हापुड़ में क्षेत्र दौरा
लंच एवं लर्न				
1	9 फरवरी, 2018	कलेक्टरों के साथ भोजन तथा ज्ञानार्जन	26	एमडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली
2	14 जून, 2018	कलेक्टरों के साथ भोजन तथा ज्ञानार्जन	20	एमडीडब्ल्यूएस
3	12 जुलाई, 2018	कलेक्टरों के साथ भोजन तथा ज्ञानार्जन	20	एमडीडब्ल्यूएस
4	25 अक्तूबर, 2018	कलेक्टरों के साथ भोजन तथा ज्ञानार्जन	22	एमडीडब्ल्यूएस

सम्मेलन/ कार्यशालाएं				
1	19-20 जनवरी, 2018	आईईसी पर राष्ट्रीय परामर्श	100	गुरूग्राम
2	22-23 फरवरी, 2018	एसएलआरएम पर राष्ट्रीय कार्यशाला	80	प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली
3	3-10 अप्रैल, 2018	सत्याग्रह से स्वाच्छाग्रह- चलो चंपारण	20,000 + 4 लाख	चंपारण, बिहार
4	16-17 मई, 2018	राष्ट्रीय ओडीएफ-एस कार्यशाला	150	यशदा, पुणे
5	25 मई, 2018	केआरसी परामर्श	55	होटल ताज विदांता, नई दिल्ली
6	27 मई, 2018	अक्षय कुमार के साथ तकनीकी कार्यशाला	50	होटल इंपीरियल, नई दिल्ली
7	13 जुलाई, 2018	स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की शुरूआत	60	प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली
8	24 अगस्त, 2018	ओडीएफ-एस क्षमता संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला	120	उदयपुर
9	31 अगस्त, 2018	विश्व बैंक समर्थन पर राज्यों के साथ परामर्श और समीक्षा	55	होटल ताज विदांता, नई दिल्ली
10	7-8 सितम्बर, 2018	एसएलआरएम पर राष्ट्रीय कार्यशाला	120	गंगटोक, सिक्किम
11	15 सितम्बर, 2018	प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता ही सेवा की शुरूआत		देश भर में 17 स्थलों पर
12	29 सितम्बर-2 अक्तूबर, 2018	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी)		प्रवासी भारतीय केन्द्र/राष्ट्रपति भवन
13	24 अक्तूबर, 2018	ओडीएफ (क्यू एण्ड एस) पर राष्ट्रीय परामर्श	70	स्कोप कांप्लेक्स, नई दिल्ली
14	27 अक्तूबर, 2018	ओडीएफ- क्यू एण्ड एस पर पश्चिमी राज्यों के साथ परामर्श	60	नागपुर

15	30 अक्तूबर, 2018	ओडीएफ- क्यू एण्ड एस पर दक्षिणी राज्यों के साथ परामर्श	60	चैन्नै
16	14 नवम्बर, 2018	ओडीएफ- क्यू एण्ड एस पर उत्तरी-पूर्वी राज्यों के साथ परामर्श	65	गुवाहटी
17	15 नवम्बर, 2018	ओडीएफ- क्यू एण्ड एस पर पूर्वी राज्यों के साथ परामर्श	60	कोलकाता
18	30 नवम्बर - 1 दिसम्बर, 2018	ओडीएफ- क्यू एण्ड एस पर उत्तरी राज्यों के साथ परामर्श	65	नैनीताल
19	20 दिसम्बर, 2018	एनआईआरडी और यूनीसेफ के साथ डिज़ाइन तैयार करने पर कार्यशाला	50	इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली

2.12 ज्ञान प्रबंधन

एसबीएम के केएम में संस्थागत प्रणाली को सुदृढ़ करना और ज्ञान की पहचान, एकत्रण तथा प्रबंधन कार्यों सहित के एम की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। एक प्रभावी केएम का विकास, परिणाम (शौचालय निर्माण), निष्कर्ष (शौचालय उपयोग) की निगरानी करने और संस्थागत प्रत्युत्तर में सुधार हेतु क्षेत्र स्तर के कार्यान्वयन से ज्ञान और शिक्षण का प्रणालीबद्ध मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। मिशन की समय-सीमा को देखते हुए निम्नलिखित मुख्य पहलें शुरू की गई हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो कि केएम सभी कार्यक्रम पहलुओं की मुख्यधारा में आ जाए और वह सामान्य कार्रवाई का अंग बन जाए न कि वह कुछ भिन्न साधनों पर ही निर्भर करता रहे।

2.12.1 एसबीएम (जी) में कार्यनीति दृष्टिकोण के रूप में ज्ञान प्रबंधन को शुरू करने के लिए ज्ञान प्रबंधन कंसल्टेन्सी प्रस्तावित की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि कंसल्टेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि ज्ञान सृजन सुलभ और उपयुक्त हो और उत्तम प्रथाएं प्रलेखबद्ध हों तथा कार्यक्रमों में शामिल हों। प्रचालनात्मक और कार्यनीतिक केएम को सुविधा देने के लिए विशेषकर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय ज्ञान हब के माध्यम से। राज्यों को प्रमुख संसाधन केन्द्रों (केआरसी) को सुदृढ़ करने, ज्ञान नेटवर्क, ऑनलाइन पोर्टल/ब्लॉग/वेबसाइटों, इ-लर्निंग/आभासी अध्ययन प्रणालियों और सामाजिक मीडिया का उपयोग करने में सहायता दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ज्ञान प्रक्रियाएं, प्रोटोकॉल का उचित पालन हो और ज्ञान मुक्त रूप से मिशन तथा सभी स्तरों में प्रवाह कर सके।

2.12.2 स्वच्छ संग्रह पोर्टल : एसबीएम के ज्ञान प्रबंधन (केएम) में ज्ञान की पहचान, एकत्रण तथा प्रबंधन कार्यों सहित केएम के लिए संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। विश्व बैंक की सहायता के साथ मंत्रालय द्वारा ''स्वच्छ संग्रह'' नामक ज्ञान प्रबंधन पोर्टल (वेब आधारित प्लैटफार्म http://www.swachhsangraha.gov.in) का बीटा वर्जन तैयार किया गया था। बीटा वर्जन को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था और राज्यों/जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पोर्टल में संशोधन किए गए थे। ज्ञान प्रबंधन कार्य को अधिक प्रणालीबद्ध तथा संगठित तरीके से संस्थागत करने हेतु सभी राज्यों तथा प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए वर्ष 2018 में इसका अंतिम वर्जन शुरू किया गया था। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं और पोर्टल में योगदानदाताओं द्वारा स्वाध्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, वीसी, मैनुअल तथा विडियो भी तैयार किए गए हैं।

यह पोर्टल राज्यों तथा जिलों में तेजी से एक ऐसे मंच के रूप में उभर रहा है जिसपर पूरे देश के संकलित ज्ञान के अनुभव को साझा किया जा सकता है, खोजा जा सकता है तथा अध्ययन किया जा सकता है।

2.12.3 एसबीएम (आईवीआरएस आधारित) एकैडमी नामक अन्य अभिनव सहयोगी केएम उपकरण की संकल्पना बीएमजीएफ और बीबीसीएमए के सहयोग से की गयी थी। इस समय राज्य तथा जिला स्तरीय सरकारों द्वारा ग्रामीण समुदायों में सामुदायिक जागृति और अंत: वैयक्तिक संचार गतिविधियों के लिए स्वच्छता हेतु सामुदायिक दृष्टिकोण (सीएएस) का व्यापक तथा प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एमडीडब्ल्यूएस स्वच्छाग्रहियों की संख्या 650,000 तक बढ़ाकर देशभर में सीएएस गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने और ओडीएफ स्थायित्व को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। तथापि, स्वच्छता सुविधा नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में कार्यान्वयन में आने वाली कई चुनौतियों में से पर्याप्त कौशलयुक्त मास्टर प्रशिक्षकों की कमी प्रमुख हैं। मिशन के लक्ष्य की प्राप्ति को तेज करने और बढ़ाने के मार्ग में आने वाली अन्य प्रमुख बाधा है मानकपूर्ण सामग्री की कमी। इसके अलावा, प्राथमिक प्रत्यक्ष प्रशिक्षण पूरा होने के बाद स्वच्छता सुविधाप्रदाताओं के लिए रिफ्रेशर तथा अनुस्मारक की भी कमी है।

उपर्युक्त चुनौतियों को देखते हुए और मांग आधारित तथा मानक प्रशिक्षण सामग्री सहित स्वच्छता सुविधाप्रदाताओं, जो तेजी से बढ़ रहे हैं, को सशक्त करने के महत्व को समझते हुए एसबीएम एकैडेमी सेवा की संकल्पना की गई है। एसबीएम अकादमी एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) आधारित मोबाइल सेवा है जो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे स्वच्छाग्रहियों सहित ग्रामीण स्वच्छता सुविधाप्रदाताओं को मांग पर, उच्च गुणवत्ता तथा मानक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता है। चरण एक में दो भाषाओं हिन्दी तथा अंग्रेजी में सेवा उपलब्ध होगी और वे निम्न उद्देश्य की पूर्ति करेंगे:-

1. स्वच्छता सुविधाप्रदाताओं की मांग पर, किसी भी समय, कहीं भी उच्च गुणवत्ता वाली मानक सामग्री के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना।

2. स्वच्छता सुविधाप्रदाताओं के ज्ञान को पुनः ताजा करना और उनके अंतर्वैयक्तिक संवाद कौशल को सुधारना ताकि लाभार्थियों के साथ उनकी भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
3. स्वच्छाग्रही नेटवर्क की प्रत्यक्ष प्रशिक्षण पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वच्छाग्रही नेटवर्क को बढ़ाने में समर्थन देना।

इस उद्देश्य के लिए मानक अनुमोदित सामग्री एक श्रव्य माध्यम पर होस्ट करने के लिए तैयार की जा रही है और संरचनाओं तथा टेलीकॉम्यूनीकेशन के प्रापण हेतु चर्चा, अग्रिम स्तर पर है।

2.12.4 ई-अध्ययन मॉड्यूल- सीएलटीएस जैसे ग्रामीण स्वच्छता के सहभागिता दृष्टिकोण के व्यापक स्तर पर पुनरावृत्ति में कई प्रमुख हितधारकों खासकर समुदाय को प्रेरित करने वालों के क्षमता संवर्धन पर व्यापक फोकस देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ओडीएफ(एस) मध्यवर्तनों की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए राज्यों में क्षमता सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है। और प्रशिक्षण में कई मुद्दों को कवर करने की आवश्यकता है जिसमें समुदाय को आयोजना, व्यवहार परिवर्तन संवाद, सुरक्षित स्वच्छता प्रौद्योगिकी विकल्प, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन आदि शामिल हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हितधारकों की भारी संख्या को कवर करने की आवश्यकता और मानक संदेश को निरंतर संप्रेषित करने की आवश्यकता के कारण चुनौती कई गुना बढ़ जाती है।

पारंपरिक अध्ययन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना पड़ता था। इस मुद्दे को हल करने के लिए ई-अध्ययन प्रस्तावित किया गया था जिससे गुणवत्ता सहित शीघ्रता में वृद्धि सुनिश्चित हो। ई-अध्ययन का उपयोग करके हितधारकों को उसकी सुविधानुसार अध्ययन करने और अपने के लिए उपयुक्त गति से अध्ययन करने की स्वतंत्रता मिलेगी। सुदूर स्थानों पर भी उन्हें सतत्-रूप से, किसी भी समय, किसी भी रीति से प्रशिक्षित करना संभव होगा। अन्य मुख्य लाभ यह है कि यह पारंपरिक कक्षा आधारित अनुदेशों का त्वरित डिलिवरी चक्र है। इसके अलावा, ई-अध्ययन की तेजी और आसानी को देखते हुए अध्ययन और विकास की लागत में काफी कमी आई है। विश्व बैंक की सहायता से मंत्रालय एसबीएम-जी के प्रमुख थीमों अर्थात् ओडीएफ स्थायित्व, सुरक्षित निर्माण प्रौद्योगिकी आदि पर अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में ई-अध्ययन मौड्यूल विकसित कर रहा है।

एक वेब ऐप पर ई-अध्ययन मौड्यूल डाला जाएगा जिसमें एक अध्ययन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस)भी होगी जो उपयोग को ट्रैक करने और प्रमाणपत्र बनाने में सक्षम होगी।

2.12.5 राज्य, जिला स्तरों पर कार्यान्वयन कर रहे समूहों के लिए विशिष्ट थीम पर विशेषीकृत प्रशिक्षण और प्रमुख मास्टर प्रशिक्षण हेतु एक उपग्रह तकनीक आधारित आभासी प्रशिक्षण तंत्र प्रस्तावित और अनुमोदित किया गया है। आभासी अध्ययन केन्द्र, सुदूर स्थानों में आभासी मोड में प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण कुछ विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा आभासी प्रशिक्षण के लिए सक्षम स्टूडियों में दिए जाएंगे और दूर स्थानों पर बैठे प्रशिक्षुओं को आभासी रूप

से विडियो/ऑडियो डाटा भेजा जाएगा (वीएसएटी/लीज पर ली गई लाइन प्रौद्योगिकी के माध्यम से)। आभासी प्रशिक्षण के माध्यम से एक ही समय में कई प्रशिक्षु बैचों (भिन्न-भिन्न स्थानों पर) को एक साथ एक प्रशिक्षक (टीम) द्वारा प्रशिक्षण देना संभव हो सकेगा। ''आभासी प्रशिक्षण'' की शुरूआत के लिए वर्ष 2016 में टाटा ट्रस्ट की भागीदारी में इस मंत्रालय द्वारा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था। 53 जिलों (उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, पंजाब और गुजरात)में 55 स्थानों पर 2459 भागीदारों को छः पांच दिवसीय प्रशिक्षण (सीएलटीएस पर) दिया गया था। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से **पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस)** प्रशिक्षण सेवा सुपुर्दगी मॉडल (आभासी अध्ययन केन्द्र स्टूडियो, रिसीविंग स्टेशनों, उपग्रह कनेक्टीविटी, हार्डवेयर आदि में उपकरणों हेतु वर्तमान टाटा ट्रस्ट संविदा को बढ़ाने हेतु) को बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि चल रहे क्षमता संवर्धन प्रयासों को बेहतर बनाया जा सके। पिछड़ रहे राज्यों में सभी स्तरों पर एसबीएम कर्मचारियोंके लिए अनुस्थापन कार्यक्रम और अन्य राज्यों में ओडीएफ-एस हेतु पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। आभासी प्रशिक्षण स्टूडियो (दिल्ली) में उपकरण के रूप में, रिसीविंग स्टेशनों (बिहार, उत्तरप्रदेश के जिलों में 50 रिसीविंग स्टेशनों) और कार्यान्वयन में मंत्रालय के सहयोग के रूप में टाटा ट्रस्ट अपना समर्थन दे रहा है।

2.13: स्वच्छ भारत मिशन के लिए विश्व बैंक सहायता

विश्व बैंक कार्यक्रम (प्रचालन का पी फॉर आर संघटक') प्रमुख स्वच्छता परिणामों (अर्थात् खुले में शौच में कमी, स्थायी ओडीएफ और ग्रामीण आबादी के साथ एसएलडब्ल्यूएम) की प्राप्ति पर राज्यों के कार्यनिष्पादन की पहचान करने और पुरस्कृत करने के उद्देशय के साथ चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम उद्देश्यों के समर्थन में एसबीएम-जी के प्रोत्साहन अनुदान बिंडो के माध्यम से अमरीकी डॉलर 1.475 बिलियन प्राप्त करके संपूर्ण राष्ट्रीय एसबीएम-जी कार्यक्रम का समर्थन करता है। संवितरण से जुड़े सूचकांकों (डीएलआई) की प्राप्ति पर एमडीडब्ल्यूएस को कार्यक्रम निधियां दी जाती हैं और एमडीडब्ल्यूएस, राज्यों के कार्यनिष्पादन के आधार पर उन्हें निधियां प्रदान करता है।

बैंक से एमडीडब्ल्यूएस को निधियों के संवितरण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं: (क) पर्याप्त रूप से ओडी में कमी, ग्राम स्तर पर ओडीएफ स्थिति का स्थायित्व और ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन से जुडी ग्रामीण आबादी में वृद्धि की दृष्टि से राज्यों के कार्यनिष्पादनों की पहचान और उनका मापन, (ख) राज्यों के सम्मुख आई विभिन्न चुनौतियों के प्रत्युत्तर देने हेतु डीएलआई हेतु संसाधनों का आबंटन और (ग) ओडी को कम करने, ओडीएफ स्थायित्व और एसएलडब्ल्यूएम में राज्यों के वार्षिक कार्यनिष्पादन से जुड़े राज्यों के कार्यनिष्पादन के आधार पर उन्हें पुरस्कृत करना। (क) चयनित परिणामों पर एसबीएम-जी के फोकस को बढ़ाने और (ख) मापक कार्यनिष्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े राज्यों को कार्यनिष्पादनों में वित्तीय प्रोत्साहन देकर परिणामों की उपलब्धता तथा स्थायित्व के महत्व को बढ़ाने पर निर्भर है।

2.13.1 कार्यक्रम विकास उद्देश्यों की समीक्षा:

स्वच्छ भारत मिशन सहायता ऑपरेशन का विकासात्मक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच में कमी और राष्ट्रीय एसबीएम-जी कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एमडीडब्ल्यूएस की क्षमता को सुदृढ़ करना। पीडीओ की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्नलिखित परिणाम सूचकांकों का उपयोग किया जा रहा है:-

(क) पीडीओ सूचकांक 1: खुले में शौच में कमी।

(ख) पीडीओ सूचकांक 2: राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) करवाया गया और परिणाम प्रकाशित किए गए।

2.13.2 कार्यक्रम विकास उद्देश्यों की तुलना में प्रगति:-

स्वच्छ भारत मिशन सहायता ऑपरेशन का विकासात्मक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच में कमी और राष्ट्रीय एसबीएम-जी कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एमडीडब्ल्यूएस की क्षमता को सुदृढ़ करना। एमटीआर के दौरान कार्यक्रम विकास उद्देश्यों की तुलना में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है। **निम्नलिखित की प्राप्तियां हुई हैं जो पीडीओ सूचकांक । की प्राप्ति में योगदान दर्शाता है:-**

- खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या में 540-मिलियन से 87 मिलियन तक कमी।
- कार्यक्रम के प्रारंभ में 39% के स्वच्छता कवरेज में सुधार से वह 99% हो गया।
- 90 मिलियन ग्रामीण शौचालयों का निर्माण और उपयोग।

कार्यान्वयन की वर्तमान गति से यह कार्यक्रम मार्च 2019 तक खुले में शौच की प्रथा को अच्छी तरह दूर कर सकता है और पूर्ण रूप से कार्यक्रम विकास उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस)

एमडीडब्ल्यूएस ने डीएलआई को मापने के लिए प्रमुख सूचकांकों के लिए आधारभूत आकड़ें उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017 में एनएआरएसएस का राउंड एक चलाया है। एनएआरएसएस की संपूर्ण प्रक्रिया को देखने और उसमें समर्थन हेतु प्रोफेसर अभिताभ कुंडू की अध्यक्षता में तथा एमडीडब्ल्यूएस, विश्वबैंक, यूनीसेफ, बीजीएमएफ, वाटर एड इंडिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कॉमपैशनेट इकोनॉमिक्स (आरआईसीई), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम प्रबंधन (एमओएसपीआई) मंत्रालय के सदस्यों के साथ एक विशेषज्ञ कार्यकारी समूह का गठन किया गया है। एक ईओआई प्रकाशित किया गया और एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से देश भर में एनएआरएसएस करवाने के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए)का चयन किया गया। मई 2017 में आईवीए के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। चयन के पश्चात् नमूना डिजाइन, नियमों के सत्यापन और आकड़ों के एकत्रण के उपकरणों पर चर्चा की गई और ईडब्ल्यूजी द्वारा उनका निर्धारण किया गया जिसे फिर आईवीए को बताया गया।

एनएआरएसएस राउंड 1 नमूना फ्रेमवर्क में सभी 29 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों, दादरा एवं नागर हवेली और पुदूचेरी) को कवर किया गया था। राष्ट्रीय

स्तर पर 92,040 परिवारों को कवर करते हुए 6136 गांवों का पूर्ण नमूना आकार और अध्ययन नमूनों का चयन करने के लिए तीन-चरणों की नमूना संबंधी प्रक्रिया चलाई गई थी। इसमें दो नमूना स्तर थे अर्थात् ओडीएफ (सत्यापित) और गैर-ओडीएफ (ओडीएफ घोषित परंतु सत्यापन नहीं समेत)। पहले चरण में ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के अनुपात में कुल गांवों को पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया था। दूसरे चरण में संबंधित राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत के आधार पर इन नमूना राज्यों को पुन: सत्यापित ओडीएफ और गैर ओडीएफ श्रेणी में अनुपातिक रूप से बांटा गया था। तीसरे चरण में, उसी गांव के एडब्ल्यूडब्ल्यू, स्कूल, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों और खुले स्थानों के अलावा प्रति गांव/प्राथमिक नमूना इकाई 15 परिवारों को कवर किया गया था। ओडीएफ स्ट्रीम में राज्य स्तर पर और उन राज्यों में जहां ग्रामीण परिवारों का अनुपात 95% के महत्व के स्तर और 5%त्रुटि के अनुमान को उपलब्ध करा पाने में असमर्थ थे, में न्यूनतम नमूना आकार रखा गया था।

नवम्बर, 2017 में क्षेत्र प्रगणकों के प्रशिक्षण के बाद आकड़ों के संचयन का कार्य प्रारंभ हुआ और फरवरी, 2018 में यह कार्य पूरा हुआ। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद एक हफ्ते के भीतर एनएएआरएस के लिए अप्रसंस्कृत आकड़ों को जनता के सम्मुख रखा गया और राज्यों के डीएलआई परिणामों के आधार पर सहमत नियमों के अनुसार मार्च, 2018 माह में राज्यों को निधियां जारी की गईं।

डीएलआई: एनएआरएसएस राउंड 1 में प्रगति

संवितरण से जुड़े सूचकांक	एनएआरएसएस राउंड 1 के लिए डीएलआई परिणाम	स्थिति
डीएलआई# 1: खुले में शौच में कमी	69.4	प्राप्त-रिपोर्ट प्रस्तुत
डीएलआई# 2 : गांवों में ओडीएफ स्थिति का स्थायित्व	96.0%	प्राप्त-रिपोर्ट प्रस्तुत
डीएलआई# 3: एसएलडब्ल्यूएम वाले ग्रामीण परिवारों में वृद्धि	75.8	प्राप्त-रिपोर्ट प्रस्तुत
डीएलआई# 4: एमडीडब्ल्यूएस द्वारा कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन अनुदान स्कीम का प्रचालन	वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया और परिणाम प्रकाशित किए गए।	प्राप्त-रिपोर्ट प्रस्तुत

2.13.3 एनएआरएसएस की प्राप्तियों का सार नीचे दिया गया है:-

एनएआरएसएस राउंड 1 की प्रमुख प्राप्तियां निम्न थीं:-

- पाया गया कि 77.0% परिवारों के पास शौचालय उपलब्ध थे।
- जिन लोगों के पास शौचालय थे उनमें से 93.3% उसका नियमित उपयोग करते थे।
- 95.6% ओडीएफ सत्यापित गांवों ने ओडीएफ स्थिति की पुष्टि की
- 74.5% गांवों में न्यूनतम कचरा पाया गया।
- 75.3% गांवों में न्यूनतम/शून्य जल जमाव पाया गया।

2.13.4 प्रमुख परिणामी क्षेत्रों की तुलना में प्रगति

पीडीओ की उपलब्धियों में योगदान देने वाले चार प्रमुख परिणामी क्षेत्रों पर प्रचालन संकेन्द्रित है:-

(क) परिणाम क्षेत्र 1: स्वच्छ और क्रियात्मक स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता और उपयोग में वृद्धि

(ख) परिणाम क्षेत्र 2: समुदाय भर में ओडीएफ स्थिति का स्थायित्व

(ग) परिणाम क्षेत्र 3: ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) वाली आबादी में वृद्धि।

(घ) परिणाम क्षेत्र 4: कार्यक्रम प्रबंधन, ऐडवोकेसी मॉनीटरिंग और मूल्यांकन में एमडीडब्ल्यूएस की क्षमता को सुदृढ़ करना।

एमडीडब्ल्यूएस ने प्रमुख परिणामी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और वे नीचे दर्शाए गए है:-

क्र.सं.	प्रमुख परिणामी क्षेत्र	प्राप्त प्रगति
1	स्वच्छ और क्रियात्मक स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता और उपयोग में वृद्धि	आधारभूत तथ्य के तुलना में स्वच्छता कवरेज में अतिरिक्त 50% वृद्धि हुई है। एनएआरएसएस के अनुसार 77 ग्रामीण परिवारों के पास सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं हैं और वे उनका उपयोग कर रहे हैं।
2	समुदाय भर में ओडीएफ स्थिति का स्थायित्व	एनएआरएसएस द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 96.45% ओडीएफ सत्यापित गांवों ने अपनी ओडीएफ स्थिति बनाई रखी है।
3	ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) वाली	एनएआरएसएस के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन व्यवस्थाओं वाले

	आबादी में वृद्धि।	75.76% गांव हैं।
4	कार्यक्रम प्रबंधन, ऐडवोकेसी मॉनीटरिंग और मूल्यांकन में एमडीडब्ल्यूएस की क्षमता को सुदृढ़ करना।	एसबीएम-जी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समर्थन हेतु एमडीडब्ल्यूएस के पीएमयू के भीतर कार्यक्रम प्रबंधन परामर्शदाताओं (पीएमसी) को नियोजित करना। एनएलएम, पीएमसी कार्मिकों और एमडीडब्ल्यूएस अधिकारियों का उपयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के एम एण्ड ई प्रणाली को सुदृढ़ करना सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए राष्ट्रीय तृतीय पक्ष वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम के परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत तथा विश्वसनीय सत्यापन तंत्र की स्थापना केआरसी का प्रयोग करके थीमेटिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में भारत सरकार की पहली प्रमुख पहल की शुरूआत 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से की गई। पेयजल संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ 1986 में किया गया था जिसका 1991-92 में नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के रूप में कर दिया गया था।

वर्ष 1992 में 'ग्रामीण पेयजल आपूर्ति' को एक राज्य का विषय घोषित किया गया तथा अन्य विषयों में यह विषय भी भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल किया गया जिसे राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। अतः ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी होना इस क्षेत्र में फोकस के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

1999-2000 में, पेयजल से संबंधित स्कीमों की योजनाओं, कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी शामिल करने हेतु क्षेत्र सुधार परियोजनाएँ शुरू की गईं जिसका 2002 में, स्व-जलधारा कार्यक्रम के रूप में उन्नयन किया गया।

भारत निर्माण, जो ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने वाला एक कार्यक्रम है, को भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का चरण-I 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया जबकि चरण-II 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया था। ग्रामीण पेयजल, भारत निर्माण के छः घटकों में से एक है।

गयारहवीं पंचवर्षीय योजना में, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कवरेज का आधार बसावटों से परिवारों तक अर्थात् समुदाय में सभी परिवारों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब तक ग्रामीण जलापूर्ति मुख्य रूप से हैंडपंपों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, पाइपयुक्त जलापूर्ति की दिशा में यह एक बड़ा बदलाव था जिसका उद्देश्य घरेलू परिसरों अथवा उनके घर से 100 मीटर के भीतर क्षैतिज अभवा ऊर्ध्वाधर दूरी पर सामाजिक अथवा वित्तीय विभेद के बगैर कम से कम 40 एलपीसीडी के साथ ग्रामीण आबादी को कम से कम 50% जल उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन का उन्नयन करते हुए पेयजल आपूर्ति विभाग का सृजन 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में किया गया था जिसे बाद में, नाम बदलकर वर्ष 2010 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के रूप में कर दिया गया था। ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 13 जुलाई, 2011 को अलग मंत्रालय के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का सृजन किया तथा उसे अधिसूचित किया।

3.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी):

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की शुरूआत दिनांक 01.04.2009 को की गई थी। इस स्कीम में 2012 में कतिपय संशोधन किए गए थे।

इस स्कीम को प्रतिस्पर्धी, परिणामोन्मुखी बनाने तथा पूरी की गई स्कीमों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नवंबर, 2017 में इसमें और भी बड़े संशोधन किए गए। रासायनिक संदूषण से प्रभावित आबादी के लिए आबंटन मानदण्ड में भारांक उपलब्ध कराया गया है। दूसरी किस्त का 50%, तीसरे पक्ष सत्यापन में देखी गई पूर्ण पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों की कार्यात्मकता स्थिति पर आधारित होगा। दूसरी किस्त का 50% निष्पादन वाले राज्यों द्वारा पूर्व-वित्तपोषण केंद्रीय शेयर पर आधारित होगा। निश्चित किया गया अधिक आबंटन जेई-एईएस प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल, इस कार्यक्रम के तहत केवल पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों को अनुमति दी गई है। हैंडपंपों की अनुमति केवल जेई-एईएस से प्रभावित जिलों को दी गई है। नए एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

3.1.1 एनआरडीडब्ल्यूपी के घटक

क) केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न घटकों के तहत आबंटन का वितरण इस प्रकार है:

आबंटन/घटक	एनआरडीडब्ल्यूपी केंद्रीय आबंटन
जैविक संदूषण सहित जेई/एईएस उच्च प्रथामिकता वाले जिले	2%
पूर्वोत्तर (एनई) राज्य	10%
गैर-पूर्वोत्तर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	88%

ख) एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत दो केंद्रित उप-कार्यक्रमों के लिए निधियां अलग से निर्धारित की गईं हैं जो निम्नासुनार है:

कम आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाएं (आरडब्ल्यूएसएसपी-एलआईएस) - असम, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे हैं	परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आबंटन
राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम)	उप-मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार आबंटन

ग) घटक, उद्देश्य और फण्ड शेयरिंग पैटर्न:

घटक	**निधि विभाजन ढांचा**
कवरेज	संघ राज्य क्षेत्रों हेतु 100:0

सामान्य घटक (75%) निरंतरता (क्रियाशीलता) घटक (25%). ये निधियां केवल नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए ही हैं। तथापि, प्रत्येक रिलीज का 05 प्रतिशत (अधिकतम) निम्न में से प्रत्येक गतिविधियों हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। **सहायता** डब्ल्यूक्यूएमएंडएस (जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी) यदि, कोई राज्य सहायता और डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग करने में असमर्थ है तो उपयोग न हुई निधियों को नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। **<u>नोट:</u>** निरंतरता (क्रियाशीलता) घटक को तीसरे पक्ष सत्यापन के रूप में एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत पूर्ण की गई जल आपूर्ति स्कीमों की क्रियाशीलता स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है। सामान्य घटक के भाग ($^1/_3$) राज्यों द्वारा केंद्रीय शेयर के वित्त पोषण के पश्चात् ही जारी किया जाता है।	पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु 90:10 अन्य राज्यों हेतु 50:50 <u>सहायता एवं डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस हेतु</u> संघ राज्य क्षेत्रों हेतु 100:0 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु 90:10 अन्य राज्यों हेतु 60:40
जेई-एईएस नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए और सार्वजनिक उथले हैंडपंपों से इंडिया मार्क II अथवा उच्चतर प्रारूप में रूपान्तरण करने आदि हेतु उपयोग किया जाए।	असम हेतु 90:10 अन्य राज्यों हेतु 50:50

3.1.2 कवरेज के उद्देश्य हेतु राज्यों के मध्य निधियों के आबंटन का अधिमान्य:

मानदण्ड	अधिमान्य (%)
ग्रामीण आबादी (पिछली जनगणना के अनुसार)	40
ग्रामीण अ. जा. तथा अ. ज. जा. आबादी (पिछली जनगणना के अनुसार)	10
ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी के अंतर्गत आने वाले राज्य और	40

विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य	
भारी धातु सहित रासायनिक संदूषणों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी (आईएमआई एस के अनुसार) (पूर्व वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	10
कुल	100

3.1.3 एनआरडीडब्ल्यूपी अथवा पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2017-18 के दौरान बजट अनुमान (बीई) आबंटन 6050 करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान के उपरांत, कुल 7050 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। संशोधित अनुमान (आरई) आबंटन के 7050 करोड़ रुपए में से, राज्यों को 7037.95 करोड़ रुपए जारी किए गए थे अर्थात् मंत्रालय स्तर के व्यय सहित राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आबंटन बीई आबंटन स्तर पर 7000 करोड़ रुपए था जिसे आरई स्तर पर संशोधित कर 5500 करोड़ रुपए तक किया गया। नवंबर, 2017 के बाद से, राज्यों द्वारा योजनाओं के पूर्व-निधियन के घटक तथा पूर्ण की गई योजनाओं का स्थायित्व (कार्यक्षमता) सुनिश्चित करने के घटक एनआरडीडब्ल्यूपी में शामिल किए गए हैं ताकि इसे परिणाम/लक्ष्य आधारित तथा परिणाम-उन्मुख बनाया जा सके।

3.1.4 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन निम्नानुसार है:

पूर्ण रूप से कवर		आंशिक रूप से कवर		गुणवत्ता प्रभावित		कुल	
लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज
18294	32460	52805	30964	8468	4378	79567	67802

बसावटों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है

- पूर्ण रूप से कवर बसावटें: वर्षभर कम से कम 40 एलपीसीडी सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने वाली बसावटें जिनमें उनके घरों से 100 मीटर (क्षैतिज/उर्ध्वाधर) के भीतर उपलब्ध हैं
- गुणवत्ता प्रभावित बसावटें: कम से कम एक पेयजल स्रोतों वाली बसावटें जोकि रासायनिक संदूषण के मानदण्डों को पूरा नहीं करती (आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता, नाइट्रेट तथा भारी धातु) जैसाकि आईएस:10500 में विनिर्दिष्ट है तथा शेष सुरक्षित स्रोत से जहाँ, 40 एलपीसीडी की सेवा सुपुदर्गी स्तर सुनिश्चित नहीं किया गया हो।

- आंशिक रूप से कवर बसावटें: पूर्ण रूप से कवर तथा गुणवत्ता प्रभावित श्रेणियों के अतिरिक्त बसावटें।

3.1.5 वार्षिक कार्य योजना (एएपी): वर्ष 2018-19 के लिए योजना

वर्ष 2010-11 से, प्रत्येक राज्य के साथ वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर राज्य-वार चर्चा की गई। वर्ष 2012-13 से, वार्षिक कार्य योजना के लिए ऑन-लाइन प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया गया तथा इसे राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रक्रिया में, राज्य अपने एएपी तैयार करते हैं जिसमें वर्ष के दौरान प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में आरंभ किए जाने वाले कार्यकलापों और इन प्रस्तावों में निहित वित्तीय लागतों का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए राज्य की वार्षिक कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच फरवरी-मार्च, 2018 के माह में आयोजित की गई। इस चर्चाओं के उपरांत, एएपी में संशोधन सुझाए गए तथा कार्रवाई बिदुओं की पहचान की गई। अपने एएपी अंतिम रूप से तैयार कर लेने के पश्चात् ही राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत निधियां जारी की गईं। यह इस एएपी के आधार पर था कि राज्य वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत गतिविधियां चलाएं। एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए एएपी तैयार करने, इस पर विमर्श करने और इसके कार्यान्वयन की संपूर्ण क्रियाविधि ने भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निधियों की समुचित टारगेटिंग और मॉनीटरिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में राज्यों द्वारा किए गए कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ एएपी ने देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रभावशीलता को काफी मजबूत किया है।

3.1.6 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी), जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूई) तथा अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों के लिए योजना बनाना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु प्रावधान

एनआरडीडब्ल्यूपी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कवरेज पर फोकस सुनिश्चित करने के विशेष प्रावधान हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को निधि आवंटन के लिए मानदण्ड में राज्य की ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए 10% वैटेज की व्यवस्था है। अतः अनु. जाति तथा अनु. जनजाति की अधिक आबादी वाले राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का अधिक आवंटन प्राप्त करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनु.जाति और अनु. जनजाति बहुल क्षेत्रों में राज्यों द्वारा पर्याप्त निधियों का उपयोग किया जाए, वर्ष 2018-2019 के लिए, बजट अनुमान स्तर पर अनु. जातियों के लिए व्यय हेतु 1540 करोड़ रुपए (7000 करोड़ रुपए के कुल आवंटन का 22%) तथा अनु. जनजातियों के लिए व्यय हेतु 700 करोड़ रुपए (7000 करोड़ रुपए के कुल आवंटन का 10%) निर्धारित किए गए हैं। तथापि, संशोधित स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए व्यय हेतु

1210 करोड़ रुपए (5500 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन का 22%) जारी किए गए। अत: दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आबादी के कवरेज हेतु राज्यों को 1760 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के जरिए अनु. जाति और अनु. जनजाति बहुल बसावटों के कवरेज की प्रगति की निगरानी की जा रही है। इसके लिए मंत्रालय की वेबसाइट में और ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली में सुधार किया है ताकि इस संबंध में उपलब्धियों से संबंधित आंकड़ों को लिया जा सके।

दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 205380 अनु. जाति बहुल बसावटों की कुल संख्या में से, 162198 बसावटें (78.97%) पूर्णतः कवर हैं, 33586 बसावटें (16.35%) आंशिक रूप से कवर हैं तथा 9596 बसावटें (4.67%) गुणवत्ता प्रभावित हैं। वर्ष 2018-19 में, 4572 अनुसूचित जाति बहुल बसावटों का कवरेज हेतु लक्ष्य रखा गया था तथा 8747 बसावटों (100%) को पीने योग्य पेयजल आपूर्ति के साथ कवर किया गया।

दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अनु. जनजाति बहुलता वाली कुल 362468 बसावटों की कुल संख्या में से, 310290 बसावटें (85.60%) पूर्णतः कवर हैं, 44926 बसावटें (12.39%) आंशिक रूप से कवर हैं और 7252 बसावटें (2%) गुणवत्ता प्रभावित हैं। वर्ष 2018-19 में अनु. जनजाति बहुल 7850 बसावटों के कवरेज हेतु लक्ष्य रखा गया जिनमें से, अल्पसंख्यकों के लिए 12138 बसावटों (100%) को कवर कर लिया गया है।

हालांकि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में व्यय के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का कोई भी निर्धारण नहीं किया जाता है, फिर भी, योजना प्रक्रिया में इस प्रकार की बसावटों के कवरेज पर ध्यान दिया जाता है।

01.04.2018 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पहचाने गए अल्पसंख्यक बहुल जिलों में (एमसीडी) कुल 240193 बसावटों की कुल संख्या में से कुल 154819 बसावटें (64.45%) पूर्णत: कवर हैं, 66878 बसावटें (27.84%) आंशिक रूप से कवर हैं और 18496 बसावटें (7.70%) गुणवत्ता प्रभावित हैं। वर्ष 2018-19 में, 6095 बसावटों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था और 9892 बसावटों (100%) को पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई।

वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों में समेकित कार्रवाई योजना (आईएपी)

ऐसे 88 जिले हैं जो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में फिलहाल वर्गीकृत हैं तथा समेकित कार्य योजना (आईएपी) के लिए पहचाने गए हैं। जल आपूर्ति परियोजनाओं सहित विकास परक योजनाएं शुरू करने के लिए इन जिलों के जिला प्रशासन को आईएपी के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य सरकारें इन जिलों में अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्राथमिकता देती हैं।

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में 17.19 लाख ग्रामीण बसावटों में से, 340336 बसावटें आईएपी जिलों में हैं। इनमें से, 312087 बसावटें (91.70%) पूर्णतः कवर की गई हैं। 24289 बसावटें (7.14%) आंशिक रूप से कवर हैं। इसके अलावा, 3960 बसावटें (1.16%) गुणवत्ता प्रभावित हैं।

3.1.7 पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, इन राज्यों को राष्ट्रीय बजट आवंटन का 10% उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2018-19 में, पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 550 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

राज्य	दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार कुल ग्रामीण बसावटें	कवरेज की स्थिति (01.04.2018 तक)			लक्ष्य 2018-19			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि		
		पूर्णत: कवर बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	पूर्णत: कवर बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणव त्ता प्रभावित बसावटें	पूर्णत: कवर बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणव त्ता प्रभावित बसावटें
अरूणाचल प्रदेश	7525	3173	4324	28	0	1134	28	35	129	1
असम	88047	54614	23490	9972	0	5354	806	710	353	204
मणिपुर	2962	2020	956	0	0	542	0	52	30	0
मेघालय	9980	4040	6423	7	0	613	7	132	84	0
मिजोरम	718	460	260	0	132	245	0	13	30	0
नागालैण्ड	1450	707	739	4	0	406	4	19	31	4
सिक्किम	2076	754	1583	0	0	156	0	92	107	0
त्रिपुरा	8723	4916	1367	2440	0	646	97	115	35	41
कुल	**121481**	**70684**	**39142**	**12451**	**132**	**9096**	**942**	**1168**	**799**	**250**

3.1.8 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आबंटन एवं वास्तविक उपलब्धियां

वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 हेतु राज्यवार आबंटन एवं वास्तविक उपलब्धियां अनुलग्नक-II पर दी गई हैं।

3.1.9 मुख्य संसाधन केंद्रों (केआरसी) के जरिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

जल आपूर्ति क्षेत्र में उभरते मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए, यह आवश्यक है कि विभिन्न हितधारकों की क्षमता को मजबूत किया जाए ताकि वे अपनी भूमिका निभा सकें और अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। हितधारकों को स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और सूचना के अंतराल को पाटने की आवश्यकता है ताकि लंबे समय तक सभी के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सके।

अत: जल ग्रामीण आपूर्ति क्षेत्र में प्रेरित, कुशल और प्रशिक्षित कर्मियों के एक बहु-स्तरीय कैडर का निर्माण करना महत्वपूर्ण है ताकि स्रोतों का स्थायित्व, वित्तीय तथा संस्थागत मुद्दों, जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों, जलापूर्ति प्रणालियों आदि के क्षेत्र, ऑपरेशन तथा रख-रखाव में अपेक्षित अन्तर्वेशनों जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इन क्षेत्रों में कार्यरत उच्च प्रतिष्ठित तथा अनुभव वाले संस्थानों को विभिन्न स्टेकहोल्डरों की क्षमताओं को तैयार करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने तथा अन्य गतिविधियों के लिए मंत्रालय द्वारा मुख्य संसाधन केंद्रों (केआरसी) के रूप में नियोजित किया जाता है। ये संस्थान, क्षमता निर्माण, विभिन्न हितधारकों के पुनर्संरचना, ज्ञान और सूचना का प्रसार, सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण आदि में शामिल होंगे।

मंत्रालय ने 8 केआरसी संस्थानों से प्रशिक्षण/कार्यशाला प्रस्ताव प्राप्त किए थे। प्रस्तावों पर विचार प्राप्त करने के लिए मंत्रालय में स्थापित समिति ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में नीचे उल्लिखित संस्थानों की गतिविधियों को अनुमोदित किया है:

क्र. सं.	**केआरसी का नाम**	**2018-19 में अनुमोदित गतिविधियां**	**अनुमोदित/ संस्वीकृत राशि**
1	राष्ट्रीय मोतीलाल नेहरू तकनीकी संस्थान (एमएनएनआईटी)- इलाहबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले पेयजल संदूषकों के लिए जल उपचार विकल्पों पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला	2,08,306 रुपए
2	केंद्रीय प्लास्टिक एवं इंजिनियरिंग तकनीकी संस्थान (सीआईपीईटी), गुंडी, चेन्नई, तमिलनाडु	पेयजल एवं स्वच्छता हेतु जल परिवहन में प्लास्टिक पाइप सिस्टम के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5,77,500 रुपए
3	गुजरात जल सेवा प्रशिक्षण संस्थान (जीजेटीआई), गांधी नगर, गुजरात	जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,39,700 रुपए
4	एम. पी. जल एवं भू-प्रबंधन संस्थान (एमपीडब्ल्यूएएलएमआई), भोपाल, मध्य प्रदेश	ईई, एई का स्वजल पर पुनश्चर्चा प्रशिक्षण	2,31,000 रुपए

3.2 जल गुणवत्ता (डब्ल्यूक्यू) संबंधी गतिविधियां

3.2.1 राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र (एनसीडीडब्ल्यूएसएण्डक्यू) की स्थापना

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र (जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केंद्र के रूप में जाना जाता था) की कोलकाता में स्थापना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की जा रही है। इस प्रस्ताव को 2013 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। केंद्र का कार्यक्षेत्र प्रारंभ में पेयजल गुणवत्ता के क्षेत्र में गतिविधियां करने तक सीमित था। स्वच्छता क्षेत्र में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबंधित कार्य की निगरानी के लिए केंद्र के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया हैं जिसका नामकरण अक्तूबर, 2018 से "राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र" किया गया है।

फिलहाल, केंद्र के भवन का निर्माण कार्य जोका कोलकाता में प्रगति पर है। प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास भवन का कार्य पूरा होने के बाद ही केंद्र कोलकाता से कामकाज प्रारंभ कर देगा। बहरहाल, केंद्र नई दिल्ली से कामकाज कर रहा है। प्रारंभ में, व्यय विभाग के अनुमोदन के पश्चात् 6 (छह) पद सृजित किए गए हैं जिसमें दो पद भरे गए हैं तथा एनसीडीडब्ल्यूएसएण्डक्यू के निदेशक के पद सहित शेष पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में, केंद्र के कार्यों को करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को विभिन्न क्षमताओं में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

जोका, कोलकाता में एनसीडीडब्ल्यूएस एंड क्यू के निर्माण कार्य का दृश्य
(प्रशासन तथा आर एंड डी ब्लॉक)

3.2.2 जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस)

पेयजल की नई उभरती चुनौतियों को दूर करने के लिए, एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशानिर्देशों को 2017 में संशोधित किया गया था जिसमें एनआरडीडब्ल्यूपी का जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग निगरानी घटक भी शामिल था।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी में निरीक्षण के दो स्तर शामिल हैं (i) राज्य/जिला/उप-मंडल/मोबाइल जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला में जल गुणवत्ता की जांच (ii) संदूषण की सीमा का पता लगाने के लिए ग्राम पंचायतों में फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करना तथा इसकी पुष्टि के लिए पास के जल की गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला में सकारात्मक रूप से जांच किए गए नमूनों को लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:

(क) सरकार, तकनीकी संस्थान, जिला प्रयोगशालाओं, उप-मंडल प्रयोगशालाओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच एक सुव्यवस्थित सूचना प्रवाह स्थापित करना।

(ख) राज्य, जिला और उप मंडल स्तर पर पेयजल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने तथा उनका स्तरोन्नयन करने के लिए राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएमएस) से धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ)/राज्य जल स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा पंचायती राज संस्थानों (पीआरई), सहकारियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए राज्य तथा क्षेत्र विशिष्ट आईईसी गतिविधियों को प्रारंभ करना।

(घ) जिला, उप-मंडल, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण मुहैया कराना, 5 सदस्यों (स्कूली शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, आशा, पूर्व सैनिक कर्मी, स्थानीय एनजीओं के सदस्यों, जल गुणवत्ता के मुद्दे पर जिनमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग, स्वच्छता और साफ-सफाई तथा सामाजिक एकजुटता शामिल हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना।

वर्ष 2018-19 के दौरान, एफटीके के जांच ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वितरित की गई एफटीके केमिकल्स की संख्या	20,359
खरीद/वितरित की गई बैक्टोरियोलॉजिकल वायलस की संख्या	16,48,619
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	1,47,580
एफटीके वाली जांच की गई जल नमूनों की संख्या	10,91,360
चलाए गए स्वच्छता सर्वे की संख्या	96,988

3.2.3 पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएँ तथा एनएबीएल प्रत्यायन

मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डब्ल्यूक्यूएमएस) के तहत राज्य, जिला, उपमंडल/ब्लॉक स्तर/मोबाइल पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना, स्तरोन्नयन, सुदृढ़ीकरण में राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है।

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 2195 पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, एनआरडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएमएस) की निधियों तथा अपने स्वयं के/अन्य धन संसाधनों का उपयोग करते हुए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई है। 2195 में से, 28 राज्यों की प्रयोगशालाएं हैं 731 जिला प्रयोगशालाएं हैं, 1134 सब-डिविजनल लैब हैं, 244 ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाएं हैं जबकि 58 मोबाइल प्रयोगशालाएं हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान इन प्रयोगशालाओं में राज्यों ने लगभग 39.12 लाख पानी के नमूनों का परीक्षण किया है जैसा कि इस मंत्रालय के आईएमआईएस पर रिपोर्ट किया गया है।

पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की कार्यशीलता और निगरानी में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा मई, 2018 को राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के सुधार से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में निदेशक (डब्ल्यूएसएसओ), ग्रामीण जल आपूर्ति का कार्य देखने वाले राज्य सरकारों के प्रमुख केमिस्ट/केमिस्टों तथा सीजीडब्ल्यूबी, एनईईआरआई, एनएबीएल तथा यूनिसेफ के अधिकारियों ने भाग लिया।

मंत्रालय द्वारा समग्र निष्पादन में सुधार लाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य और जिला स्तर की पेयजल गुणवत्ता जाचं प्रयोगशालाओं को रैंक करने के लिए पहल की गई है जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वालों को उपयुक्त तरीके से सम्मानित किया जाएगा। एनआरडीडब्ल्यूपी के आईएमआईएस में उपलब्ध आंकडों के आधार पर राज्य और जिला प्रयोगशालाओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। मंत्रालय भौगोलिक रूप से समान रूप से वितरित स्रोतों का रोस्टर तैयार करने का प्रस्ताव कर रहा है जिसके लिए प्रति माह जिला प्रयोगशालाओं द्वारा नमूना लिया जाना होता है ताकि राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से सभी पेयजल स्रोतों की जल की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की जा सके।

राज्य स्तरीय पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला,
हैदराबाद, तेलंगाना तथा चेन्नई, तमिलनाडु का दृश्य

पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन

मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से "आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025:2017" के अनुसार एनएबीएल प्रत्यायन के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों पर जोर दे रहा है। पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की एनएबीएल के प्रत्यायन के बारे में मंत्रालय द्वारा 10 अप्रैल, 2015 को राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया गया था। वर्ष 2015-16 के दौरान एनएबीएल के प्रत्यायन के लिए पहचान किए गए पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। तब से, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र चरणबद्ध तरीके से पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की एनएबीएल प्रत्यायन ले रहे हैं। अब तक 45 पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से प्रत्यायित किया गया है।

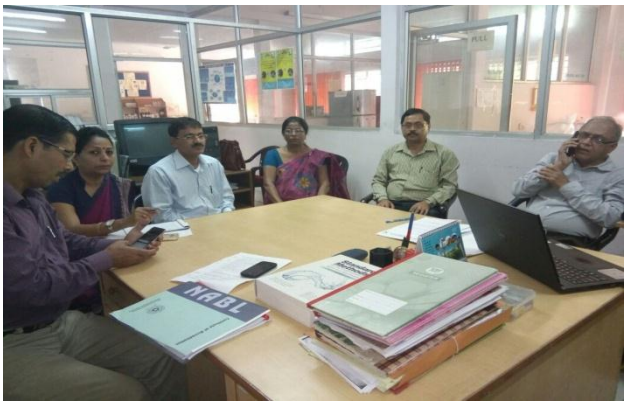

राज्य रेफरल प्रयोगशाला, गुवाहाटी, असम तथा हैदराबाद, तेलंगाना में एनएबीएल प्रत्यायन का दृश्य

3.2.4 जल गुणवत्ता कार्यक्रम (डब्ल्यूक्यू):

दिनांक 31.03.2019 के अनुसार, इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा प्रविष्ट सूचना के अनुसार, 60,365 बसावटें विभिन्न रासायनिक संदूषकों से प्रभावित हैं। विभिन्न रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों की संख्या नीचे दी गयी है:-

फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	लवणता	नाइट्रेट	भारी धातु	कुल
9,001	15,813	18,600	13,343	1,446	2,162	60,365

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य प्राथमिकता के आधार पर जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जारी किए गए निधियों का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकारों को ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की योजना बनाने, डिजाइन करने, अनुमोदन देने, क्रियान्वित करने, प्रचालित करने तथा रख-रखाव करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 2% जापानी एन्सेफेलाइटिस/उग्र एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित राज्यों (उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों) के जिलों के लिए निर्धारित किया गया है।

3.2.5 राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम)

मंत्रालय ने एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 4 वर्षों की अवधि के भीतर निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन की शुरूआत की थी।

एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत, राज्य मुख्य रूप से तीन प्रकार की योजनाएं चला सकते हैं। वे निम्नानुसार हैं:-

(क) सतही जल आधारित नल जलापूर्ति योजना

(ख) सुरक्षित भू-जल आधारित नल जलापूर्ति योजना और

(ग) सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी)

इसके अलावा, चिह्नित बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के मुद्दे का समाधान करने तथा राज्यों के लिए उप-मिशन को और अधिक लचीला बनाना है ताकि समय-सीमा से पहले इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2018-19 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. राज्यों को लचीले ढंग से निधियों का अनुकूलतम प्रबंधन करने के लिए निधियों की स्कीम आधारित रिलीज के स्थान पर किट्टी (Kitty) आधारित रिलीज अपनाना

2. एनआरडीडब्ल्यूपी धनराशि का एन-रूट बसावटों के लिए उपयोग करने की अनुमति

3. क्लस्टर आधारित सामूदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) की अनुमति

4. सामुदायिक जल शोधन प्रणालियों की रिट्रोफिटिंग की अनुमति

5. छूट गई बसावटों को कवर करने के लिए निकट की स्कीम/नहर आधारित स्कीमों/रेनी कुओं पर आधारित स्कीमों/क्लस्टर आधारित सीडब्ल्यूपीपी/सीडब्ल्यूपीपी आदि से पीडब्ल्यूएस के विस्तार की अनुमति

6. एनडब्ल्यूक्यूएसएम बसावटों को पूरा करने वाली एनआरडीडब्ल्यूपी स्कीमों को निधियन हेतु एनडब्ल्यूक्यूएसएम अम्ब्रैला के तहत लाया जाएगा।

7. सभी राज्यों से यह कहा गया है कि 31 मार्च, 2021 से पहले छूट गईं बसावटों को कवर करने के लिए अलग-अलग संभावित विकल्पों की तलाश करें।

3.2.6 जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों से निपटने में हुई उपलब्धियां

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जारी की गई धनराशि का उपयोग कर सकते हैं।

दिनांक 18.08.2016 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के अंतर्गत दिनांक 31.03.2019 तक रिपोर्ट की गई आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3690.34 करोड़ रुपए 16 राज्यों को जारी किए गए है। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रभावित राज्यों को 864.66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य-वार जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	31 मार्च, 2019 तक एनडब्ल्यूक्यूएसएम के तहत जारी संचयी धनराशि (करोड़ रुपए में)	वर्ष 2018-19 के दौरान जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	25.74	10.19
2	असम	330.96	110.33
3	बिहार	171.96	70.62
4	छत्तीसगढ	0.92	0.9
5	हरियाणा	16.91	0
6	झारखंड	38.72	0
7	कर्नाटक	26.99	18.71
8	केरल	4.43	2.12
9	मध्य प्रदेश	4.41	1.26
10	महाराष्ट्र	18.79	3.96
11	ओडिशा	1.12	0
12	पंजाब	98.01	21.05
13	राजस्थान	895.5	104.58
14	तेलंगाना	700.23	0
15	उत्तर प्रदेश	49.95	15.17
16	पश्चिम बंगाल	1305.7	505.77
कुल		3690.34	864.66

दिनांक 31.03.2019 तक, एनडब्ल्यूक्यूएसएम सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 10229 एएस/एफ से प्रभावित बसावटों का समाधान किया गया है जबकि 6759 बसावटों में स्कीमें चल रही हैं।

3.2.7 स्वजल - ग्रामीण नल जलपूर्ति हेतु समुदाय आधारित दृष्टिकोण

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 112 आकांक्षी जिलों के लिए (28 राज्यों में, गोवा को छोड़कर) समुदाय मांग आधारित, विकेंद्रीकृत, एकल ग्राम, अधिमानत: सौर ऊर्जा वाली मिनी पीडब्ल्यूएस कार्यक्रम, स्वजल की शुरूआत की है। इन आकांक्षी जिलों में 44.4% बसावटों के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 24.4% नल जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) बसावटें हैं। इस प्रकार, इन जिलों में स्वजल के माध्यम से पीडब्ल्यूएस के विस्तार की बड़ी गुजांइश है। यह, आकांक्षी जिलों को यह चुनौती देता है कि वे नियमित नल जल आपूर्ति आधारित स्कीमों की बजाय मांग आधारित योजना की मांग करें। ग्रामीण समुदायों और राज्य क्षेत्रक एजेंसियों की साझेदारी में ग्राम पंचायतें योजना के क्रियान्वयन में शामिल होंगी और योजना का प्रचालन और रख-रखाव भी करेंगी। स्वजल को आदर्श रूप से उन जिलों जहां कोई नलयुक्त जलापूर्ति उपलब्ध नहीं है जो अधिमानत: सुरक्षित ब्लॉक है ऐसे ब्लॉकों में अवस्थित बसावटों में भू-जल आधारित नलयुक्त जलापूर्ति स्कीम (पीडब्ल्यूएस) के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।

स्वजल को मूल रूप से छह राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में फरवरी, 2018 में प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। बाद में, इसे नीति आयोग द्वारा चिह्नित सभी 112 आकांक्षी जिलों में विस्तारित किया गया। मूल स्वजल के लिए शुरू की गई पायलट स्कीमों को इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित किया जाना जारी रखा जाएगा।

दिशानिर्देश अपने स्वरूप में परामर्शी हैं तथा स्थानीय आवश्यकताओं और मौजूदा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए योजना के कार्यान्वयन में और सुधार लाने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करते हैं। पंजाब जैसे राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, मंत्रालय ने राज्य को और लचीलापन देते हुए दिशानिर्देश में ढील दी है कि वे सिंचाई आवश्यकताओं के लिए विथड्राल की तुलना में भूमि से पेयजल का निष्कासन काफी कम है यह ध्यान में रखते हुए राज्य स्वजल को न सिर्फ सुरक्षित ब्लॉकों में बल्कि अति-दोहित गंभीर और अर्ध गंभीर ब्लॉकों में भी कार्यान्वित किया जा सकता है। इस लचीलेपन से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों तथा उन अन्य राज्यों को जहां आकांक्षी जिलों में अति-दोहित ब्लॉक हैं उन्हें लाभ होगा।

मंत्रालय की आईएमआईएस के अनुसार, अब तक 1541 योजनाओं को बारह राज्यों में लागू करने के लिए चिह्नित किया गया है। राज्यों की सरकारों को एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत "फ्लेक्सी फंड" के तहत धनराशि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 5% धनराशि (केंद्र और राज्य दोनों के शेयर एक साथ रखते हुए) का उपयोग राज्य द्वारा स्वजल के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है।

क्षेत्र के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए, मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ की सहायता से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) अपनी ही तरह का एक पहला कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अब तक, भोपाल, पूणे, रांची, रायपुर, गुवाहाटी तथा वडोदरा में प्रशिक्षकों के छह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं जिसमें 21 राज्यों के 83 आकांक्षी जिलों के लगभग 311 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

SWAJAL ToT

Technical class room sessions :

- Orientation on Swajal Guidelines
- Village Level Process and PRA tools
- Communication Plan
- Technical Option and Option Selection
- Source Strengthening
- Trial run and exit
- Monitoring and Evaluation
- Training Science

3.2.8 जापानी एन्सेफलाइटिस/तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) का शमन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिह्नित 60 उच्च प्राथमिकता वाले जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई)/तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से प्रभावित जिले के लिए धनराशि के आबंटन का 2% निर्धारित है। दिनांक 23.05.2018 की स्थिति के अनुसार, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2,84,934 जेई/एईएस से प्रभावित बसावटों में से, 57,663 बसावटों को पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया है तथा 17,695 बसावटों को पहले से ही स्वीकृत पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों के जरिए कवर किया जा रहा है।

3.2.9 नवाचारों को मान्यता देने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के माध्यम से ग्रामीण पेयजल उपचार प्रौद्योगिकियों के चयन पर राज्यों को दी जाने वाली सहायता

नवाचारों को मान्यता देने के लिए मंत्रालय के पास उच्च स्तरीय तकनीकी समिति है। इस समिति की अध्यक्षता प्रख्यात राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर डॉ. रघुनाथ आनन्द माशेलकर पूर्व महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा की जाती है। प्रख्यात तकनीकी संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। मंत्रालय के पास आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र है और इसकी मान्यता तथा वर्गीकरण के लिए समिति द्वारा इस पर विचार किया जाता है। इस मान्यता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

श्रेणी I	स्वीकृत/अनुशंसित प्रौद्योगिकी
श्रेणी II	सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है, लेकिन, कुछ और जानकारी की आवश्यकता है
श्रेणी III	सिद्ध प्रौद्योगिकी से बाहर निकलना
श्रेणी IV	प्रौद्योगिकी अनुशंसित नहीं।

मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित (अशुर्ड) मैट्रिक्स ढांचे के आधार पर मान्यता प्रक्रिया को संशोधित किया जा रहा है। इस ढांचे के तहत दो चरण वाली मूल्यांकन प्रक्रिया प्रस्तावित है। चरण I नेशनल रिसर्च लैब्स (एनईईआरआई, नागपुर) और राज्यों के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन हैं और यह फील्ड और लैब परीक्षणों पर आधारित होगा। प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन प्रबंधकीय पहलुओं को भी एकीकृत करेगा। इस समिति को सौपी गई चरण I की रिपोर्ट के आधार पर, समिति आवेदक को अपने मामले को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करके प्रौद्योगिकी का आकलन करेगी। मूल्यांकन के बाद, समिति मान्यता की श्रेणी तय करती है। वर्ष के दौरान, समिति ने जल पर 11 तथा स्वच्छता पर 4, कुल 15 प्रौद्योगिकीयों पर विचार किया। वर्गीकरण हेतु प्रौद्योगिकियां मूल्यांकन के विभिन्न चरणों पर हैं।

3.2.10 अनुसंधान व विकास

इस मंत्रालय के अनुसंधान व विकास दिशानिर्देशों के अनुसार, जल तथा स्वच्छता क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परक गतिविधियों के लिए प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठनों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्वायत्त संगठनों आदि को यह मंत्रालय 100% सहायता अनुदान प्रदान करता है। जल क्षेत्र में, चल रही 13 आर एण्ड डी परियोजनाओं में से, 5 परियोजनाएं वर्ष 2018-19 के दौरान पूरी हो चुकी हैं। पांच परियोजनाओं को औपचारिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया चल रही है और शेष 2 पर काम चल रहा है।

4. समीक्षा बैठकें/महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस/प्रदर्शनियां

4.1 राज्य मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन के साथ समीक्षा बैठकें

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत एनआरडीडब्ल्यूपी की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 14.06.2018 को समीक्षा और सुधार हेतु बैठक आयोजित की गई।

4.2 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) सहित एनआरडीडब्ल्यूपी वेबसाइट

4.2.1 पिछले 5 वर्षों के दौरान, मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से विकसित और प्रबंधित है जो पिछले 5 वर्षों में, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन, गांवों के जल गुणवत्ता आंकड़ों तथा प्रयोगशाला जांच के संबंध में सभी आंकड़ों का भंडार बन गया है। आंकड़ों को राज्यों द्वारा जिला और राज्य स्तरों पर ऑनलाइन प्रविष्ट किया जाता है। इस वर्ष से राज्यों को प्रभाग के स्तरों पर आंकड़ा दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में, आगामी महीने की 15 तारीख तक प्रत्येक महीने की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति के संबंध में राज्य अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) दर्ज करते हैं। राज्यों से अब कोई पेपर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। देशभर की 17 लाख से अधिक ग्रामीण बसावटों के जल आपूर्ति से संबंधित आंकड़े आईएमआईएस पर उपलब्ध हैं जो मंत्रालय की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं। लक्षित बसावट की ऑनलाइन निगरानी की प्रक्रिया को आईएमआईएस के जरिए वर्ष 2009-10 से व्यवस्थित किया गया है। मौजूदा निगरानी प्रणाली बसावटों के कवरेज की स्थिति पर इन कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन कर सकती है। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mdws.gov.in) पर एनआरडीडब्ल्यूपी लिंक पर उपलब्ध है। आईएमआईएस को http://indiawater.gov.in से एक्सेस किया जा सकता है।

4.2.2 एनआरडीडब्ल्यूपी-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)

एनआरडीडब्ल्यूपी

एनआरडीडब्ल्यूपी की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में कई नए फीचर्स और मॉड्यूल जोड़े गए हैं। ये नीचे वर्णित है:-

स्वजल

स्वजल एक सामुदायिक संचालित, लघु, एकल ग्राम, बेहतर सौर ऊर्जा आधारित पाइपयुक्त जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) योजना है जिसे पहले चरण में 112 आकांक्षी जिलों में लागू किया जाता है। किसी भी योजना की क्रियान्वयन की पूर्ण प्रक्रिया के लिए पूर्व योजना चरण जैसे ईओआई, टेंडरिंग प्रक्रिया आदि से लेकर योजना क्रियान्वयन चरण तक की किसी स्वजल योजना के लिए एक अलग मॉड्यूल विकसित किया गया है। एमआईएस की शुरूआत नवंबर, 2018 को नैनीताल, उत्तराखंड में आयोजित स्वजल कार्यशाला में की गई थी।

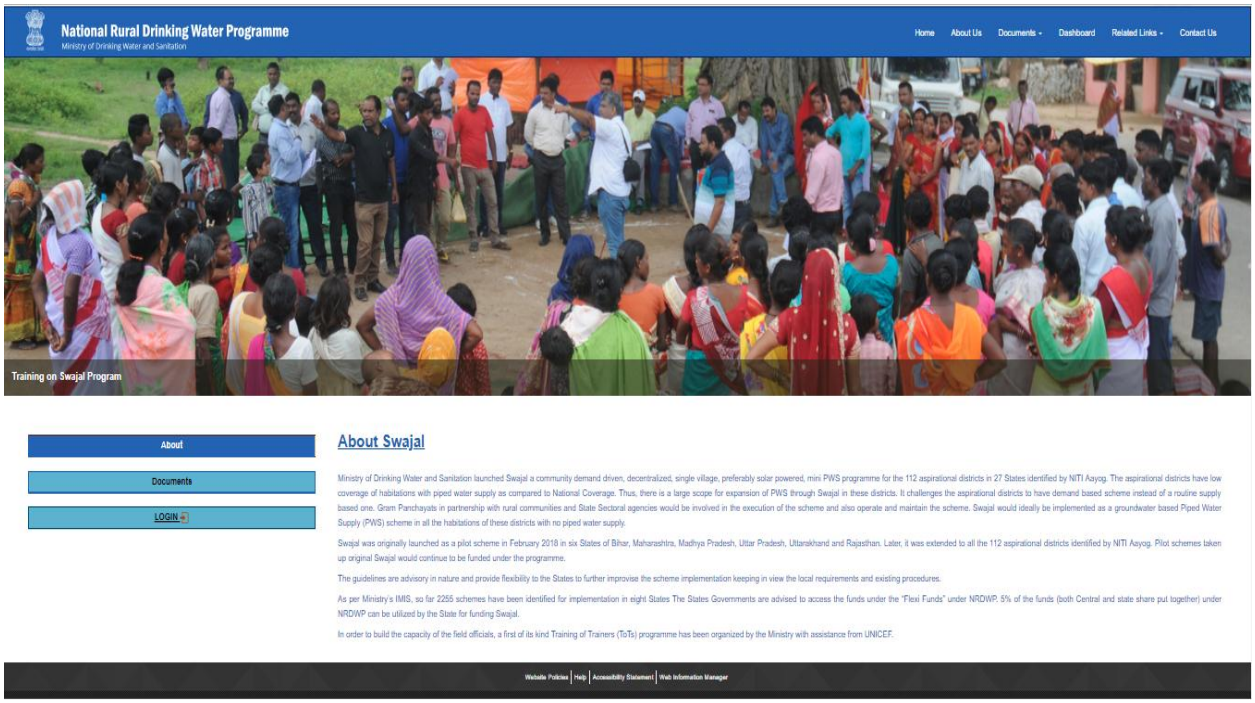

लैब रैंकिंग

सभी राज्यों और जिलों में फैली जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की रैंकिंग करने के लिए एक अलग मॉड्यूल विकसित किया गया है जिसमें विभिन्न घटकों जैसे कि प्रयोगशालाओं की प्रकृति, बुनियादि ढांचे, जनशक्ति, प्रशिक्षण, प्रयोगाशालाओं की मान्यता एवं नमूनों की जांच जिनमें बुनियादी ढांचे के 40 % और नमूना परीक्षण के 60% वेटेज के साथ राज्य और जिला प्रयोगशालाओं की निगरानी की जा रही है।

पानी के स्रोतों के समान भौगोलिक वितरण के आधार पर यादृच्छिक रूप से परीक्षण किए जाने वाले नमूनों के रोस्टर बनाने की एक नई विशेषता भी विकसित की गई थी।

एनआरडीडब्ल्यूपी की वेबसाइट

एनआरडीडब्ल्यूपी की वेबसाइट एक अलग वेब पोर्टल (http://www.nrdwp.gov.in) विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के लिए विकसित किया गया है। नए पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट जिला, राज्य और मंत्रालय स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी प्रासंगिकता के अनुसार लॉगिन आधारित होती है। कुछ रिपोर्टें आम जनता के लिए उपलब्ध कराईं गई हैं।

मंत्रालय के लिए सभी वेबसाइट और पोर्टल सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) के पीछे रखकर सुरक्षित बनाया गया है।

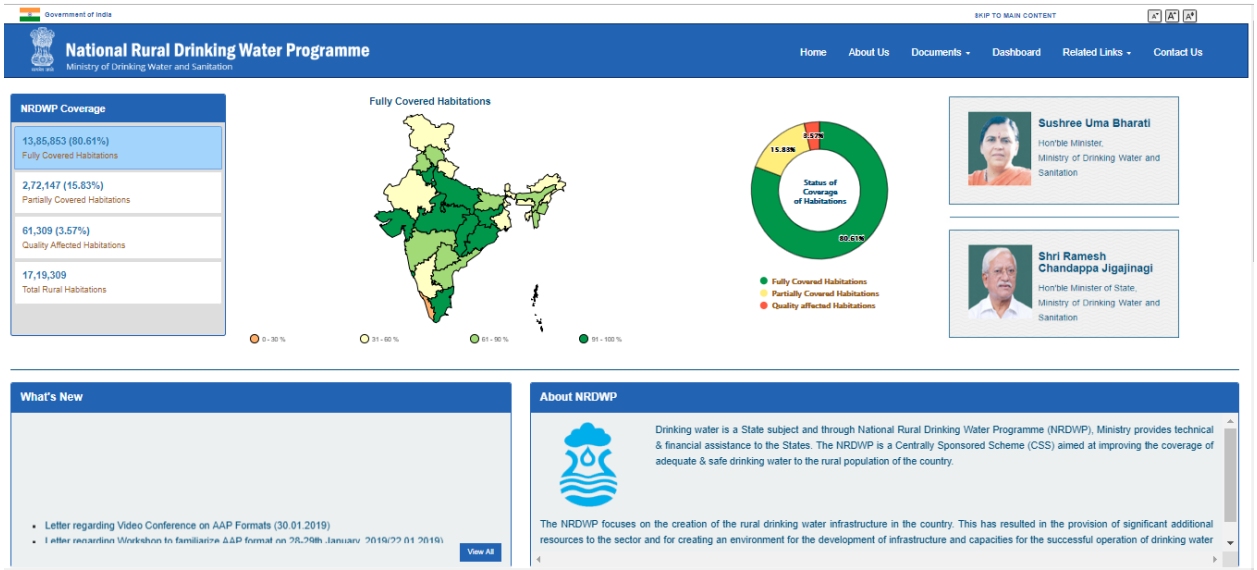

वार्षिक कार्य योजना

पिछले साल तक, राज्यों को वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में केवल पूर्ण जलापूर्ति स्कीमों, चालू स्कीमों और प्रस्तावित नई योजनाओं की संख्याएं देने की आवश्यकता थी लेकिन 2019-20 के लिए, एक नया सक्रिय मॉड्यूल विकसित किया गया है जहां राज्यों को आईएमआईएस डाटाबेस से चालू स्कीमों को चुनना होता है तथा अपनी वास्तविक प्रगति के आधार पर उनकी पूर्णता हेतु योजना प्रस्तुत करनी होती है ताकि उनकी वास्तविक प्रगति के घटते क्रम में स्कीमों को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के लिए नए मॉड्यूल पर प्रशिक्षण के लिए राज्यों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

मीडिया रिपोर्ट

नकारात्मक मीडिया रिपोर्टों के निपटान के लिए एक अलग मॉड्यूल को विकसित किया गया है तथा इसकी शुरूआत की गई है। समाचार पत्र, वेब या सार्वजनिक प्रतिनिधियों या गैर-सरकारी संगठनों आदि से प्राप्त सभी नकारात्मक रिपोर्टों को सिस्टम में दर्ज किया जाता है और उनके

समाधान एवं निपटान हेतु संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है। इनके निपटान पर साप्ताहिक/पाक्षिक रिपोर्ट मंत्रालय के अवलोकन हेतु तैयार की जाती है। ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से स्वचालित अनुस्मारक का प्रावधान भी किया गया है।

शिकायत संबंधी

जन शिकायतों के लिए एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है और वर्ष के दौरान, प्रारंभ किया गया है। ज्यों ही कोई भी व्यक्ति पेयजल, इसकी उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता, एनसीडीडब्ल्यूएसएण्डक्यू, योजना कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार आदि के बारे में या स्वच्छता में मुद्दों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करता/कराती है, तो शिकायत, संबंधित जिले या राज्य को भेज दी जाती है। मिशन के निदेशकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन शिकायतों के बारे में सूचित किया जाता है और उन्हें निर्धारित समय के भीतर शिकायत को निपटाना आवश्यक होता है।

सॉफ्टवेयर में एस्केलेशन मैट्रिक्स के आधार पर स्वचालित अनुस्मारकों का प्रावधान किया गया है। पोर्टल पर शिकायतों की प्रकृति, उम्र, लंबित शिकायतों के आधार पर विभिन्न रिपोर्टें उपलब्ध कराई जाती हैं।

डैश बोर्ड

एनआरडीडब्ल्यूपी के निम्नलिखित घटकों के लिए राज्य तथा जिला वार आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी मानचित्र व ग्राफीय चित्रों को दर्शाने वाला एक डैशबोर्ड का प्रारंभ इस वर्ष किया गया है। सभी मूल डाटा आम जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं जबकि विस्तृत जानकारी केवल उन कार्मिकों के लिए उपलब्ध कराई गई है जो विभिन्न योजनाओं और निर्णय लिए जाने की मॉनीटरिंग में शामिल हैं।

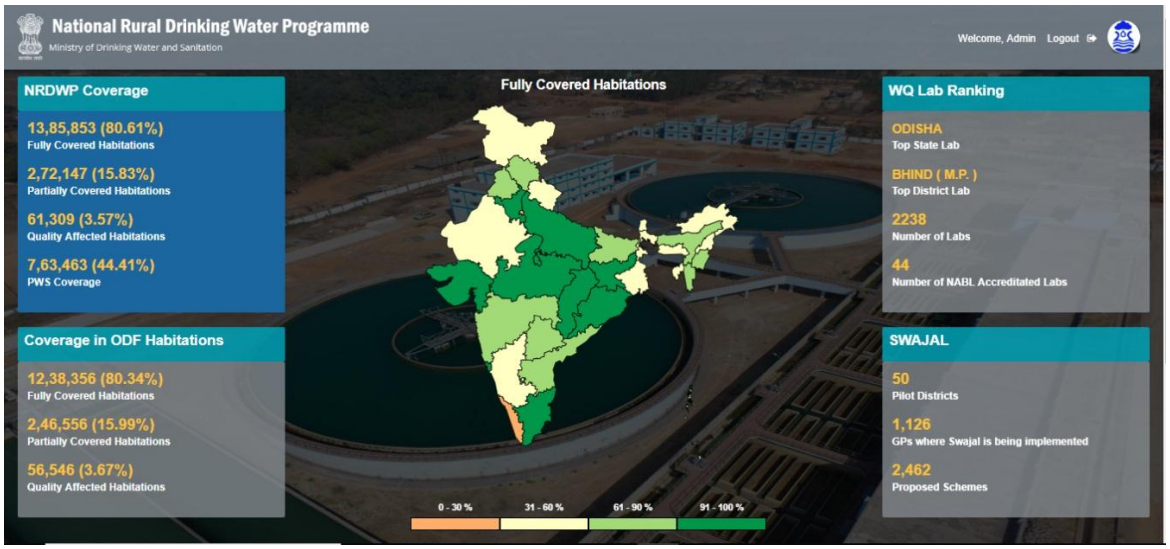

1. **एनआरडीडब्ल्यूपी कवरेज**
2. **पीडब्ल्यूएस के कवरेज के ग्राफीकल तथा मानचित्र संबंधी जानकारी**

वास्तविक प्रगति, वित्तीय प्रगति, आबंटन रिलीज, निधि का उपयोग तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है।

3. **ओडीएफ बसावटों की कवरेज**

   इसमें पीडीडब्ल्यूएस कवरेज, वास्तविक प्रगति, वित्तीय प्रगति, आबंटन, रिलीज, निधि का उपयोग तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की ग्राफीय तथा मानचित्र स्थिति पर सूचना उपलब्ध हैं।

4. **एसएजीवाई पंचायत का कवरेज**

   इसमें पीडब्ल्यूएस कवरेज के ग्राफीय तथा मानचित्र संबंधी, वास्तविक प्रगति, वित्तीय प्रगति, आबंटन रिलीज, निधि का उपयोग तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों पर सूचना उपलब्ध है।

5. **स्वजल**

   इसमें आकांक्षी जिलों की ग्राफीय और मानचित्र स्थिति इन जिलों में प्रायोगिक योजना, उनका कवरेज और इन जिलों में प्रस्तावित स्कीम पर सूचना उपलब्ध है।

6. **राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन**

   इसमें एएस/एफआई प्रभावित क्षेत्रों, आज की तारीख के अनुसार कवर की गई/कवर की जा रहीं अथवा छूट गई बसावटें, एनडब्ल्यूक्यूएसएम योजनाओं के बारे में सूचना, जारी की गई केंद्रीय निधियां आदि की ग्राफ और मानचित्र आधारित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

7. **जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं**

   उन सभी घटकों में जिनमें राज्यों और जिलों की रैंकिंग, शीर्ष 5 राज्यों और जिलों, सभी रसायनिक और जीव वैज्ञानिक जांच परिणामों की पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उनके स्कोर के आधार पर ग्राफ एवं मानचित्र आधारित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

8. **जन शिकायतें**

   इसमें प्राप्त शिकायतों का स्वरूप, प्राप्ति, निपटान अथवा लंबित शिकायतों की संख्या, लंबित शिकायतों की अवधि विश्लेषण आदि के संबंध में ग्राफिकल और मैप आधारित जानकारी डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई गई है।

आईएमआईएस उपयोगकर्ता मैनुअल एवं प्रशिक्षण

आईएमआईएस पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस वर्ष सभी आईएमआईएस समन्वयकों, संबंधित क्षेत्रों के पीएचईडी के कार्यकारी इंजीनियरों के लिए गुवाहाटी, नागपुर और चंडीगढ़ में आयोजित किए गए। आईएमआईएस के लिए एक व्यापक उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार किया गया और प्रतिभागियों को वितरित किया गया।

4.2.3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

एसबीएम (जी) में आईसीटी का संवर्धन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने एसबीएम(जी) के लिए एक व्यापक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है। देश के सभी गांवों की स्वच्छता सुविधाओं के संबंध में घरेलू स्तर का डाटा आधारभूत सर्वे 2012-13 के आधार पर राज्यों द्वारा एमआईएस पर उपलब्ध कराया गया है। यह आंकड़ा नियमित रूप से अद्धतन किया जा रहा है।

i. इस मिशन के लिए एमआईएस का मुख्य फोकस ओडीएफ समुदायों के निर्माण के माध्यम से शौचालय निर्माण और उनके उपयोग का पता लगाना है। ओडीएफ समुदायों के सृजन और उन्हें बनाए रखने के लिए एमआईएस को भी अपग्रेड किया जा रहा है। यह प्रणाली केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत को वैयक्तिक घरेलू और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के शौचालयों के निर्माण की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

ii. एसबीएम(जी) एमआईएस बेसलाइन सर्वेक्षण में छूट गए सभी घरों की स्वच्छता कवरेज की प्रगति को कैप्चर कर रहा है। एक बार ऑनलाइन सिस्टम पर शौचालय के निर्माण की सूचना मिलते ही व्यक्तिगत मोबाइल नंबर का उपयोग एसएमएस तैयार करने के लिए किया जाता है। लाभार्थी ने अपने घर में शौचालय का निर्माण किया गया है अथवा नहीं, इसके बारे में एसएमएस के माध्यम से जवाब वापस भेज सकते हैं।

iii. एसबीएम (जी) डैशबोर्ड को आईएचएचएल कवरेज और ओडीएफ की स्थिति पर नजर रखने के लिए विभिन्न केपीआई के साथ ग्राफिकल दृश्य में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रगति/कवरेज पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी विकसित किया गया है। यह अपने लॉन्च के बाद से इंटरएक्टिव मैप्स पर प्रोग्राम की प्रगति को दर्शाता है।

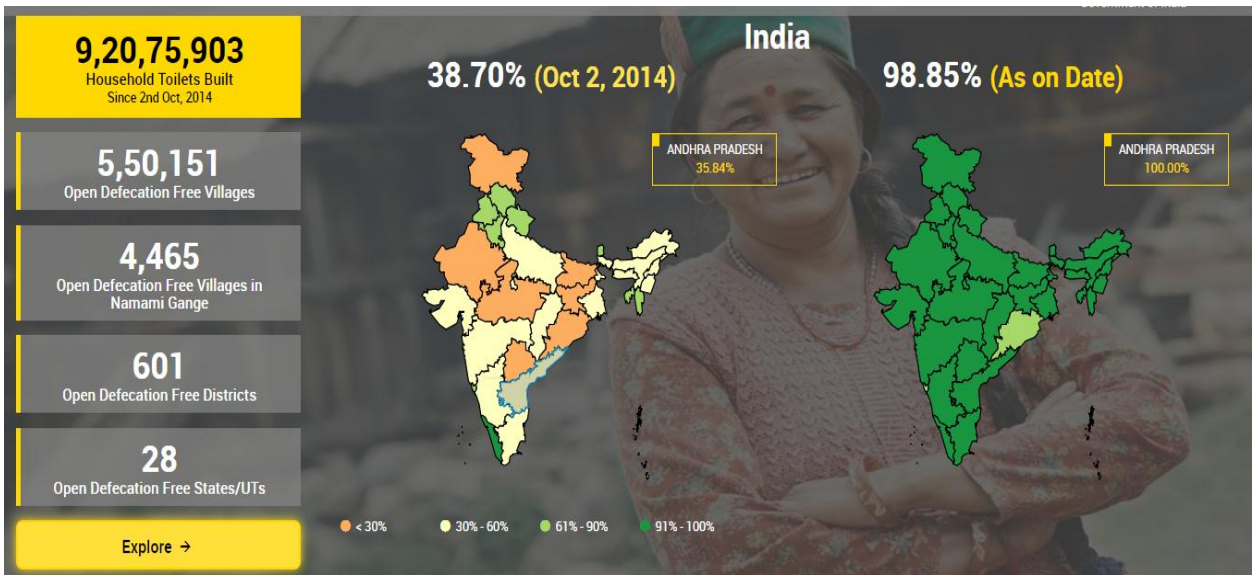

iv. **एसबीएम-जी में स्वच्छ ऐप्प तथा मोबाइल तकनीक**

लाभार्थियों के विवरण के साथ ग्रामीण स्तर पर वर्तमान स्वच्छता स्थिति पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन (स्वच्छता ऐप्प) विकसित किया गया है। मोबाइल ऐप्प का उपयोग प्रतिशत में वास्तविक समय की स्वच्छता कवरेज, खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या और प्रत्येक गांव में लाभार्थियों की सूची पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इस ऐप्प का उपयोग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विकसित स्वच्छता और एसएलडब्ल्यूएम सूचकांक के आधार पर गांव को रेट करने के लिए भी किया जा रहा है। यह मोबाइल ऐप्प सभी मोबाइलों (एन्ड्रॉइड/विन्डोस/आईओएस आधारित उपकरणों) पर चलने में सक्षम है।

v. स्वच्छता दर्पण (जिला रैंकिंग)

विभिन्न संकेतकों पर एमआईएस डेटा के आधार पर जिलों की रैंकिंग तैयार करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। त्रैमासिक आधार पर सभी जिलों की रैंकिंग तैयार की जा रही है और जिलों को अवार्ड दिया जा रहा है। यह रैंकिंग जिलों के बीच दोस्ताना प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद कर रही है। यह डेटा की गुणवत्ता में सुधार में भी मदद कर रहा है।

vi **एसएमएस आधारित शिकायत निवारण और नागरिक सूचना सेवाएं:** इसमें नागरिकों के लिए शिकायतें दर्ज करने, लाभार्थी फीड बैक लेने, शौचालय उपयोग पर डेटा कैप्चर करने और मांग सृजन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध है।

vii **स्वच्छ संग्रह पोर्टल:** यह एसबीएम-जी के लिए एक वेब-आधारित ज्ञान प्रबंधन पोर्टल है। इसका मुख्य प्रयोजन ज्ञान और अनुभव साझा करने, एसबीएम के कार्यान्वयन पर तेजी लाने के लिए पीयर-टू पीयर अधिगम लर्निंग हेतु एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। यह एक सरल, खोज योग्य, सहयोगी ज्ञान पोर्टल है यहां पर राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों की अच्छी आदतों, स्थानीय समाधानों तथा नवाचारों को किया जा सकता है और जनता इसे सही ढंग से देख सकती है। इसका उद्देश्य एसबीएम में कार्यरत प्रत्येक घोषित को पूरे देश की एकीकृत जानकारी प्रदान करता है।

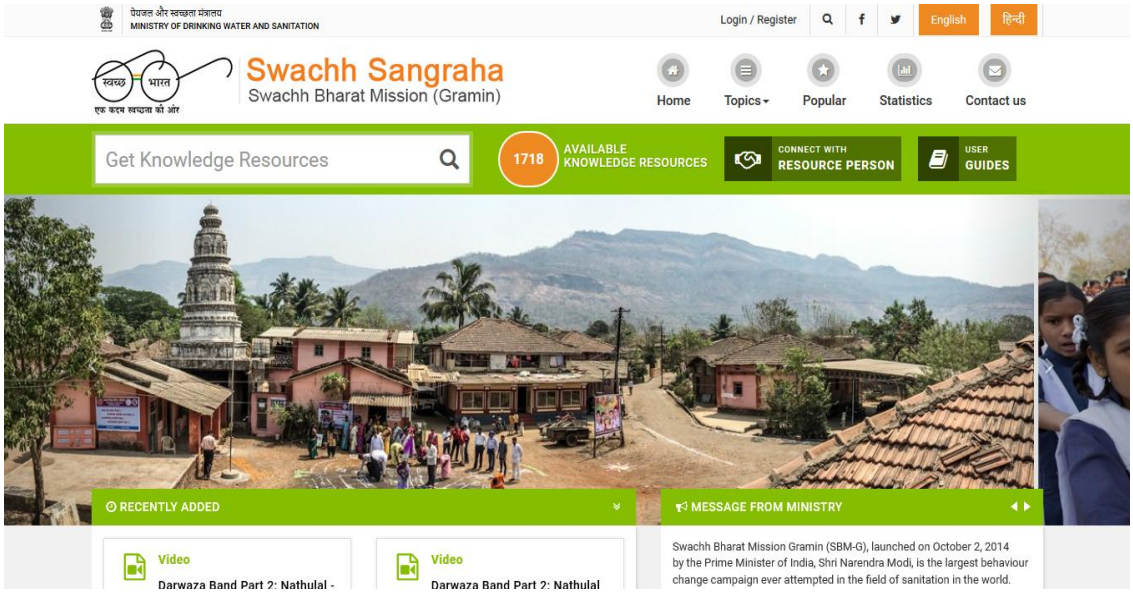

viii **स्वच्छता समीक्षा:** स्वच्छता पखवाड़ा संबंधी गतिविधियों की निगरानी हेतु इस साधन का उपयोग किया जाता है जिसका प्रारंभ अप्रैल, 2016 को किया गया था। इस पखवाडे को शुरू करने का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को शामिल करके उनके कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर गहन फोकस करना है। मंत्रालयों के बीच एक वार्षिक कलैंडर पहले ही परिचालित किया जा चुका है ताकि उन्हें पखवाड़ा गतिविधियों के लिए योजना बनाने में मदद मिल सके।

ix **स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस):** सरकार की इस आइकॉनिक पहल के e-gov (ई-गोव) सॉल्यूशन गतिविधि योजना के अनुसार राज्य, जिला प्रशासन, मंत्रालयों और नागरिकों की भागीदारी हेतु निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सूचना एकत्रित करने में समर्थ बनाता है।

- ट्विन पिट्स वाले शौचालयों का निर्माण गड्डे की खुदाई, गड्डे खाली करना।
- रेलवे स्टेशन, पार्क, आइकॉनिक स्थलों, बस स्टॉप, जल निकायों, नालियों, मूर्तियों सरकारी कार्यालयों की साफ-सफाई जैसी स्वच्छता गतिविधियां
- विद्यालयों, आंगन वाड़ियों, अस्पतालों, स्वच्छ कक्षा अभियानों में स्वच्छता गतिविधियां
- सार्वजनिक शौचालयों का उद्घाटन, रैलियाँ/जलूस को प्रेरित करने वाली गतिविधियाँ, शपथ ग्रहण करना आदि।
- की गई गतिविधियों की छायाचित्रों (फोटो) तथा विडियो लेना

x **महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी):** आईटी सहायता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) नामक मेगा कार्यक्रम को दी गयी है। प्रवासी भारतीय केंद्र तथा राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में हुई एमजीआईएससी के चार दिवसीय कार्यक्रम (29/9/2018 से 2/10/2018 तक) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की वेबकास्टिंग/सीधी प्रसारण का आयोजन किया गया।

xi **स्वच्छ संग्रह, स्वच्छता कार्य योजना तथा एमजीआईएससी साइट का प्रारंभ-** वर्ष 2018-19 के दौरान एनआईसी पटल पर एमजीआईएससी साइट पोर्टल का प्रारंभ किया गया।

xii गोबर-धन

गोबर-धन हेतु एमआईएस तैयार किया गया है तथा उसका प्रारंभ किया गया है। विडियो कॉन्फ्रेंस आधारित प्रशिक्षण उन राज्यों को दिया गया है जिन्होंने योजना के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू की हैं।

xiii स्वच्छ शक्ति 2019

मंत्रालय ने हरियाणा सरकार के सहयोग से स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम 2019 आयोजित किया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की उपलब्धियों तथा हाल ही में शुरू किया गया स्वच्छ सुंदर शौचालय (साफ एवं स्वच्छ शौचालय) अभियान-जो एक अनूठा तथा विश्व में अपनी तरह का पहला अभियान था उसे भी उजागर किया गया।

e-Gov (ई-गोव) सोल्यूशन निम्नलिखित गतिविधियों की सहायता करता है:

- जिला स्तर के सभी 22450 प्रतिभागियों का पंजीकरण तथा राज्य द्वारा अंतिम प्रतिभागियों का अनुमोदन किया जाना।
- विभिन्न समूहों कों तैयार करना तथा जिला, राज्य एवं भारत सरकार के ग्रुप लीडरों का नामांकन किया जाना।
- प्रत्येक प्रतिभागी की यात्रा योजना तैयार करना (आगमन की तारीख, पहुँचने का साधन, उनके प्रस्थान की योजना तैयार करना)
- ठहरने के विभिन्न स्थानों के लिए समूह का वितरण करना।

विडियो कॉन्फ्रेंस

एनआईसीनेट के अंतर्गत तथा एनआईसीनेट को छोड़कर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ कुल 296 विडियो कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा-2018 कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान 17 विभिन्न स्थलों पर नागरिकों से बातचीत की। यह बातचीत एनआईसी नेटवर्क के बाहर कनेक्ट किया गया था।

जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय आंगुतकों के साथ 200 बूथ से अधिक बड़े विडियो कॉन्फ्रेंस तथा स्काईप विडियों कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए।

4.2.4 ई-ऑफिस तथा अन्य गतिविधियां

इस मंत्रालय में ई-ऑफिस का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। इस मंत्रालय में किसी भी स्तर पर कोई कागज आधारित फाइल संचलन/प्राप्ति संचलन नहीं किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ई-फाइल तथा प्राप्ति संचलन की स्थिति नीचे दिया गया है:

सृजित की गई ई-फाइल: 2662	ई-फाइल का संचलन: 101419
सृजित की गई ई-प्राप्ति:19406	ई-प्राप्ति का संचलन: 57574

4.3 आईएमआईएस में जलापूर्ति परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप

एमआरडब्ल्यूएस मोबाइल ऐप को मंत्रालय द्वारा एनआईसी के साथ तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। इस ऐप्प का उपयोग करके, उपयोगकर्त्ता एक स्मार्टफोन के माध्यम से लाभार्थियों/स्रोत/सुपुर्दगी स्थलों की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में फोटोग्राफ अक्षांश और देशांतर स्थान और साथ ही तारीख - स्टैम्प जैसे महत्वपूर्ण ब्यौरे कैप्चर होकर स्वत: दर्ज हो जाते है तथा इस मिशन के केंद्रीय सर्वर पर अपलोड हो जाता हैं जिसे राष्ट्रीय डेटा केंद्र में रखा जाता है।

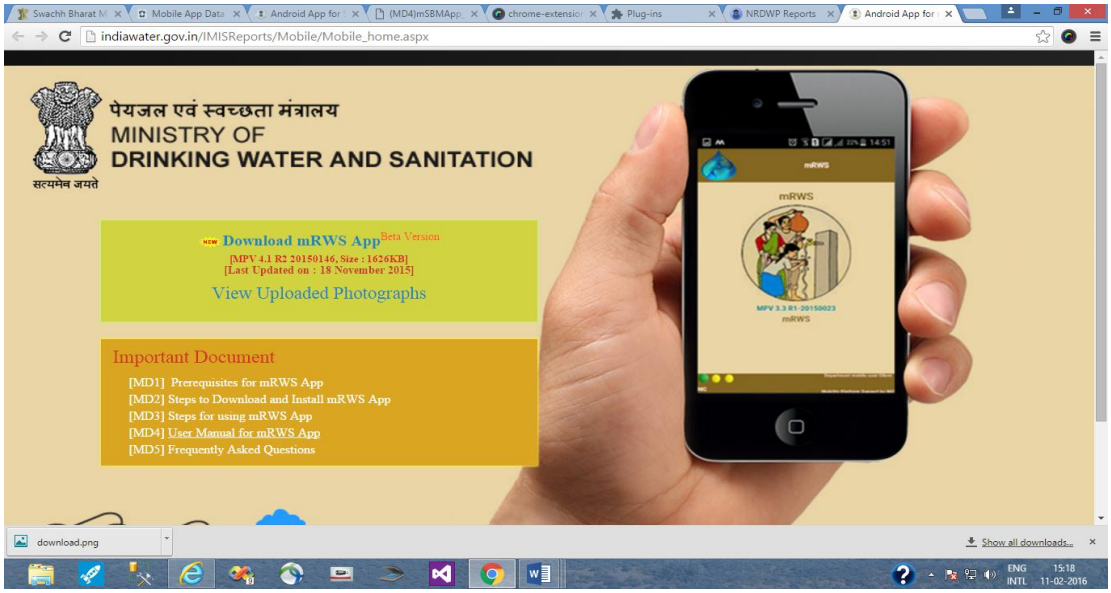

4.4 निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा

मंत्रालय, एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत तीसरे पक्ष के सत्यापन करने हेतु पूर्ण की गई जलापूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता की स्थिति के आकलन के लिए एजेंसी को नियोजित करता है जो स्थायित्व (कार्यशीलता) फंड के रिलीज के लिए आधार तैयार करता है।

5. प्रशासन

qualityaustria central asia

CERTIFICATE

Quality Austria Central Asia Private Limited (A Division of Peacock Global Company) Awards this Certificate to

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

4th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003, India

Access for all Rural Households to Safe Drinking Water and Improved Sanitation throughout the States.

EAC - 36

This Certificate confirms the application and further development of an effective

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Complying With the requirements of standard
ISO 9001:2008

Registration No.: IND/N/025
Issue Date : 27/09/2015
Expiry Date: 26/09/2018

India: 27th Sep 2015

The validity of this Certificate will be maintained via annual surveillance audits and one renewal audit after three years.

qualityaustria central asia

NABCB

IAF

Quality Austria Certification Private Limited (A division of Peacock Global company)

ANIL MURJANI
Country Head (C&T)

Quality Austria Central Asia Private Limited (A Division of Peacock Global Company) is accredited by National Accreditation Bodies for Certification for Accreditation and registration details please refer to the website of NABCB http://www.qcin.org/page/accreditation-certification-bodies-in-india regulations and guidelines published on the website of IAF http://www.iaf.nu/articles/IAF_MLA_Structure/189 Accreditation number QH 044

The current validity of the certificate is documented exclusively on the internet under www.qualityaustriacentralasia.com

Doc No. RQ_04_000MC

5.1 संगठन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय दिनांक 13 जुलाई, 2011 को एक अलग मंत्रालय के रूप में सृजित हुआ था। मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री, सचिव, तीन संयुक्त सचिव, डीडीजी (सांख्यिकी) इनकी सहायता करते हैं।

सुश्री उमा भारती ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के रूप में 04.09.2017 को कार्यभार ग्रहण किया।

श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में 06.07.2016 को राज्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री एस.एस.एस. अहलूवालिया ने दिनांक 14.05.2018 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के राज्यमंत्री के प्रभार से त्याग पत्र दिया।

श्री परमेश्वरन अय्यर ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 01.03.2016 को सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री अरूण बरोका, आईएएस (एजीएमयूटी 1990) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 01.06.2016 को संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्रीमती वी. राधा, आईएएस (एमएच 1994) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 30.03.2017 को संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री समीर कुमार, आईईएस (1995) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 02.04.2018 को संयुक्त सचिव के पद का प्रभार ग्रहण किया।

श्री हिरण्य बोहरा, आईएसएस (1985) ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में दिनांक 28.06.2016 को उप महानिदेशक (सांख्यिकी) के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

मंत्रालय में नियमित पदों की संस्वीकृत संख्या 157 है जोकि (अनुलग्नक-III) पर दी गई है और संगठन चार्ट अनुलग्नक-I पर है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण

सेवाओं और संबंधित मामलों में अनु. जाति, अनु. जनजाति और ओबीसी के आरक्षण के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अनु. जाति, अनु. जनजाति और ओबीसी कार्मिकों की संख्या नीचे तालिका में दी गई हैः

वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा पिछले कैलेण्डर वर्ष 2018 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

	अनु. जाति/अनु. जनजाति/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (31/03/2019 की स्थिति के अनुसार)				वर्ष 01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**
समूह 'क'	49	06	02	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	38	09	02	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' (पूर्व के समूह 'घ' सहित)	15	04	03	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	102	19	07	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 मंत्रालय में चलाई जा रही नई पहलें

i) ई-ऑफिस और बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन

यह मंत्रालय जनवरी, 2015 से ई-ऑफिस का कार्यान्वयन पहले से ही कर रहा है। अतः सभी फाइलों और दस्तावेजों को डिजिटलाइज्ड कर लिया गया है। सभी कार्यालय कार्य डिजिटल के माध्यम से किए जा रहे हैं अतः वास्तविक फाइलें लगभग नगण्य हैं। ई-ऑफिस उपयोगकर्ता के

लिए सरल है और बहुत समय बचाता है। इसमें कागजों की बचत होती है। दिनांक 31.03.2019 तक कुल 3355 ई-फाइलें सृजित की गई हैं।

कार्यालय ने सभी कार्मिकों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन कर लिया है।

ii) कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न अधिनियम, 2013 संबंधी आंतरिक शिकायत समिति

इस मंत्रालय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार और कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (संरक्षण, निषेध तथा निपटान) अधिनियम, 2013 के खंड 4 के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, एमडीडब्ल्यूएस में कार्यालय स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

iii) इस मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय में पदों का सृजन

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के साथ ही, इस मंत्रालय में ग्रामीण विकास मंत्रालय से पदों का स्थान्नतरण करके वेतन एवं लेखा कार्यालय में 06 पदों का सृजन किया गया है।

iv) आईएसओ प्रमाणन

मंत्रालय ने अपने कार्यों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करके आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

5.3. सतर्कता और आरटीआई/शिकायत निपटान तंत्र

5.3.1 सतर्कता और आरटीआई

सतर्कता से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त सचिव को अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद दिया गया है।

सतर्कता अनुभाग मंत्रालय के आरटीआई मामलों की निगरानी भी करता है। भारत सरकार के आरटीआई पोर्टल के अनुसार 3284 ऑनलाइन बहुप्रेषित आरटीआई प्राप्त हुए हैं और संबंधित प्रभागों को भेजे गए हैं जिनमें से मंत्रालय द्वारा 2858 को निपटाया जा चुका है (31 मार्च, 2019 तक)।

5.3.2 ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत निपटान प्रणाली

मंत्रालय के शिकायत पोर्टल तथा सीपीजीआरएएमएस पर लोगों द्वारा अपलोड की गई शिकायतों का कुशलतापूर्वक और समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नवीन कदम उठा रहा है। मंत्रालय द्वारा कई नए कदम उठाए गए हैं।

- सभी सीपीजीआरएएम शिकायतों को न सिर्फ राज्यों को बल्कि मंत्रालय के ऑनलाइन शिकायत प्रणाली पर भी भेजा जा रहा है।
- इस प्रणाली के माध्यम से शिकायतों के निपटान के लिए प्रभारी राज्य अधिकारियों को एसएमएस और वेब आधारित अनुस्मारक/अधिसूचनाएं भेजी जाती हैं।
- यदि किसी शिकायत पर राज्य अधिकारियों द्वारा एक महीने से अधिक तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो तत्काल कार्रवाई हेतु शिकायत को उनके उच्चतर अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जाता है।
- शिकायत के रजिस्ट्रेशन की अधिसूचना सहित शिकायत निपटान के प्रभारी अधिकारी के संपर्क विवरण शिकायत के साथ भेजे जाते हैं।
- निपटान के बाद प्रणाली से शिकायत को हटाने से पहले शिकायतकर्ता से एसएमएस आधारित फीडबैक लिया जाता है।
- शिकायतों के प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से राज्यों के दौरे किए जाते हैं।
- शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बंद शिकायतों की श्रेणी में आने वाले शिकायतकर्ताओं को नियमित रूप से फोन किया जाता है।

इन सभी उपायों ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की 96 प्रतिशत से अधिक निपटान दर हासिल करने में सहायता की है। मंत्रालय ने भारत के गुणवत्ता परिषद के सहयोग से एमडीडब्ल्यूएस की शिकायत निपटान प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करवाया है। इनके सुझावों को ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही कार्यान्वित किया जाएगा। आगामी महीनों में मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्य बिन्दु तैयार किए हैं-

- सीपीजीआरएएमएस के साथ मंत्रालय की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का एकीकरण
- शिकायतों के पंजीकरण हेतु टॉल फ्री नं. बनाना
- नागरिक फीडबैक प्रणाली में सुधार

5.4 वर्ष 2018-19 में हिंदी की प्रगति संबंधी उपलब्धियां

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में काफी प्रगति दर्शाई और अधिकतम 300 कार्मिकों की संख्या वाले मंत्रालयों की श्रेणी में मंत्रालय का कार्य अत्यधिक सराहा गया तथा मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2017-2018, के तृतीय पुरस्कार हेतु चुना गया। इस पुरस्कार हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित 'हिंदी दिवस' समारोह में **मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री समीर**

कुमार को भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष के दौरान हिंदी पत्राचार में प्रगति हुई है। इसकी बहुत सराहना की गई और स्वीकारा गया।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वायन समिति की सभी बैठकें नियमित रूप से की गईं। हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़ा पूरे जोश और उत्साह से मनाया गया। इस अवधि के दौरान हिंदी एवं हिंदीत्तर भाषियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 17 अक्तूबर, 2018 को किया गया था। पुरस्कार वितरण समारोह में मंत्रालय की महिला कर्मियों ने मधुर स्वागत गीत और हिंदी गीत प्रस्तुत किया।

ऐसे प्रतिभागियों को प्रोत्साहित व प्रेरित करने हेतु जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया परंतु सफल न हो सके उन्हें सांत्वना पुरस्कार के तौर पर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यिक उपन्यास वितरित किए गए ताकि वे इससे प्रेरित होकर हिंदी में और बेहतर कार्य करने का परिश्रम जारी रखें।

वर्ष के दौरान लगभग 50,000 से भी अधिक पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी की प्रतियोगिताओं, हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी की पुरस्कार योजना आदि के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी के अधिक प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा हुई। हिंदी प्रशिक्षण के लिए सभी शेष कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थान भेजा गया जहाँ उन्हें हिंदी में कार्य साधक ज्ञान और अन्य कौशलों जैसे कि आशुलिपिक और टंकण में दक्षता आदि पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, सभी अनुभागों का राजभाषा कार्यान्वयन नीति की प्रगति से संबंधित निरीक्षण भी किया गया।

इसके अलावा, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की अनुपालना, अपने कार्मिकों की हिंदी की जानकारी के संबंध में रोस्टर तैयार करना, राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत 40% अनुभागों को विनिर्दिष्ट करना, मंत्रालय के सभी अनुभागों का निरीक्षण करना राजभाषा कार्यान्वयन नीति की प्रगति के संबंध में कार्यनिष्पादन किए गए।

हिन्दी पखवाड़ा प्रतियोगिता के विजेता को प्रमाण पत्र से सम्मानित करते हुए सचिव डीडब्ल्यूएस

मंत्रालय द्वारा हिंदी में किए गए सर्वोत्तम कार्य हेतु माननीय भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (2017-18) प्राप्त करते हुए संयुक्त सचिव (डीडब्ल्यूएस)

स्वागत गीत एवं हिंदी गीत गाते हुए युवा महिला कार्मिक

अनुलग्नक I to XI

अनुलग्नक I

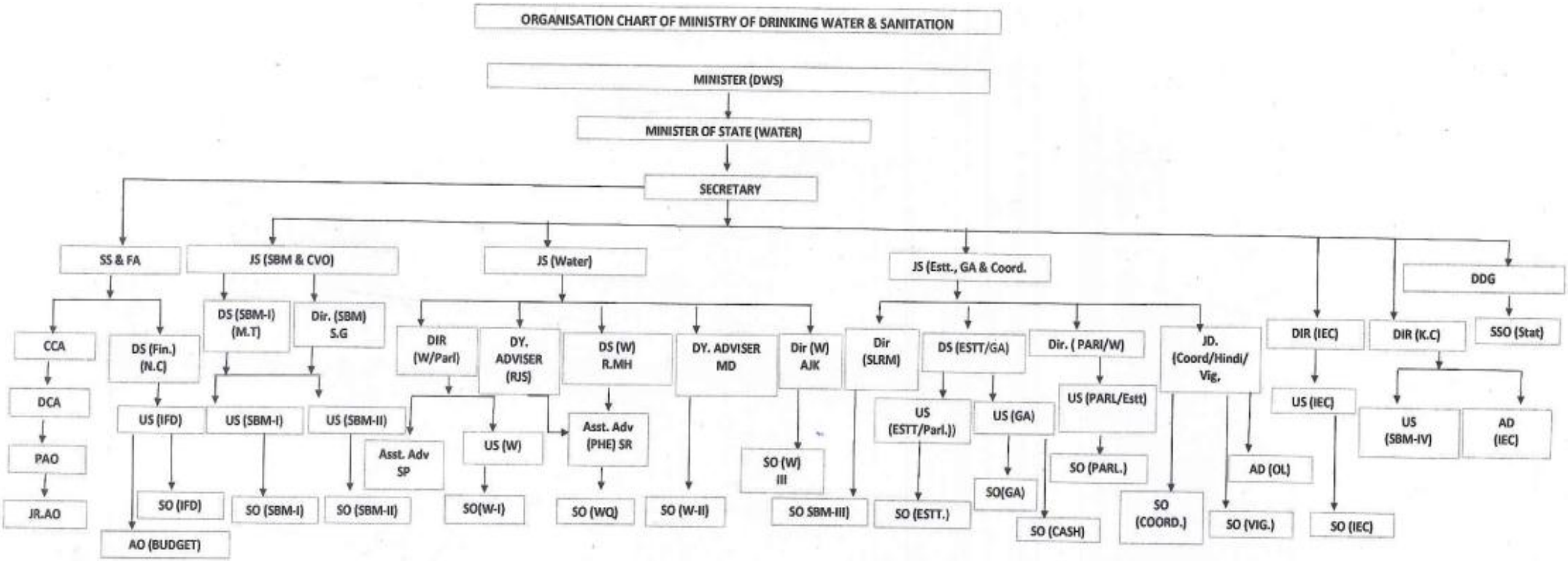

अनुलग्नक-II

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यवार आबंटन और वास्तविक उपलब्धियां (2016-17, 2017-18, 2018-19, दिनांक 31.03.2019 तक)

क्र. सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19 (31.03.2019 तक)	
		व्यय (करोड रूपए में)	उपलब्धि	व्यय (करोड रूपए में)	उपलब्धि	व्यय (करोड रूपए में)	उपलब्धि
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0.31	0
2	आंध्र प्रदेश	157.38	1373	267.03	1071	185.85	3166
3	अरुणाचल प्रदेश	95.71	126	62.93	114	90.89	165
4	असम	203.09	382	387.2	245	300.76	1267
5	बिहार	473.29	1289	216.21	266	234.84	1082
6	छत्तीसगढ़	65.66	997	49.89	971	48.19	878
7	गोवा	3.35	0	1.83	0	1.67	0
8	गुजरात	265.16	1605	315.14	1781	222.27	145
9	हरियाणा	114.2	290	87.34	278	76.76	405
10	हिमाचल प्रदेश	64.73	938	129.42	873	85.43	651
11	जम्मू एवं कश्मीर	219.94	260	344.86	322	249.34	338
12	झारखंड	157.89	3074	171.47	4007	85.12	1071
13	कर्नाटक	339.83	17434	272.77	12448	276.06	19429
14	केरल	74.21	291	95.53	192	84.86	203
15	मध्य प्रदेश	212.48	7420	163.35	9849	243.62	8209
16	महाराष्ट्र	412.32	1270	187.84	638	239.06	635
17	मणिपुर	18.87	103	68.3	77	37.73	82
18	मेघालय	50	82	87.43	71	49.15	216
19	मिजोरम	24.82	35	25.93	20	26.25	43
20	नागालैंड	36.2	167	18.77	106	17.36	54
21	ओडिशा	100.14	8196	93.48	4007	128.82	11923
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	53.56	647	103.64	1046	119.41	366
24	राजस्थान	681.21	2908	728.81	3922	655.41	5199
25	सिक्किम	15.21	14	11.6	31	10.89	199
26	तमिलनाडु	175.08	2910	191.4	2291	167.31	1580

27	तेलंगाना	111.89	1121	592.47	1475	123.18	1272
28	त्रिपुरा	38.73	571	42.77	142	51.73	191
29	उत्तर प्रदेश	639.54	1838	616.77	403	670.72	2085
30	उत्तराखंड	99.69	484	138.2	565	92.97	936
31	पश्चिमी बंगाल	423.68	5217	599.45	6200	890.28	6014
कुल		**5,327.86**	**61042**	**6,071.83**	**53411**	**5466.24**	**67804**

अनुलग्नक-III

"पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की स्थिति (नियमित)" (31.03.2019 की स्थिति)					
क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या			अधिकारियों का समूह
		संस्वीकृत	भरे गए पद	रिक्त पद	
	सचिव	1	1	0	क
1.	एचएजी	1	0	1	क
2.	संयुक्त सचिव	3	3	0	क
3.	उप महानिदेशक	1	1	0	क
4.	आर्थिक सलाहकार	1	0	1	क
5.	अपर सलाहकार (पीएचई)	1	0	1	क
6.	निदेशक (आईईसी)	1	1	0	क
7.	निदेशक/उप सचिव (केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम)	8	7	1	क
8.	उप सचिव (केंद्रीय सचिवालय सेवा)	6	6	0	क
9.	संयुक्त निदेशक	1	0	1	क
10.	उप सलाहकार (पीएचई)	3	2	1	क
11.	वरिष्ठ पीपीएस	3	1	2	क
12.	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक	1	0	1	क
13.	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	0	1	क
14.	सहायक उप सलाहकार (पीएचई)	4	2	2	क
15.	अवर सचिव	14	10	4	क
16.	पीपीएस	4	2	2	क
17.	सहायक निदेशक (आईईएस)	1	1	0	क
18.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	1	1	0	क
19.	अनुभाग अधिकारी	18	3	15	क
20.	निजी सचिव	14	7	7	क
21.	लेखा अधिकारी	1	0	1	ख
22.	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	ख
23.	लेखा कार	2	1	1	ख
24.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	2	2	0	ख
25.	सहायक वरिष्ठ अधिकारी	25	25	0	ख

26.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1	1	0	ख
27.	निजी सहायक	7	0	7	ख
28.	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	5	5	0	ख
29.	आशुलिपिक ग्रेड ''डी''	6	3	3	ग
30.	एसएसए	2	0	2	ग
31.	डी.ई.ओ. (ग्रेड ए)	1	1	0	ग
32.	एलडीसी (लाईब्रेरी कलर्क)	1	1	0	ग
33.	जेएसए	2	0	2	ग
34.	स्टॉफ कार ड्राइवर	5	1	4	ग
35.	एमटीएस	11	8	3	ग
	कुल:	160	97	63	
Transferred from PAO, M/o RD to PAO, DWS w.e.f. 01.01.2019					
37.	पीएओ / वरिष्ठ एओ	1	1	0	A
38.	एएओ	1	1	0	B
39.	वरिष्ठ लेखाकार / लेखाकार	3	2	1	B
40.	एमटीएस	1	1	0	C
		166	102	64	

नोट: आईएसओ प्रमाणन: इस मंत्रालय के संबंध में आईएसओ प्रमाणन दिनांक 27.09.2015 को निर्गत किया गया तथा दिनांक 26.09.2018 को इसकी अवधि समाप्त हो गई। अत: इसे वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप में शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक- IV

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2017-2018 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2895	14661	17556	21
2	आंध्र प्रदेश	2215280	10043	2225323	424
3	अरूणाचल प्रदेश	34610	6850	41460	295
4	असम	142277	674181	816458	74
5	बिहार	2187939	1246626	3434565	4
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	648457	755513	1403970	66
8	दादर एवं नगर हवेली	680	18078	18758	0
9	दमन एवं दीव	10	1590	1600	0
10	गोवा	0	0	0	0
11	गुजरात	135995	292733	428728	9
12	हरियाणा	89506	230492	319998	119
13	हिमाचल प्रदेश	4	6	10	487
14	जम्मू एवं कश्मीर	320180	260776	580956	754
15	झारखंड	462309	741609	1203918	0
16	कर्नाटक	1389073	45830	1434903	140
17	केरल	0	0	0	43
18	लक्ष्य दीव	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	1133966	1219908	2353874	39
20	महाराष्ट्र	695170	1558046	2253216	240
21	मणिपुर	30563	30955	61518	0
22	मेघालय	64654	22484	87138	129
23	मिजोरम	14313	10704	25017	59
24	नागालैंड	18466	772	19238	102
25	ओडिशा	323088	493332	816420	14
26	पुडुचेरी	7685	250	7935	0
27	पंजाब	12401	62834	75235	0
28	राजस्थान	460980	1668337	2129317	48
29	सिक्किम	0	0	0	27
30	तमिलनाडु	815869	1390216	2206085	21

31	तेलंगाना	1521841	32170	1554011	0
32	त्रिपुरा	17368	16166	33534	18
33	उत्तर प्रदेश	1459423	4223070	5682493	11
34	उत्तराखंड	12922	30063	42985	22
35	पश्चिम बंगाल	558940	447505	1006445	731
	कुल:-	**14776864**	**15505800**	**30282664**	**3897**

अनुलग्नक-V

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2018-19 के दौरान 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	242488	2964	245452	8504
3	अरूणाचल प्रदेश	2413	468	2881	470
4	असम	126465	616970	743435	80
5	बिहार	3748536	2387019	6135555	12
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	31087	36969	68056	137
8	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0
11	गुजरात	4471	21814	26285	384
12	हरियाणा	0	37	37	209
13	हिमाचल प्रदेश	0	17	17	172
14	जम्मू एवं कश्मीर	155256	186781	342037	938
15	झारखंड	311966	617843	929809	0
16	कर्नाटक	693597	36847	730444	79
17	केरल	2	0	2	59
18	लक्ष्य दीव	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	385678	363722	749400	123
20	महाराष्ट्र	23581	59358	82939	73
21	मणिपुर	36589	35659	72248	62
22	मेघालय	249	0	249	247
23	मिजोरम	36	10	46	86
24	नागालैंड	45713	5167	50880	176
25	ओडिशा	995834	1207314	2203148	13
26	पुडुचेरी	17086	551	17637	0
27	पंजाब	7665	44860	52525	0
28	राजस्थान	318	3477	3795	157
29	सिक्किम	0	0	0	85
30	तमिलनाडु	84485	94025	178510	22

31	तेलंगाना	457155	12644	469799	0
32	त्रिपुरा	71739	63741	135480	9
33	उत्तर प्रदेश	2914170	5808740	8722910	4
34	उत्तराखंड	447	5959	6406	378
35	पश्चिम बंगाल	395542	283566	679108	186
	कुल:-	**10752568**	**11896522**	**22649090**	**12665**

अनुलग्नक-VI

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2017-18 के दौरान एसबीएम (जी) के तहत राज्यवार जारी स्थिति

दिनांक 31.03.2018 तक

करोड़ रुपए में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	दिनांक 1-4-2017 के अनुसार अथशेष	रिलीज	कुल	व्यय
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.20	30.72	36.92	5.92
2	आंध्र प्रदेश	13.13	1219.88	1233.01	1255.91
3	अरूणाचल प्रदेश	14.75	137.30	152.05	57.09
4	असम	340.43	1171.95	1512.38	721.63
5	बिहार	25.67	875.92	901.59	153.80
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	116.00	677.83	793.83	570.47
8	दादर एवं नगर हवेली	0.01	17.68	17.69	0.00
9	दमन एवं दीव	0.00	2.00	2.00	0.00
10	गोवा	-3.34	0.52	-2.82	5.77
11	गुजरात	78.16	466.04	544.21	395.60
12	हरियाणा	42.36	39.66	82.02	34.43
13	हिमाचल प्रदेश	89.32	20.68	110.00	24.44
14	जम्मू एवं कश्मीर	60.35	202.38	262.73	164.53
15	झारखंड	-90.70	698.66	607.97	560.57
16	कर्नाटक	-30.37	983.39	953.02	773.39
17	केरल	87.75	59.36	147.11	17.92
18	लक्ष्य दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	-66.31	1380.61	1314.29	757.38
20	महाराष्ट्र	-129.48	1235.34	1105.86	839.04
21	मणिपुर	18.07	77.02	95.09	6.10
22	मेघालय	51.85	153.89	205.74	77.06
23	मिजोरम	10.32	46.24	56.56	31.73
24	नागालैंड	23.12	71.41	94.52	8.28
25	ओडिशा	-510.71	457.02	-53.69	463.61
26	पुडुचेरी	3.98	50.25	54.23	9.37
27	पंजाब	107.20	283.48	390.68	42.99
28	राजस्थान	-593.41	981.51	388.10	848.21
29	सिक्किम	9.18	12.98	22.16	1.01
30	तमिलनाडु	-210.19	865.94	655.75	784.86

31	तेलंगाना	19.84	481.94	501.78	305.68
32	त्रिपुरा	41.58	24.00	65.58	16.32
33	उत्तर प्रदेश	290.48	3155.37	3445.84	2688.06
34	उत्तराखंड	182.47	146.69	329.16	175.05
35	पश्चिम बंगाल	-345.26	583.23	237.97	431.46
		-347.53	**16610.88**	**16263.34**	**12227.70**

अनुलग्नक-VII

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2018-19 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत राज्य बार की रिलीज की स्थिति

दिनांक 31.03.2019 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	दिनांक 1-4-2018 को एमआईएस के अनुसार अथशेष	रिलीज	कुल	एमआईएस के अनुसार किया गया व्यय
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	31.01	6.05	37.06	7.33
2	आंध्र प्रदेश	-22.91	1381.11	1358.21	707.23
3	अरूणाचल प्रदेश	94.96	51.31	146.27	69.61
4	असम	790.75	882.09	1672.84	891.54
5	बिहार	747.79	2943.69	3691.49	2488.98
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	223.36	448.50	671.86	141.67
8	दादर एवं नगर हवेली	17.69	0.65	18.34	16.59
9	दमन एवं दीव	2.00	0.19	2.19	1.79
10	गोवा	-8.59	0.00	-8.59	0.00
11	गुजरात	148.60	192.92	341.52	140.73
12	हरियाणा	47.59	70.24	117.83	15.12
13	हिमाचल प्रदेश	85.57	0.00	85.57	17.08
14	जम्मू एवं कश्मीर	98.20	278.37	376.57	231.66
15	झारखंड	47.40	753.02	800.42	388.70
16	कर्नाटक	179.63	739.73	919.36	450.48
17	केरल	129.19	12.47	141.66	16.70
18	लक्ष्य दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	556.91	590.94	1147.85	776.92
20	महाराष्ट्र	266.82	1352.92	1619.74	910.77
21	मणिपुर	88.99	75.06	164.05	36.62
22	मेघालय	128.68	0.00	128.68	72.19
23	मिजोरम	24.83	12.73	37.56	18.81
24	नागालैंड	86.24	59.93	146.17	60.84
25	ओडिशा	-517.29	1367.62	850.32	727.43
26	पुडुचेरी	44.86	0.00	44.86	20.28
27	पंजाब	347.69	0.00	347.69	44.52
28	राजस्थान	-460.11	865.88	405.77	291.41
29	सिक्किम	21.15	1.96	23.11	3.09
30	तमिलनाडु	-129.12	760.99	631.87	388.49

31	तेलंगाना	196.10	515.05	711.15	244.03
32	त्रिपुरा	49.26	116.93	166.19	104.76
33	उत्तर प्रदेश	757.78	7414.07	8171.86	4401.21
34	उत्तराखंड	154.11	65.80	219.91	92.47
35	पश्चिम बंगाल	-193.49	534.25	340.76	146.69
		3152.33	**21494.48**	**24646.81**	**13931.75**

अनुलग्नक-VIII

राज्य/संघ राज्य-वार ओडीएफ घोषित गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओडीएफ घोषित गांव	ओडीएफ घोषित ग्राम पंचायत	ओडीएफ घोषित ब्लॉक	ओडीएफ घोषित जिला
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	192	65	7	3
2	आंध्र प्रदेश	18841	12850	661	13
3	अरूणाचल प्रदेश	5389	1777	109	20
4	असम	25503	2693	244	33
5	बिहार	27265	5286	198	5
6	चंडीगढ़	13	12	1	1
7	छत्तीसगढ़	18769	10775	146	27
8	दादर एवं नगर हवेली	69	20	1	1
9	दमन एवं दीव	26	15	2	2
10	गोवा	22	9	0	0
11	गुजरात	18261	14057	247	33
12	हरियाणा	6908	6205	140	22
13	हिमाचल प्रदेश	15921	3231	77	12
14	जम्मू एवं कश्मीर	7565	4171	316	22
15	झारखंड	29564	4396	263	24
16	कर्नाटक	26935	6018	176	30
17	केरल	2027	940	152	14
18	लक्ष्य दीव	9	9	9	1
19	मध्य प्रदेश	50228	22839	313	51
20	महाराष्ट्र	40501	27668	351	34
21	मणिपुर	2556	2245	44	16
22	मेघालय	6028	5965	39	11
23	मिजोरम	695	690	26	8
24	नागालैंड	1451	1451	74	11
25	ओडिशा	20841	2080	55	3
26	पुडुचेरी	265	98	3	2
27	पंजाब	13726	12971	147	22
28	राजस्थान	42869	9892	295	33
29	सिक्किम	441	176	32	4
30	तमिलनाडु	12524	12524	385	31
31	तेलंगाना	6945	5799	214	14

32	त्रिपुरा	1178	1178	58	8
33	उत्तर प्रदेश	97641	58770	822	75
34	उत्तराखंड	15473	7542	95	13
35	पश्चिम बंगाल	39641	3160	324	17
		556282	**247577**	**6026**	**616**

अनुलग्नक-IX

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 31.03.2019 तक कुल तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचितजनजाति आईएचएचएल की उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वर्ष 2018-19 के दौरान आईएचएचएल की उपलब्धि			कुल आईएचएचएल की उपलब्धि में शेयर	
		कुल	एससी	एसटी	% एससी	% एसटी
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	245452	23591	17766	9.61	7.24
3	अरूणाचल प्रदेश	2881	17	2265	0.59	78.62
4	असम	743435	47238	112873	6.35	15.18
5	बिहार	6135555	833991	128495	13.59	2.09
6	चंडीगढ़	0	0	0	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	68056	5251	30386	7.72	44.65
8	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0.00	0.00
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0.00	0.00
10	गोवा	0	0	0	0.00	0.00
11	गुजरात	26285	1559	9683	5.93	36.84
12	हरियाणा	37	2	0	5.41	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	17	2	0	11.76	0.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	342037	51376	49893	15.02	14.59
15	झारखंड	929809	145021	244387	15.60	26.28
16	कर्नाटक	730444	162002	92181	22.18	12.62
17	केरल	2	0	0	0.00	0.00
18	लक्ष्य दीव	0	0	0	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	749400	106490	263692	14.21	35.19
20	महाराष्ट्र	82939	7498	14107	9.04	17.01
21	मणिपुर	72248	972	43997	1.35	60.90
22	मेघालय	249	0	249	0.00	0.00
23	मिजोरम	46	0	46	0.00	100.00
24	नागालैंड	50880	91	50645	0.18	99.54
25	ओडिशा	2203148	337755	519349	15.33	23.57
26	पुडुचेरी	17637	8268	40	46.88	0.23
27	पंजाब	52525	40538	507	77.18	0.97
28	राजस्थान	3795	338	288	0.00	0.00
29	सिक्किम	0	0	0	0.00	0.00
30	तमिलनाडु	178510	52142	3747	29.21	2.10
31	तेलंगाना	469799	77667	96087	16.53	20.45

32	त्रिपुरा	135480	23419	50505	17.29	37.28
33	उत्तर प्रदेश	8722910	1901401	166163	21.80	1.90
34	उत्तराखंड	6406	639	91	9.98	1.42
35	पश्चिम बंगाल	679108	196757	142649	28.97	21.01
	कुल:-	**22649090**	**4024025**	**2040091**	**17.77**	**9.01**

अनुलग्नक-X

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सार

क्र. सं.	वर्ष	पैरा/लोक लेखा रिपोर्टों की संख्या जिस पर लेखापरीक्षक द्वारा पुनरीक्षण के बाद की गई कार्रवाई नोट को लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया गया है।	पैरा/लोक लेखा रिपोर्टों का विवरण जिन पर की गई कार्रवाई नोट लंबित हैं		
			मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई नोट की संख्या पहली बार भी नहीं भेजी गई है।	की गई कार्रवाई नोट की संख्या नहीं भेजी गई किंतु अवलोकनों के साथ वापस कर दी गई तथा मंत्रालय द्वारा पुन: प्रस्तुत के लिए ऑडिट प्रतीक्षारत है।	की गई कार्रवाई नोट की संख्या जिन्हें ऑडिट द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षित किया गया है परंतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1	2018 का 4	1 (2.3.1)	-	-	1
2	2015 का 28	समग्र रिपोर्ट	-	1	-
3	2018 का 15	समग्र रिपोर्ट	1	-	-

अनुलग्नक-XI

वर्ष 2018 की रिपोर्ट सं. 15 - केंद्र सरकार (सिविल) - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा

07 अगस्त, 2018 को संसद में पेश किया गया

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) कार्यक्रम को स्थायी आधार पर प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 12वीं योजना का लक्ष्य दिसंबर, 2017 तक सभी ग्रामीण बसावटों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था। इसमें यह भी परिकल्पना की गई थी कि कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को, उनके घरेलू परिसरों अथवा उनके घरों से 100 मीटर से कम की दूरी के भीतर, 55 एलपीसीडी नल जलापूर्ति उपल्ब्ध कराई जाएगी। एनआरडीडब्ल्यूपी को राज्यों में इसके छह घटकों और अन्य केंद्रित योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (2012-17) के दौरान, कार्यक्रम के लिए कुल 89,956 करोड़ (43,691 करोड़ का केंद्रीय अंश तथा 46,265 करोड़ राज्य अंश) उपलब्ध कराए गए थे जिसमें से इस अवधि के दौरान 81,168 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे।

यह कार्यक्रम उन लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा जो 2017 तक की उपलब्धि के लिए निर्धारित किए गए थे अर्थात् (1) सभी ग्रामीण बसावटों, सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, (2) 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को नल जल आपूर्ति के माध्यम से पीने योग्य पानी (55 एलपीसीडी) और (3) 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराना। दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, केवल 44 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों तथा 85 प्रतिशत सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों को सुरक्षित पेयजल की उपलब्ध कराई जा सकी जबकि केवल 18 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को नल जलापूर्ति द्वारा पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराई जा सकी तथा 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सका। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान 81,168 करोड़ का व्यय करने के बाद ग्रामीण बसावटों के समग्र कवरेज में 40 एलपीसीडी पर केवल आठ प्रतिशत तथा 55 एलपीसीडी पर 5.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

इस स्कीम के कार्यान्वयन में उचित नियोजन और धनप्रबंधन और वितरण की कमी और साथ ही साथ कार्यों के अप्रभावी निष्पदन के कारण जो अनुचित विलंब और व्यय हुआ उसके

परिणामस्वरूप अपेक्षित परिणाम या लाभ प्राप्त नहीं हुए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय निहितार्थ 2,875 करोड़ है जोकि 19,151 करोड़ के व्यय का बहुत महत्वपूर्ण 15 प्रतिशत था जो योजना प्रबंधन और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की हमारी जांच के दौरान सामने आया।

एनआरडीडब्ल्यूपी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण घटक था जो सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने से संबंधित था। इस मंत्रालय ने सूचित किया था (सितंबर, 2017) कि हांलाकि इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय घर में पीने का पानी उपलब्ध कराना था, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक (वर्तमान लागत पर) इसे सालाना लगभग 23,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और वर्तमान स्तर को देखते हुए केवल एनआरडीडब्ल्यूपी के प्रयासों से एसडीजी प्राप्त नहीं की जा सकती।

ऑडिट में यह नोट किया गया है कि चूंकि एनआरडीडब्ल्यूपी एसडीजी को प्राप्त करने के लिए एकमात्र प्रयास नहीं है फिर भी यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय है और इसके कार्यान्वयन में आनेवाली कमी और खामियां जिनमें प्रतिकूल व्यय शामिल थे, आगे चलकर इस लक्ष्य की उपलब्धि में बाधा उत्पन्न करेंगे और इसे मुश्किल बना देगें।

(क) योजना और सुपुर्दगी तंत्र

केंद्र और राज्यों में स्थापित योजना और सुपुर्दगी ढांचा, कार्यक्रम के दिशानिर्देशों से विचलित हो गया। इक्कीस राज्यों ने जल योजनाओं की रूपरेखा तैयार नहीं की और वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी और जांच के दौरान हितधारक तथा सामुदायिक भागीदारी में कमी, स्कीमों में जल की न्यून्तम सेवा स्तर को शामिल न करना और योजनाओं में शामिल स्कीमों के लिए राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति के अनुमोदन का न होना जैसी कमिया पाई गई। समन्वय स्थापित करने और तालमेल सुनिश्चित करने हेतु शीर्ष स्तर पर गठित राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता परिषद मुख्यत: निष्क्रिय रही। कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन के लिए बनी महत्वपूर्ण एजेंसियां जैसे राज्य जल और स्वच्छता मिशन, राज्य तकनीकी एजेंसी, स्रोत खोज समिति और ब्लॉक संसाधन केंद्र का या तो गठन नहीं हुआ या वे उन्हें दिए गए कार्यों का निष्पादन नहीं कर सके। योजना और वितरण दोनों की दृष्टि से इन बाधाओं ने अंतत: कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रभावित किया।

(ख) निधि प्रबंधन

एनआरडीडब्ल्यूपी का कार्यान्वयन एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत को साझा किया जाता है। मंत्रालय की अपेक्षाएं थी कि 14वें

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढाए गए हस्तांतरित धन को ध्यान में रखते हुए इस योजना के लिए राज्य अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को बढ़ाकर केंद्रीय आबंटन में की गई क्षतिपूर्ति को पूरा करने में सक्षम होंगे जोकि मिथ्या साबित हुई। अत: वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम हेतु निधियों की समग्र उपलब्धता में कमी आई। तथापि, निधियों का कम आबंटन भी अप्रयुक्त रहा। नोडल/कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय शेयर जारी करने में 15 महीने से अधिक की देरी हुई। राज्य के जल एवं स्वच्छता मिशनों और कार्य निष्पादन एजेंसियों की 662.61 करोड़ रुपए की राशि की निधियों को रोका गया और अनुपयुक्त मदों पर व्यय दिशा में निधियों का प्रयोग भी हुआ।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है यह कार्यक्रम उन लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा जिन्हें वर्ष 2017 के अंत तक हासिल किया जाना था। यह आंशिक रूप से अपूर्ण, परित्यक्त और गैर-परिचालन कार्यों, उपकरण पर अनुत्पादक व्यय, गैर-कार्यात्मक स्थिरता संरचनाओं और अनुबंध प्रबंधन में अंतराल जैसे कार्यान्वयन की कमियों के कारण था जोकि 2,212.44 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ के बराबर था।

इसके अलावा, केवल पांच प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र उपलब्ध कराए गए थे तथा नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से ऐसे संयंत्र स्थापित करने में धीमी प्रगति रही, स्थिरता योजनाएं या तो तैयार/कार्यान्वित नहीं की गई अथवा इन वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल नहीं की गई थी। सतही जल आधारित स्कीमों पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया और बड़ी संख्या में स्कीमों (98 प्रतिशत) जिनमें पाइपयुक्त जल स्कीमें शामिल थीं, भू-जल संसाधनों पर ही आधारित रहीं। ऑपरेशन और रख-रखाव की योजनाएं अधिकांश राज्यों में या तो तैयार नहीं की गई थी अथवा इनमें खामियां थी जिससें स्कीमें गैर कार्यात्मक बन गईं। परिणामस्वरूप, स्लिप बैंक बसावटों का क्रम बना रहा।

अंत में, राज्यों/जिलों/उप-मंडल स्तरों पर प्रयोगशालाओं की आवश्यक संख्या की कमी के कारण जल स्रोतों और आपूर्ति की निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण में कमी रही जिससे ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समझौता करना पड़ा।

(घ) निगरानी और मूल्यांकन

इस कार्यक्रम की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (डीईएस) के आकड़ों में अप्रर्याप्त प्रमाणीकरण और सत्यापन नियंत्रण के कारण निरंतरता और सटीकता की कमी रही। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए निरीक्षण, सतर्कता और निगरानी समितियों के विशेषज्ञ दल,

या तो स्थापित नहीं किए गए अथवा उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया। लाभार्थी स्तर की संतुष्टि को मापने के लिए कार्यक्रम का सोशन ऑडिट नहीं किया गया। अत: समग्र निगरानी और निगरानी ढांचे में प्रभावशीलता का अभाव रहा और इस कार्य में सामुदायिक भागीदारी अपर्याप्त रही।